एकादश माला, खंड 6, अंक 9

शुक्रवार, 6 दिसंबर, 1996

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 6 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 1996 के लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

.....

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
2	17	कृपाया	कृपया
37	नीचे से 3	उद्यतन	अद्यतन
37	नीचे से 4	सूचयना	सूचना
55	23	(क) से (ग)	(क) से (ख)
72	18	श्री वी.एस.सुधीरन	श्री वी.एम.सुधीरन
79	19	श्री मुनव्वर हरान	श्री मुनव्वर हसन
79	20	श्री सुमित्रा महाजन	श्रीमती सुमित्रा महाजन
80	12	प्रश्न संख्या 2415	प्रश्न संख्या 2145
109	नीचे से 10	आपूर्तित	आपूर्ति
124	नीचे से 13	ग्रमीण	ग्रामीण
130	नीचे से 13	श्री सईदा कोटा	श्री सिद्दय्या कोटा
154	7	शिक्यतें	शिकायतें
188	13	प्रश्न संख्या 2255	प्रश्न संख्या 2256
206	9	त्रुष्टि	त्रुटि
228	नीचे से 8	(मुदैरा)	(मदुरै)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 7, तीसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 12, शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 1996/15 अग्रहायण, 1918 (शक)

		कालम
निधन उल्लेख		1—2
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या :	221 से 240	4—53
अतारांकित प्रश्न संख्या :	2111 से 2288	53—215
सभा पटल पर रखे गए पत्र		216—226
लोक सभा की बैठक के बारे में उपाध्यक्ष महोदय की घोषणा		228
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति पहला प्रतिवेदन—प्रस्तुत		228
सभा का कार्य		228—231
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1996-97		232

लोक सभा

शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 1996/15, अग्रहायण, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर एक मिनट पर समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज 6 दिसम्बर है। इस दिन, 1992 में भाजपा द्वारा बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था। यह दिन भारत के इतिहास में एक काला दिन है। भविष्य में इस तरह की घटनाएं कभी नहीं होनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

एक निधन संबंधी उल्लेख है।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सदन को अत्यन्त दुख के साथ हमारे पूर्व सहयोगी श्री के.जे. अब्बासी के निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री के.जे. अस्वासी ने वर्ष 1980-89 के दौरान सातवीं और आठवीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश के डोमरियागढ संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

इससे पूर्व वे 1962-67 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य भी रहे थे और वर्ष 1971-74 के दौरान राज्य सरकार में मंत्री भी रहे थे।

बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, श्री अब्बासी एक वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी, कृषक, वकील तथा राजनैतिक तथा सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और कई वर्षों तक जेल में रहे।

उन्होंने व्यापक यात्राएं की थी और वर्ष 1969 में बर्लिन में विश्व शान्ति सम्मेलन में भाग लिया था। वर्ष 1982 के दौरान वे सऊदी अरब में भारत सरकार के प्रतिनिधि थे।

श्री अब्बासी का निधन 84 वर्ष की आयु में 7 नवम्बर, 1996 को लखनऊ में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं और सभा मेरे साथ शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती है।

सदस्यगण अब दिवंगत नेता के प्रति सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण के लिए मौन खड़े रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 221 लिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है...**(व्यवधान)***

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपाया बैठ जाइएं। मैं आपकों यह मुद्दा शून्य काल के दौरान उठाने की अनुमति प्रदान करूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा। कृपया बैठ जाइएं। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं। मैं आप सभी को शून्य काल के दौराम इसकी अनुमति प्रदान करूंगा। हमें प्रश्न काल प्रारम्भ करना चाहिए। कृपया सभा का समय बर्बाद नं करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वान्ह 11.13 बजे

इस समय, श्री ई. अहमद और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.14 बजे

इस समय श्री ई. अहमद और कुछ अन्य सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी.सी. चाक्को, कोई कागज नहीं दिखाना चाहिए। कृपया इसे नीचे रखिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई कागज न दिखाइये। उन्हें नीचे रखिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.23 बजे

इस समय श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पूरा देश आपको देख रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया टी.वी. का प्रसारण बन्द कर दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया, कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री समीक लहिरी, कृपया सोच-समझ कर बोलिए। यदि आप इस तरह व्यवहार करेंगे तो मैं कार्यवाही करूंगा। कृपया होश में आइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए। कृपया बैठ जाइए। कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब शून्य काल आरम्भ होता है। मैं प्रत्येक को अनुमति दूंगा। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

चाय का उत्पादन

*221. **श्री देवी बक्स सिंह :**
डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों की तुलना में चाय की कुल कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान चाय के उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो चाय उत्पादन की अनुमानित मात्रा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा देश के चाय के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्सी रमैया) : (क) से (घ). देश में पिछले चार वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के प्रथम छः महीनों में चाय उत्पादन के आंकड़े पूर्ववर्ती वर्ष के संगत

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आंकड़ों के साथ नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	उत्पादन (मिलियन किग्रा.)
1992-93	736.00
1993-94	768.05
1994-95*	743.33
1995-96*	762.35
1996-97* (अप्रैल-सितम्बर)	505.93
1995-96* (अप्रैल-सितम्बर)	482.31

* अनुमानित और संशोधनाधीन हैं

चालू वर्ष के दौरान अब तक का उत्पादन पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में पर्याप्त अधिक है। इस रुख को देखते हुए, वर्ष 1996-97 के दौरान चाय का अनुमानित उत्पादन 772 मिलियन किग्रा. होने की संभावना है।

उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से चाय बोर्ड पुनर्रोपण, विस्तर रोपण, नए बागान की स्थापना करने, विस्तन क्रिया-कलापों में लघु उपज कर्ताओं को सहायता देने और अनुसंधान एवं विकास जैसे कार्य-कलापों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विकासात्मक योजनाएं चलाता रहा है।

[अनुवाद]

सिंगापुर में विश्व व्यापार संगठन की बैठक

*222. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, दिसम्बर; 1996 में सिंगापूर में होने वाली विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के मंत्रियों की बैठक में हिस्सा ले रहा है;

(ख) क्या सरकार ने विकसित देशों विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ के दबावों को अनदेखा करते हुए, विश्व व्यापार संगठन के व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा (ट्रिप्स) समझौते में परिवर्तन हेतु कोई प्रमुख पहल की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सिंगापुर की बैठक में भारत द्वारा क्या दृष्टिकोण अपनाया जाएगा;

(ङ) उपर्युक्त बैठक में उठाये जाने वाले व्यापारिक मामलों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन द्वारा विकासशील देशों को किस प्रकार की सहायता दिए जाने की संभावना है; और

(च) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी मामलों को देखने वाले निकाय की प्राकृतिक सीमाओं को परिभाषित करने में विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारत ने विश्व व्यापार संगठन की व्यापार और पर्यावरण से संबंधित समिति (सीटीई) में राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रौद्योगिकीयों तथा इस्तेमाल के लिए आदेशित उत्पादों के अंतरण करने संबंधी पहुंच पर विचार-विमर्श शुरू किया था। इस संबंध में ट्रिप्स करार को उपयुक्ततः संशोधित करने के लिए कुछेक सुझाव दिए गए थे। इस विषय पर सिंगापुर मंत्री स्तरीय सम्मेलन के बाद सीटीई में विचार-विमर्श किया जाना जारी रहेगा।

(घ) सिंगापुर मंत्री स्तरीय सम्मेलन के बारे में भारत के रवैए को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ङ) समय-समय पर अंकटाड कार्यशालाओं, संगोष्ठियों तथा बैठकों का आयोजन करता है ताकि विश्व व्यापार संगठन की बात-चीत में विकासशील देशों की सहायता की जा सके। हाल ही में यू एन डी पी तथा अंकटाड ने जेनेवा में 30 सितंबर से 1 अक्तूबर, 1996 तक "व्यापार, पर्यावरण तथा स्थायी विकास" पर मंत्री स्तरीय पर गोलमेज बैठक भी आयोजित की थी।

विश्व की अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण अर्थात् "अंकटाड विश्वव्यापी पूंजीनिवेश मंच" में 10 अक्तूबर, 1996 को व्यापार और विकास बोर्ड के 43वें सत्र के भाग के रूप में विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश तथा विकास पर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।

(च) विश्व व्यापार संगठन के विषय क्षेत्र, कार्य तथा ढांचे का उल्लेख विश्व व्यापार संगठन को संस्थापित करने वाले मारक्केश करार के अनुच्छेद 2, 3 तथा 4 में किया गया है।

बैंक ऋणों में कमी

*223. **श्री अमर पाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर किए गए कुल ऋणों में गत वित्तीय वर्ष में इसी अवधि के दौरान दिये गये ऋणों की तुलना में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में यदि किन्हीं कारणों का पता लगाया गया है, तो वे कारण कौन से हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के 27 बैंकों के निवल खाधेतर बैंक ऋणों में निम्नानुसार वृद्धि दिखाई दी है:

(करोड़ रुपए)

के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	खाधेतर बैंक ऋण
सितम्बर, 1996	1,89,048
सितम्बर, 1995	1,67,032

जहां तक वित्तीय/निवेश संस्थाओं का संबंध है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि इन संस्थाओं द्वारा अप्रैल-सितम्बर, 1995 और 1996 के दौरान स्वीकृत और संवितरित सहायता निम्नानुसार थी :

(करोड़ रुपए)

	1995 (अप्रैल-सितम्बर)	1996 (अप्रैल-सितम्बर)	प्रतिशत अन्तर
संस्वीकृतियां	33,526	23,243	(-) 30.7
संवितरण	15,246	19,696	(+) 29.2

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने यह भी सूचित किया है कि मंजूरियों में यह गिरावट, मुख्य रूप से उन बड़ी परियोजनाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के कारण आई है, जिन्हें पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के तुलना में अप्रैल-सितम्बर 1996 के दौरान सहायता प्रदान की गई थी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों हेतु वेतन ढांचा समिति

*224. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

श्री टी. गोविन्दन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वर्तमान वेतन ढांचे की समीक्षा के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा किन-किन विषयों की समीक्षा की जाएगी, इसके सदस्य कौन-कौन हैं और समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस समिति द्वारा कोई अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्तमंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार के कहने पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के निर्धारण के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए एक समिति गठित की है। भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश की प्रतिलिपि संलग्न विवरण में दी गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, समिति के संगठन, विचारणीय विषय और निर्धारित समय-सीमा का उल्लेख किया गया है। समिति ने अभी तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

विवरण

कार्यपालक निदेशक

भारतीय रिजर्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय,
मुंबई

आदेश

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेग्रार्बै, के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के संबंध में समिति का गठन

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 17(1) के अनुसार भारत सरकार को क्षेग्रार्बैंकों के कर्मचारियों को देय वेतन एवं भत्तों का निर्धारण करना होता है। पिछली बार वेतन निर्धारण वर्ष 1991 में किया गया था, जिसे 1 सितम्बर, 1987 से प्रभावी बनाया गया था। तबसे अब तक हुए अनके परिवर्तनों के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक इसके द्वारा निम्नलिखित सदस्यों वाली एक समिति नियुक्त करती है, जो इस संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

(1) श्री एस.सी. महालिक, पूर्व सचिव, डाक विभाग, भारत सरकार — अध्यक्ष

(2) क्.वि. विश्वनाथन, पूर्व कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक — सदस्य

(3) श्री जे.वी.शेट्टी, पूर्व अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक, केनरा बैंक — सदस्य

2. समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे जाएंगे:-

(क) कर्मचारियों की परिलब्धियों के ढांचे की जांच करना और उनमें ऐसे परिवर्तनों का सुझाव देना, जो वांछनीय और संभव हों।

(ख) कर्मचारियों को इस समय मिलने वाले भत्तों एव अन्य लाभों की जांच करना और उनके युक्तिकरण तथा सरलीकरण के लिए सुझाव देना।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में "कार्य से जुड़े प्रोत्साहन" की प्रणाली आरंभ करने की वांछनीयता एवं संभाव्यता की जांच करना तथा ऐसे प्रोत्साहनों की प्रकृति, क्षेत्र विस्तार एवं ढांचे को स्पष्ट करना।

(घ) पूर्वोक्त विषयों पर सिफारिश करते समय समिति अन्य संबंधित तथ्यों के अलावा विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आकार, कारोबार का स्तर, उत्पादकता जैसे मानदंडों में भारी अन्तर को भी ध्यान में रखेगी।

3. समिति अपनी कार्यविधि स्वयं तैयार करेगी और वह ऐसी जानकारी मांग सकती है जिसे वह आवश्यक समझे। समिति इस संबंध

में कर्मचारियों, शेयर धारकों और ऐसे अन्य इच्छुक निकायों, यथा, जामकर्ताओं/उधारकर्ताओं के संगठनों के विचार पूछ सकती है।

4. यह समिति इस तिथि से तीन महीनों की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशें देगी।

मुंबई ह./-

नवम्बर 5, 1996 (जे.आर. प्रभू)

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड की बकाया राशि

***225. श्री नीतीश कुमार :**

प्रो. प्रेम सिंह चन्दू माजरा :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. की अपनी बड़ी उपभोक्ता संस्थाओं पर भारी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1996 में उन पर कुल कितनी राशि बकाया थी;

(ग) प्रमुख उद्योगों जैसे इस्पात, सीमेंट, उर्वरकों आदि पर उक्त राशि में से कितनी राशि बकाया है;

(घ) क्या विवादित राशि को भी उक्त बकाया राशि में शामिल किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त बड़े उद्योगों पर कुल बकाया राशि में से कितनी राशि विवादग्रस्त है; और

(च) उक्त विवाद के क्या कारण हैं और इनको निपटाने तथा बकाया राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्यमंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग). 31.3.96 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों को कोयले की बिक्री संबंधी देय बकाया राशि कुल 2962.26 करोड़ रु. की थी। उक्त तारीख को देय बकाया राशि का उपभोक्ता-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च). 31.3.96 की स्थिति के अनुसार विवादित देय बकाया राशि के उपभोक्ता-वार तथा कारण-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। कोयला कंपनियों द्वारा विवादित देय बकाया राशि का निपटारा किए जाने तथा उनकी वसूली किए जाने हेतु उपभोक्ताओं से निरंतर विचार-विमर्श किया जा रहा है। विवादित देय बकाया राशि का निपटारा किए जाने हेतु अधिनिर्णायकों की भी नियुक्ति कर दी गई है, ऐसे मामलों में जहां कि विद्युत-उपयोगिताओं की ओर बड़ी मात्रा में बकाया राशि देय है।

विवरण-I

31.3.96 की स्थिति के अनुसार रा.वि.बोर्डों/विद्युत उपयोगिताओं की ओर कोल इण्डिया लिमिटेड की देय बकाया राशि

(करोड़ रुपए में)

उपभोक्ता	विवादित	अविवादित	कुल
1	2	3	4
बी.एस.ई.बी.	22.88	62.24	85.12
यू.पी.एस.ई.बी.	80.79	263.45	344.24
पी.एस.ई.बी.	135.31	31.65	166.96
टी.एन.ई.बी.	57.33	5.96	63.29
एच.एस.ई.बी.	61.67	37.55	99.22
आर.एस.ई.बी.	19.97	17.20	37.17
एम.एस.ई.बी.	324.94	104.88	429.82
एम.पी.ई.बी.	15.32	58.40	73.72
जी.ई.बी.	23.79	100.79	133.58
डब्ल्यु.बी.एस.ई.बी.	3.55	64.00	67.55
डब्ल्यु.बी.पी.डी.सी.	8.23	56.71	64.94
ए.पी.एस.ई.बी.	4.44	-2.28	2.16

1	2	3	4
के.पी.सी.एल	5.23	-3.75	1.48
डी.पी.एल.	5.97	9.61	15.58
डी.वी.सी.	74.17	85.86	160.03
डी.ई.एस.यू.	32.79	-10.27	22.52
बी.टी.पी.एस.	153.70	199.97	353.67
एन.टी.पी.सी.	151.11	46.81	197.92
सी.ई.एस.सी.	1.65	2.00	3.65
ए.ई.सी.	17.52	-4.03	13.49
वी.एस.ई.बी.	0.24	-0.27	-0.03
अन्य	7.57	11.84	19.41
कुल विद्युत	1208.17	1147.32	2355.49
डी.एस.पी.	97.12	6.85	105.77
आर.एस.पी.	65.28	-10.05	55.23
बी.एस.पी.	122.39	13.14	135.53
बी.एस.एल.	61.74	10.11	71.85
अन्य सेल यूनिटें	-	0.14	0.14
इस्को	33.66	13.52	47.18
टिस्को	3.65	-0.98	2.67
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (परियोजना)	9.49	-1.08	8.41
कुल इस्पात	393.33	33.45	426.78
रेलवे	49.59	9.49	59.08
अन्य सरकारी पार्टियां	46.80	23.13	69.93
निजी पार्टियां	76.36	25.38	50.98
कुल जोड़	1774.25	1188.01	2862.26

विवरण-II

दिनांक 31.3.1996 को विवादित देय बकाया राशि के कारण-वार ब्यौरे का विवरण

(करोड़ रुपए में)

उपभोक्ता का नाम	गुणवत्ता	भारिता	उपकर	अन्य सांविधिक शुल्क	रेलवे	अन्य	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
बी.एस.ई.बी.	17.50	1.54	3.04		0.51	0.29	22.88
यू.पी.एस.ई.बी.	20.53	27.55	11.44	0.81	16.03	4.68	80.79
पी.एस.ई.बी.	51.74	16.04	14.32	0.10	40.83	6.46	135.31

1	2	3	4	5	6	7	8
टी.एन.ई.बी.	37.54	2.45	2.35	0.09	34.53	0.37	57.33
एच.एस.ई.बी.	37.80	9.76	6.37	0.05	3.83	3.86	61.67
आर.एस.ई.बी.	9.34	4.28	3.14			3.21	19.97
एम.एस.ई.बी.	142.74	120.16	5.68	12.19	35.40	8.77	324.94
एम.पी.ई.बी.	2.88	2.57	8.55	0.62		0.70	15.32
जी.ई.बी.	1.10	8.24	10.93	2.86	0.31	0.45	23.79
डब्लू.बी.एस.ई.बी.	0.53	–	–	1.39	1.41	0.22	3.55
डब्लू. बी.पी.डी.सी.	6.84	–	–	0.05	0.05	1.29	8.23
ए.पी.एस.ई.बी.	–	–	–	4.44	–	–	4.44
के.पी.सी.एल.	0.85	4.36	0.02	–	–	–	5.23
डी.पी.एल.	2.92	0.06	–	1.26	0.62	1.11	5.97
डी.वी.सी.	42.79	0.10	6.43	4.61	3.40	16.64	74.17
डी.वी.सी.	8.86	–	3.69	0.58	6.85	12.81	32.79
डी.ई.एस.यू.	17.72	15.18	18.06	1.71	14.60	16.43	153.70
एन.टी.पी.सी.	13.79	1.97	50.33	9.96	1.12	73.94	151.11
सी.ई.एस.सी.	0.46	0.30	–	–	0.65	0.24	1.65
ए.ई.सी.	10.21	3.96	0.86	0.27	–	0.22	17.52
अन्य	0.12	0.02	7.36	0.23	–	0.08	7.81
कुल विद्युत	506.26	220.54	142.27	41.42	145.91	151.77	1208.17
डी.एस.पी.	44.60	17.90	9.27	9.63	12.75	2.97	97.12
आर.एस.पी.	23.13	13.17	9.69	8.77	7.07	3.45	65.28
बी.एस.पी.	40.49	32.73	13.82	4.66	29.21	1.48	122.39
बी.एस.एल.	23.40	9.88	21.68	–	3.92	2.86	61.74
इस्को	20.97	1.54	5.93	2.38	0.03	2.81	33.66
टिस्को	–	–	–	0.32	–	3.33	3.65
विजाग	0.31	–	2.80	–	0.81	5.57	9.49
कुल इस्पात	152.90	75.22	63.19	25.76	53.79	22.47	393.33
अन्य (लोको अन्य सरकारी पार्टियों तथा निजी पार्टियों सहित)	38.77	9.78	90.96	1.52	4.06	27.66	172.75
जोड़	697.93	365.54	296.42	68.70	203.76	201.90	1774.25

[अनुवाद]

नशीले पदार्थों तथा सोने की जब्ती

*226. श्री सुरेश प्रभु :

श्री बी.एल. शर्मा 'प्रेम' :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार कितनी मात्रा में नशीले पदार्थ तथा सोना जब्त किया गया; और

(ख) सरकार द्वारा देश में नशीले पदार्थों तथा सोने की तस्करी रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). राज्यवार पकड़े गए नशीले पदार्थों की मात्रा का ब्यौरा विवरण-I से III में दिया गया है। चूंकि सोने के अभिग्रहण से संबंधित आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जा रहे हैं, अतः सोने के अभिग्रहण के कार्यालयवार ब्यौरे का विवरण IV में दिए गए हैं।

तस्करी रोधी उपायों को आसूचना एकत्र करने और सोने तथा नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने जैसे दोनों ही उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है। इन उपायों मे संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी रखना, विशेष आसूचना एकत्र करना और पत्तनों, विमानपत्तनों और भू-सीमा शुल्क केन्द्रों में धातुखोजियों, रंगीन असबाब एक्स-रे मशीनों जैसे अत्याधुनिक उपस्करों का उपयोग करना शामिल है। अधिकारियों को उनका कौशल और योग्यता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अधिकारियों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में वाहनों और संचार अपस्करों की संख्या भी उपयुक्त रूप से बढ़ा दी गई है। मुखबिरों और अधिकारियों के लिए पुरस्कार योजना को पूरे जोर-शोर के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। सरकार ने यात्री असबाब योजना के अंतर्गत 1992 से सोने के आयात को उदार बना दिया है ताकि भारतीय बाजार की मांग को पूरा करने के लिए वैध रूप से आयातित सोना उपलब्ध कराया जा सके। तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम करने के कार्य से जुड़ी विभिन्न आसूचना एजेंसिन्सयों और संगठनों के बीच घनिष्ठ तालमेल भी रखा जा रहा है।

विवरण-I

स्वापय औषध द्रव्यों और मनः प्रभावी पदार्थ का राज्य वार अभिग्रहण (किलोग्राम में) वर्ष 1994

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अफीम	हेरोइन	गांजा	हशीश	मैथाक्वलीन
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	-	-	35516	-	-
2. अरुणाचल प्रदेश	1	1	1631	-	-
3. असम	3	5	12648	-	-
4. बिहार	-	8	9207	694	-
5. गोवा	-	0.250	16	11	-
6. गुजरात	40	34	578	688	16921
7. हरियाणा	128	-	14	312	4
8. हिमाचल प्रदेश	4	-	1	170	-
9. जम्मू और कश्मीर	-	26	188	101	-
10. कर्नाटक	-	0.005	2681	0.130	2999
11. केरल	0.048	1	297	0.250	-
12. मध्य प्रदेश	987	44	5342	7	-
13. महाराष्ट्र	5	194	8487	168	721
14. मणिपुर	-	13	38576	-	-
15. मेघालय	-	8	1034	-	-
16. मिजोरम	-	7	528	19	-
17. नागालैंड	-	0.134	15260	-	-

	1	2	3	4	5	6
18.	उड़ीसा	0.317	–	3125	–	–
19.	पंजाब	375	32	–	26	–
20.	राजस्थान	393	427	221	2612	17
21.	तमिलनाडु	40	28	44775	–	4529
22.	त्रिपुरा	0.250	2	225	–	–
23.	उत्तर प्रदेश	134	40	2507	589	322
24.	पश्चिम बंगाल	135	4	3094	15	–
25.	दिल्ली	11	98	1914	1577	13316
26.	पांडिचेरी	–	–	0.350	–	–
27.	अंडमान निकोबार और द्वीपसमूह	–	–	31	–	–
28.	चंडीगढ़	–	39	–	3	–
	कुल योग	2256	1011	187896	6992	45319

विवरण–II

स्वापक औषध द्रव्यों और मनः प्रभावी पदार्थों का राज्य वार अभिग्रहण कि.ग्रा.में) वर्ष 1995.

राज्य	अफीम	मार्फीन	हेरोइन	गांजा	हशीश	कोकीन	मैथा-क्वलीन	फेनोव आरविटेल	एल.एस.डी.	एसेटिक एवं हाइड्रोइट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अंडमान निकोबार और द्वीपसमूह	0.000	0.000	0.000	8.000	0.095	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
आंध्र प्रदेश	0.000	0.000	0.000	66591.890	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
अरुणाचल प्रदेश	1.619	0.000	0.000	240.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
असम	1.521	0.000	2.213	4702.691	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
बिहार	0.000	0.000	0.375	2060.750	54.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
चंडीगढ़	35.030	0.000	87.968	0.000	0.280	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
दिल्ली	34.382	0.000	49.781	3147.380	556.242	0.000	6719.000	0.000	0.000	579.000
गुजरात	31.257	0.000	14.423	2536.464	461.063	0.000	3681.650	0.000	0.000	78.000
गोवा	0.000	0.000	0.012	16.820	10.581	0.000	0.000	0.000	113.000	0.000
हिमाचल प्रदेश	1.880	0.000	0.000	0.000	227.750	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
हरियाणा	82.240	0.000	0.000	20.500	144.530	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
जम्मू और कश्मीर	12.600	0.000	617.030	12.500	635.194	0.000	0.000	0.000	0.000	1095.000
केरल	0.215	0.000	1.021	117.705	0.073	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
कर्नाटक	0.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
मेघालय	0.000	0.000	0.593	2657.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
महाराष्ट्र	72.520	0.000	116.351	5770.266	127.078	0.100	3592.250	0.000	0.000	0.000
मणिपुर	0.000	0.000	0.888	9822.700	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
मध्य प्रदेश	171.820	0.000	7.539	1225.100	4.900	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
मिजोरम	0.480	0.000	8.169	133.389	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
नागालैंड	0.167	0.000	0.002	9811.475	78.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
उड़ीसा	0.000	0.000	0.000	79.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
पंजाब	438.820	0.000	406.060	1912.460	72.433	0.000	0.000	0.000	0.000	2505.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पांडिचेरी	0.000	0.000	0.004	0.573	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
राजस्थान	334.400	0.000	220.348	257.730	663.590	0.000	0.000	0.000	0.000	5025.000
तमिलनाडु	29.175	2.000	19.684	3277.261	0.000	39.560	1848.439	0.000	0.000	0.000
त्रिपुरा	0.000	0.000	0.950	411.925	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
उत्तर प्रदेश	80.308	1.962	110.356	3230.737	575.514	0.000	4643.984	0.000	0.000	0.000
पश्चिम बंगाल	10.805	0.000	18.095	3823.202	17.396	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
योग	1339.239	3.962	1677.662	12873.07	3629.219	39.660	20485.323	0.000	113.000	9282.000

विवरण–III

1990 के दौरान विभिन्न नशीले औषध द्रव्यों का राज्यवार अभिग्रहण (31.10.96 तक)

राज्य	अफीम	मार्फीन	हेरोइन	गांजा	हशीश	कोकीन	मैथा-क्वालीन	फेनोव आरविटेल	एल.एस.डी.	एसेटिक एवं हाइड्रोइट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अंडमान निकोबार और द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	3437.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अरुणाचल प्रदेश	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	2.87	0.00	1.11	4618.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार	8.00	0.00	0.12	107.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
चंडीगढ़	0.00	0.00	44.76	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
दिल्ली	15.14	0.00	163.61	588.40	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2117.00
गुजरात	78.58	0.00	10.51	361.46	34.15	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
गोवा	0.00	0.00	0.04	2.58	18.96	0.00	0.00	0.00	1285.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	1.60	0.00	0.00	0.00	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हरियाणा	44.75	0.00	0.00	0.10	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	163.00	0.00	194.44	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
केरल	0.30	0.00	0.04	97.61	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मेघालय	0.00	0.00	0.00	2156.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
महाराष्ट्र	662.83	0.00	107.93	910.04	175.68	0.23	265.70	0.00	0.00	0.00
मणिपुर	0.00	0.00	1.62	10718.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	402.36	0.00	33.23	1954.61	8.03	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	0.00	0.00	0.01	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नागालैंड	0.00	0.00	0.03	9063.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	29.00	0.00	0.00	1805.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	343.09	0.00	335.98	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	507.27	0.00	125.40	1403.81	134.62	0.47	0.00	0.00	0.00	1010.00
तमिलनाडु	0.31	0.00	39.16	2070.56	4125.25	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	33.65	1.11	23.70	2378.67	458.58	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	10.67	0.00	4.18	697.00	18.04	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	2141.071	1.109	1054.391	42406.08	5340.196	.955	481.376	0	1285	3193

विवरण-IV

क्र.सं.	आयुक्तालय, राजस्व आसूचना महानिदेशालय	अभिगृहीत सोने की मात्रा (कि.ग्रा. में) (अनन्तिम)		
		1994-95	1995-96	1996-97
1.	राजस्व आसूचना महानिदेशालय	178.223	189.356	68.219
2.	सी.शु.आ. सहार विमानपत्तन, मुम्बई	398.212	372.581	143.089
3.	सी.शु.आ. (निवारक) मुम्बई	67.620	25.917	46.130
4.	सी.शु.आ., कोचीन	0.155	0.087	2.671
5.	सी.शु. एव. के.उ.शु.आ., कोचीन	74.995	192.701	122.183
6.	सी.शु.आ. (निवारक), अहमदाबाद	27.663	15.960	16.537
7.	सी.शु.आ., बंगलौर	6.992	8.680	0.412
8.	सी.शु.आ., गोवा	शून्य	शून्य	14.997
9.	सी.शु. एव के.उ.शु.आ. पुणे	शून्य	शून्य	शून्य
10.	सी.शु. एवं के.उ.शु.आ., औरंगाबाद	शून्य	1.665	शून्य
11.	सी.शु.आ., कलकत्ता	25.223	25.478	1.090
12.	सी.शु.आ., चेन्नई	103.813	60.462	54.550
13.	सी.शु.आ., विशाखापत्तनम	0.083	0.518	0.640
14.	सी.शु. एवं के.उ.शु.आ., हैदराबाद	1.101	2.922	1.167
15.	सी.शु. एवं के.उ.शु.आ. गुंटूर	शून्य	1.400	शून्य
16.	सी.शु.आ. (निवारक), प.बंगाल	63.021	27.032	9.547
17.	सी.शु.आ. (नि.), लखनऊ	1.563	6.735	6.780
18.	सी.शु. एव के.उ.शु.आ., त्रिची	5.104	11.822	3.042
19.	सी.शु. एवं के.उ.शु.आ., चंडीगढ़	138.327	41.758	0.146
20.	सी.शु. एवं के.उ.शु.आ., जयपुर	24.290	5.351	0.117
21.	सी.शु.आ. (नि.), पटना	3.337	2.298	3.210
22.	सी.शु.आ., दिल्ली	132.497	102.893	86.357
23.	सी.शु. एवं के.उ.शु.आ., मेरठ	2.167	8.160	शून्य
24.	सी.शु. एवं के.उ.शु.आ., कानपुर	1.682	5.799	1.116
25.	सी.शु.आ., (नि.), शिलांग	19.684	4.964	3.511
26.	सी.शु.एवं के.उ.शु.आ., रायपुर	शून्य	2.356	1.167
27.	अन्य	1.466	31.217	12.736

सी.शु.आ. = सीमाशुल्क आयुक्त

सी.शु. एवं के.उ.शु.आ. = सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त

[हिन्दी]

हस्तशिल्प क्षेत्र हेतु योजना

*227. श्री एन.जे. राठवा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में विशेषकर गुजरात के आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में हस्तशिल्प क्षेत्र में कितने कारीगर/हस्तशिल्पकार लगे हुए हैं;

(ख) सरकार द्वारा हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास तथा हस्तशिल्प कारीगारों/हस्तशिल्पकारों के कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान योजना-वार हस्तशिल्प के विकास हेतु प्रत्येक राज्य सरकार को कितनी राशि प्रदान की गई है; और

(घ) इससे कितने हस्तशिल्पकारों/कारीगारों को लाभ हुआ है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) गुजरात राज्य सहित हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्यरत कारीगरों/शिल्पियों के राज्य-वार विस्तृत ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) सरकार द्वारा हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास तथा हस्तशिल्प में लगे कारीगरों/शिल्पियों के कल्याण के लिए राज्य निगम तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु बनायी गई योजनाओं में प्रदर्शनी तथा प्रचार, विपणन विकास सहायता, डिजाइन विकास, शिल्प विकास केन्द्रों की स्थापना वर्कशेड सह-आवास, सामूहिक बीमा तथा हैल्थ पैकेज आदि शामिल हैं।

(ग) सरकार की हस्तशिल्प के संवर्धन के लिए राज्य सरकारों को सीधे सहायता देने की कोई योजना नहीं है, तथापि, राज्य निगमों/शीर्ष सहकारी समितियों तथा स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हस्तशिल्प के विकास के लिए ऐसे संगठनों को पिछले तीन वर्षों के दौरान (राज्यवार और योजनावार) दी गई राशि के विस्तृत ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) सरकार द्वारा हस्तशिल्प के विकास के लिए विभिन्न अभिकरणों को दी गई राशि से पिछले 3 वर्षों के दौरान लाभान्वित हुए कारीगरों/शिल्पियों की संख्या 15 लाख होने का अनुमान है।

विवरण-I

अनुमानित रोजगार (लाख में)

राज्य	कारीगर (96-97)
असम	1.46
आन्ध्र प्रदेश	1.56
अरुणाचल प्रदेश	0.02
अण्ड. एवं निको. द्वीपसमूह	0.02
बिहार	2.24
दिल्ली	1.63
हरियाणा	2.07
हिमाचल प्रदेश	0.85
गुजरात	4.89
गोवा	0.11
जम्मू एंव कश्मीर	7.56
कर्नाटक	4.21
केरल	0.15
मिजोरम	0.08
मध्य प्रदेश	1.50
मेघालय	1.02
मणिपुर	3.92
महाराष्ट्र	4.74
नागालैण्ड	1.26
उड़ीसा	1.11
पाण्डिचेरी	0.01
पंजाब	0.90
राजस्थान	5.23
सिक्किम	0.15
त्रिपुरा	2.57
तमिलनाडु	1.28
पश्चिम बंगाल	5.72
उत्तर प्रदेश	14.55
कुल	70.80

विवरण-II

वर्ष 1993-94
(लाख रुपये में)

प्लान योजनाओं का नाम

क्र.सं.	राज्य	प्रदर्शनी	प्रचार	डिजाइन	प्रशिक्षण	विपणन	विपणन विकास केन्द्र	सर्वेक्षण अध्ययन	कल्याण	शिल्प विकास केन्द्र	लुप्तप्रायः शिल्पों का पुनरूत्थान	सभी योजनाओं का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	15.95	3.00	3.81	7.56	12.20	35.78	0.10	–	8.25	–	86.65
2.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	0.42	–	–	–	–	–	2.89	3.31
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	1.31	–	2.56	–	–	–	–	–	–	3.87
4.	असम	12.09	1.09	–	2.78	3.63	4.78	1.48	–	–	–	25.85
5.	बिहार	2.00	2.95	0.12	7.18	0.80	–	3.51	–	2.84	–	19.40
6.	दिल्ली	35.44	15.36	9.56–	1.87	9.09	–	–	–	3.56	–	74.88
7.	गोवा	2.54	–	–	1.82	9.00	2.25	–	–	–	–	15.61
8.	गुजरात	14.52	1.87	7.07	16.27	–	2.50	2.03	–	3.75	–	48.01
9.	हरियाणा	11.99	–	–	3.54	17.09	24.72	–	–	3.09	–	60.43
10.	हिमाचल प्रदेश	16.14	–	–	3.64	0.45	2.50	–	–	1.68	–	24.41
11.	जम्मू और कश्मीर	23.06	3.89	–	5.00	–	5.26	–	–	–	–	37.21
12.	कर्नाटक	10.32	0.15	–	3.76	–	16.82	4.70	–	4.39	–	40.14
13.	केरल	15.14	0.35	–	3.63	–	49.32	–	–	3.56	–	72.00
14.	मध्य प्रदेश	12.48	2.04	0.60	4.54	37.26	8.00	3.26	–	–	–	68.18
15.	महाराष्ट्र	9.44	11.77	–	5.50	–	0.75	1.49	–	–	–	28.95
16.	मणिपुर	–	–	–	8.63	–	6.72	–	–	2.25	–	17.60
17.	मेघालय	–	–	–	0.70	–	–	–	–	–	–	0.70
18.	मिजोरम	1.52	0.47	–	0.00	–	–	–	–	–	–	1.99
19.	नागालैंड	1.79	–	–	0.73	–	2.50	–	–	–	–	5.02
20.	उड़ीसा	16.61	0.75	0.59	24.89	5.47	41.14	0.99	–	1.87	3.16	95.47
21.	पंजाब	9.41	0.50	–	16.96	0.61	12.58	–	–	–	–	40.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	पांडिचेरी	3.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.76
23.	राजस्थान	14.65	-	-	2.93	5.80	9.38	-	-	-	-	32.76
24.	सिक्किम	-	-	-	2.19	-	-	-	-	-	-	2.19
25.	तमिलनाडु	30.50	2.19	4.13	10.08	-	10.00	-	-	5.21	0.30	62.41
26.	त्रिपुरा	1.38	-	-	1.11	-	-	-	-	-	-	2.49
27.	उत्तर प्रदेश	61.97	15.85	10.60	83.32	16.98	26.41	3.49	-	11.37	-	229.99
28.	पश्चिम बंगाल	8.78	2.22	7.43	10.02	5.99	18.75	-	-	1.87	4.60	59.66
	जोड़	331.48	65.76	43.91	231.63	124.37	280.16	21.05	0.00	53.69	10.95	1163.00

टिप्पणी : इन आंकड़ों में बहु-राज्य कार्यकलापों के लिए दी गई सहायता राशि शामिल नहीं है।

प्लान योजनाओं का नाम

वर्ष 1994-95
(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	प्रदर्शनी	प्रचार	डिजाइन	प्रशिक्षण	विपणन	विपणन विकास केन्द्र	सर्वेक्षण अध्ययन	कल्याण	शिल्प विकास केन्द्र	लुप्तप्रायः शिल्पों का पुनरूत्थान	सभी योजनाओं का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	17.95	2.76	3.60	10.57	6.82	37.25	4.28	4.50	-	6.27	94.00
2.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.80	-	-	0.11	-	-	0.62	-	-	-	1.53
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	2.56	-	-	-	-	-	-	2.56
4.	असम	17.21	1.82	-	5.25	6.67	7.00	-	-	1.66	-	39.61
5.	बिहार	1.00	-	0.11	11.28	-	-	2.38	-	-	2.51	17.28
6.	दिल्ली	34.71	24.37	7.25	0.70	31.25	-	13.99	-	-	-	112.27
7.	गोवा	4.66	-	-	1.72	0.71	-	-	-	-	-	7.09
8.	गुजरात	20.19	0.41	0.27	17.33	-	10.00	2.85	-	-	-	51.05
9.	हरियाणा	13.12	-	3.60	3.18	17.45	4.00	2.00	-	-	-	43.35
10.	हिमाचल प्रदेश	24.64	6.70	-	6.09	-	5.50	1.28	-	-	-	44.21
11.	जम्मू व कश्मीर	23.19	-	-	8.77	-	10.51	3.14	-	-	-	45.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	कर्नाटक	10.81	2.88	1.37	5.33	-	6.95	5.60	-	0.46	-	33.40
13.	केरल	15.74	-	-	5.76	6.75	4.00	0.85	-	5.51	-	38.91
14.	मध्य प्रदेश	18.28	7.40	2.78	14.52	16.93	13.24	3.42	3.96	17.80	1.50	99.83
15.	महाराष्ट्र	9.36	3.59	2.80	12.59	6.08	-	3.28	-	-	-	37.70
16.	मणिपुर	1.00	1.28	1.20	5.91	-	-	-	-	1.87	-	11.26
17.	मेघालय	-	-	-	3.80	-	-	-	-	-	-	3.80
18.	मिजोरम	3.00	-	-	-	-	-	-	4.00	-	-	7.00
19.	नागालैंड	0.97	1.13	-	5.07	-	-	-	-	-	-	7.17
20.	उड़ीसा	27.23	5.57	4.59	13.45	5.13	14.09	5.08	-	-	5.13	80.27
21.	पंजाब	7.60	-	-	5.10	-	-	3.10	-	-	-	15.80
22.	पांडिचेरी	1.80	-	-	-	-	-	0.13	-	-	-	1.93
23.	राजस्थान	12.64	-	1.20	6.85	3.37	-	6.76	-	1.66	-	32.48
24.	सिक्किम	-	-	-	1.77	-	-	-	-	-	-	1.77
25.	तमिलनाडु	27.50	-	8.46	11.15	-	17.50	2.57	-	4.54	-	71.72
26.	त्रिपुरा	2.42	1.86	-	5.15	-	0.13	-	12.00	-	-	21.56
27.	उत्तर प्रदेश	82.46	26.41	38.20	102.09	19.91	88.13	8:99	-	17.13	0.30	383.62
28.	पश्चिम बंगाल	15.14	2.57	3.55	12.79	12.57	7.84	3.85	-	4.16	-	62.47
	जोड़	393.42	88.75	78.98	278.89	133.64	226.14	74.17	24.46	55.09	[illegible]	1369.25

टिप्पणी : इन आंकड़ों में बहु-राज्य कार्यकलापों के लिए दी गई सहायता राशि शामिल नहीं है।

प्लान योजनाओं का नाम

वर्ष 1995-96
(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	प्रदर्शनी	प्रचार	डिजाइन	प्रशिक्षण	विपणन	विपणन विकास केन्द्र	सर्वेक्षण अध्ययन	कल्याण	शिल्प विकास केन्द्र	लप्तुप्रायः शिल्पों का पुनरुत्थान	सभी योजनाओं का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	17.46	1.89	3.60	7.39	17.14	1.97	5.49	-	1.87	6.37	63.18
2.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-	-	-	1.50	-	-	-	1.50

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3. अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	1.75	–	–	1.96	–	–	–	3.71
4. असम	16.15	1.39	–	6.08	6.50	54.77	4.85	41.00	–	–	130.74
5. बिहार	1.43	0.07	2.11	16.00	1.13	–	5.70	–	–	–	26.44
6. दिल्ली	38.25	40.24	11.79	13.64	62.94	–	33.57	–	1.88	–	202.31
7. गोवा	3.50	–	–	1.58	–	–	–	–	–	–	5.08
8. गुजरात	28.66	2.50	0.80	19.21	–	10.00	13.62	–	5.63	–	80.42
9. हरियाणा	10.24	–	3.60	6.04	5.00	1.93	4.79	–	1.87	–	33.47
10. हिमाचल प्रदेश	38.32	1.66	4.20	5.12	–	45.00	3.08	–	1.87	0.30	99.55
11. जम्मू और कश्मीर	26.00	1.66	–	7.44	–	2.50	3.01	–	–	–	40.61
12. कर्नाटक	10.67	1.93	0.43	2.94	–	2.50	3.42	–	–	–	21.89
13. केरल	38.47	–	–	9.56	1.51	12.42	2.05	–	6.01	–	70.02
14. मध्य प्रदेश	18.85	–	11.62	16.75	19.36	28.42	8.21	6.20	17.80	0.30	127.51
15. महाराष्ट्र	10.45	1.80	6.00	8.07	3.07	–	7.87	–	3.56	–	40.79
16. मणिपुर	–	0.28	–	8.06	–	–	6.79	–	–	0.30	15.43
17. मेघालय	–	–	–	0.53	–	–	5.88	–	–	–	6.41
18. मिजोरम	–	–	–	–	–	–	1.70	–	–	–	1.70
19. नागालैंड	3.00	3.00	–	2.02	–	–	3.88	–	–	–	11.90
20. उड़ीसा	37.39	1.27	2.79	23.75	2.11	28.56	5.82	–	8.81	–	110.50
21. पंजाब	9.39	–	–	9.60	0.56	–	4.20	–	–	–	23.75
22. पांडिचेरी	3.56	–	–	–	–	–	0.30	–	–	–	3.86
23. राजस्थान	13.61	1.93	9.92	6.42	0.81	1.62	8.21	8.00	–	–	50.52
24. सिक्किम	–	–	–	1.17	–	–	0.97	–	–	–	2.14
25. तमिलनाडु	30.14	–	–	20.19	1.12	10.00	6.16	7.30	7.12	0.30	82.33
26. त्रिपुरा	2.47	4.03	–	2.56	–	–	3.88	–	–	–	12.94
27. उत्तर प्रदेश	109.38	23.52	97.20	138.92	16.76	54.04	21.57	94.81	50.00	–	606.20
28. पश्चिम बंगाल	15.85	4.65	0.31	13.54	5.50	12.06	9.25	–	1.87	–	64.03
जोड़	484.24	91.82	154.37	348.33	143.48	265.79	177.73	157.31	108.29	7.57	1938.93

टिप्पणी : इन आंकड़ों में बहु-राज्य कार्यकलापों के लिए दी गई सहायता राशि शामिल नहीं है।

[अनुवाद]

निर्यात निष्पादन की समीक्षा

*228. **डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :**

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश स्थित भारतीय मिशनों के वाणिज्यिक स्कंध स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इनके उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त स्कंधों के निर्यात संवर्धन संबंधी कार्यनिष्पादन की हाल ही में कोई समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन स्कंधों के कार्यनिष्पादन को संतोषजनक पाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) सरकार द्वारा इन स्कंधों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). जी हां। इस समय विदेशों में 66 वाणिज्यक स्कंध हैं ये स्कंध अपने प्रत्यायन के देश के साथ भारत के व्यापार और आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने में सहायता देने के अतिरिक्त देश की आर्थिक तथा व्यापार नीतियों को तैयार करने में परामर्श तथा सहायता देते हैं।

(ग) और (घ). विदेश में वाणिज्यिक स्कंधों के कार्यचालन के आवधिक रूप से सतत आधार पर निगरानी की जाती है।

.(ङ) और (च). वाणिज्यिक स्कंधों का कार्य-निष्पादन भारत के अतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करने, उसमें विविधता लाने तथा बढ़ाने में उपयोगी पाया गया है।

(छ) इन उपायों में शामिल हैं- दुतरफा सूचयना आदन-प्रदान प्रणाली को उद्यतन बनाना, व्यापार से संबंधित आंकड़ा आधार तथा भारत के वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के क्षेत्रवार सम्मेलन आयोजित करना, आदि।

इक्विटी अंश में वृद्धि

*229. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्पनियों के इक्विटी अंश में वृद्धि किए जाने संबंधी विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई; और

(ग) इन परियोजनाओं को कुल कितनी पूंजी का निवेश किया गया है, इनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी होगी और इनसे कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ग). जी, हां। चालू वित्त वर्ष, अर्थात् 1.4.96 से 30.9.96 के दौरान सरकार द्वारा ऐसे 85 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं जिनमें इक्विटी अंश में वृद्धि करना शामिल था। इन प्रस्तावों में विभिन्न क्षेत्रों जैसे, बिजली, सेवायें, विद्युत उपकरण, रसायन (उर्वरकों को छोड़कर) तथा खाद्य प्रसंस्करण, आदि में 1806.12 करोड़ रुपये के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की परिकल्पना है। 1.4.96 से 30.9.96 की अवधि के दौरान इक्विटी के मामलों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि का क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन प्रस्तावों के ब्यौरे, जैसे, विदेशी सहयोगकर्ता तथा उसके देश का नाम, संबद्ध इक्विटी निवेश, विनिर्माण की मद/कार्यकलाप भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा मासिक न्यूजलेटर के अनुपूरक के रूप में प्रकाशित किये जाते हैं और उनकी प्रतियां नियमित रूप से संसदीय ग्रंथागार को भेजी जाती हैं।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) के विशिष्ट संदर्भ में रोजगार सृजन के आंकड़े नहीं रखे जाते। रोजगार का संबद्धीकरण औद्योगिक अनुमोदनों, अर्थात् एल ओ आई (लाइसेंसीकृत क्षेत्र के लिए) तथा औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापनों (लाइसेंसमुक्त क्षेत्रों के लिए) से होता है। इन अनुमोदनों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली परियोजनाएं भी शामिल होती हैं। इसी प्रकार परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से कोई विशिष्ट संबंध नहीं होता। सरकार की 1991 की नयी औद्योगिक नीति के अनुसार अधिकांश उद्योगों के लाइसेंसमुक्त कर दिये जाने से, क्षमता की कोई बाधा नहीं है।

विवरण

दिनांक 1.4.96 से 30.9.96 तक की अवधि में स्वीकृत इक्विटी मामलों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वृद्धि के क्षेत्रवार ब्यौरे

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	उद्योग का नाम	कुल	कुल तकनीकी	वित्तीय	स्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि	स्वीकृत कुल राशि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	**धातुकर्मी उद्योग**					
	लौह	1	0	1	2.03	0.11
	अलौह	1	0	1	0.63	0.03
	योग	2	0	2	2.66	0.15
2.	**ईंधन**					
	बिजली	1	0	1	39.00	2.16
	तेल शोध शाला	4	0	4	672.18	37.22
	योग	5	0	5	711.18	39.38
3.	**बायलर तथा भाप जनित्रण संयंत्र**	1	0	1	0.41	0.02
4.	**विद्युत उपकरण**					
	विद्युत उपकरण	8	0	8	138.67	7.68
	कंप्यूटर साफ्टवेयर उद्योग	2	0	2	8.03	0.44
	इलेक्ट्रोनिक्स	4	0	4	22.01	1.22
	योग	14	0	14	168.71	9.34
5.	**दूरसंचार**					
	दूरसंचार	1	0	1	5.10	0.28
	दूरसंचार (सूचना एवं प्रसारण)	1	0	1	0.03	0.00
	योग	2	0	2	5.13	0.28
6.	**परिवहन उद्योग**					
	आटोमोबाइल उद्योग	3	0	3	5.87	0.32
	वायुयान/समुद्री परिवहन	1	0	1	2.00	0.11
	जोड़	4	0	4	7.87	0.44

1	2	3	4	5	6	7
7.	औद्योगिक मशीनरी	7	0	7	18.43	1.02
8.	मशीनी औजार	1	0	1	1.82	0.10
9.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरी	11	0	11	23.18	1.28
10.	औद्योगिक उपकरण	1	0	1	1.69	0.09
11.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	8	0	8	63.62	9.06
12.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म तथा पेपर	1	0	1	0.30	0.02
13.	औषध तथा भेषज	1	0	1	4.31	0.24
14.	वस्त्र (रंजक, मुद्रित सहित)	3	0	3	25.79	1.43
15.	**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग**					
	खाद्य उत्पाद	4	0	4	67.20	3.72
	समुद्री उत्पाद	1	0	1	3.44	0.19
	योग	5	0	5	70.64	3.91
16.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	1	0	1	4.00	0.22
17.	रबड़ की वस्तुएं	1	0	1	0.00	0.00*
18.	चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं तथा पिकर्स	1	0	1	0.12	0.01
19.	कांच	1	0	1	2.10	0.12
20.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	2	0	2	16.44	0.91
21.	**परामर्शदायी सेवाएं**					
	डिजाइन तथा इंजी. सेवाएं	4	0	4	0.45	0.02
	प्रबंध सेवाएं	1	0	1	0.36	0.02
	विपणन	1	0	1	0.15	0.01
	योग	6	0	6	0.95	0.05
22.	**सेवा क्षेत्र**					
	गैर-वित्तीय सेवाएं	1	0	1	570.30	31.58
	योग	1	0	1	570.30	31.58
23.	ट्रेडिंग कम्पनी	1	0	1	0.00	0.00**
24.	**विविध उद्योग**					
	बागवानी	2	0	2	2.05	0.11
	अन्य (विविध उद्योग)	3	0	3	4.42	0.24
	योग	5	0	5	6.47	0.36
	योग	85	0	85	1806.12	

* इक्विटी में 59.93 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक की वृद्धि राशि नहीं दर्शाई गई है।

** इक्विटी केवल 39,000 रुपये है।

बुनियादी ढांचे संबंधी निवेश

*230. **श्री के. परसुरामन :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बुनियादी ढांचे उपभोक्ता और सामाजिक क्षेत्र में निवेश करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नीतिगत निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो किस क्षेत्र में नीति निवेश का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ङ). सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति में आधारभूत संरचना के क्षेत्रों में निवेश के लिये निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। विभिन्न आधारभूत संरचना के क्षेत्रों में निजी सहभागिता के लिये संबंधित मंत्रालयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय नीतियों की घोषणा की गई है। इन नीतियों के अनुसार विद्युत, दूरसंचार, पत्तनों, सड़कों आदि में सहभागिता के लिये निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

विदेशी वाणिज्यिक ऋण

*231. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विदेशी वाणिज्यिक ऋण लेने हेतु कितनी कंपनियों ने सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर ली है तथा उन कंपनियों में से ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिन्होंने अब तक उन ऋणों का उपयोग नहीं किया है; और

(ख) इन ऋणों का उपयोग न करने वाली कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क)

वर्ष	विदेशी वाणिज्यिक उधारों के लिए अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	उन प्रस्तावों की संख्या जिनका अनुमोदन समाप्त हो गया है।
1993-94	143	41
1994-95	330	73
1995-96	308	72

(ख) विदेशी वाणिज्यिक उधारों संबंधी विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदन विद्युत परियोजनाओं के मामले में एक वर्ष और अन्य सभी मामलों में छह माह की अवधि के लिए वैध होते हैं। यदि कंपनियां निर्धारित अवधि के भीतर वित्त मंत्रालय को ऋण संबंधी करार प्रस्तुत नहीं कर पाती हैं तो अनुमोदनों को स्वतः समाप्त हुआ मान लिया जाता है।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड में ठेका श्रमिक

*232. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. एवं इसकी सहायक कंपनियों में ठेका श्रमिकों को कुछ विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोल इंडिया लि. एवं इसकी सहायक कंपनियां कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम का उल्लंघन कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसमें लिप्त अधिकारियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कंपनियां स्थाई तथा नियमित स्वरूप के कार्यों का निष्पादन किए जाने हेतु ठेके के आधार पर श्रमिकों को नियोजित नहीं करती हैं। किंतु, ऐसे कार्य जो कि ठेका श्रम (विनियमन एंव उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अंतर्गत निषेधात्मक श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ठेकेदारों को दे दिया जाता है, जो कि अपने स्वयं के श्रमिकों को नियोजन करते हैं।

(ग) कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कंपनियां, ठेका श्रमिक (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों पर निकटतम रूप में निगरानी रखती हैं ताकि इसके किसी भी तरह के उल्लंघन को रोका जा सके।

(घ) और (ङ). उपर्युक्त को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

उत्पाद शुल्क संबंधी लम्बित विवाद

*233. **श्री जी. वेंकट स्वामी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पाद शुल्क संबंधी कितने विवादग्रस्त मामले निर्णय के लिए गत पांच वर्षों से भी अधिक समय से लंबित हैं;

(ख) इन विवादग्रस्त मामलों में कितनी राशि अतर्ग्रस्त है और इन मामलों के अनिर्णीत पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का उत्पाद शुल्क संबंधी लंबित विवादों के शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाने विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). विगत 5 वर्षों से अधिक अवधि से न्यायनिर्णयन के लिए लम्बित पड़े उत्पाद शुल्क के विवादग्रस्त मामलों की संख्या 6813 है।

इन विवादग्रस्त मामलों में लगभग 814.38 करोड़ रु. की राशि रुकी पड़ी है। इन मामलों से मिलते जुलते बहुत से मामले सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण, उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय में अनिर्णीत पड़े हैं।

अधिकरण और न्यायालयों के समक्ष न्यायनिर्णयन और अपील के स्तर पर पड़े मामलों को तीव्र अंतिम रूप दिए जाने के लिए बहुत से उपाए किए जा रहे हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ न्यायनिर्णयन के संबंध में कार्रवाई करने हेतु आयुक्तों के और पद स्वीकृत करना, विभिन्न स्तरों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अधिकारियों की न्यायनिर्णय संबंधी शक्तियों की समीक्षा करना केवल जटिल स्वरूप के ही कुछेक मामलों का निपटान करने के लिए एक समान न्याय निर्णायकों की नियुक्ति करना और विभाग की ओर से पैरवी करने हेतु वरिष्ठ वकीलों की नियुक्ति करना शामिल है।

[हिन्दी]

मसाला प्रसंस्करण तथा पैकेजिंग एकक

***234. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :**
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मसाला बोर्ड द्वारा मसाला प्रसंस्करण तथा पैकेजिंग और तेलीय बरोजा (ओलियोरेजिन) एककों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के लघु उद्योग एककों को कोई सहायता दी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कोई बहुराष्ट्रीय कम्पनी इन उत्पादों का देश में विपणन कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार को इस क्षेत्र में संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) मसालों के निर्यात तथा उत्पादन पर ऐसे संयुक्त उद्यमों का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). जी, हां। मूल्य वर्द्धित मसाले तथा ऑयल रेजिन्स के निर्यात का संवर्धन करने के लिए कार्यान्वित की जा रही कुछेक स्कीमों में ये शामिल हैं :

(1) मसाला प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना करने तथा नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए मसाला निर्यातकों को प्रोद्योगिकी अंतरण तथा प्रक्रिया उन्नयन के लिए सहायता अनुदान देना।

(2) उपरोक्त पैकों में अनुमोदित ब्रांडों के मसाले के निर्यातकों को ब्याज मुक्त ऋण देना।

(3) अनुसंधान संस्थानों/अभिकरणों के माध्यम से उत्पाद विकास अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए अनुसंधान तथा विकास कार्य शुरू करने हेतु सहायता देना।

(4) आई एस ओ 9000 के अंतर्गत प्रोद्योगशाला तथा प्रत्यायन की स्थापना करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करना।

(5) निर्यात् के लिए पैकेजिंग लागत को पूरा करने हेतु सहायता-अनुदान देना।

(6) उपभोक्ता पैकों में मसालों का निर्यात करने वाले निर्यातकों को गुणवत्ता की मान्यता के रूप में स्पाइस हाउस सर्टिफिकेट्स तथा इंडियन स्पाइस लोगो प्रदान करना।

(ग) और (घ). मसाला बोर्ड की विभिन्न योजनाओं को सभी प्रकार के लाभों को लघु उद्योग भी प्राप्त कर सकते हैं।

(ङ) और (च). बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश में मसाला प्रसंस्करण में लगी हुई हैं। मसाला सहित कृषि क्षेत्र में 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों के रूप में पंजीकृत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत तक घरेलू टेरिफ क्षेत्र में बिक्री करने की अनुमति है। मैककोर्मिक और बर्नस फिलिप ने देश में अपने उत्पादों का विपणन नहीं किया है।

(छ) और (ज). कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने मसालों के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक स्थापित करने में रुचि दिखाई है। कुछ प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिन्होंने संयुक्त उद्यम/विदेशी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में भारत में मसाला प्रसंस्करण एककों की स्थापना की है, वे हैं :- मैककोर्मिक और बर्नस फिलिप।

(झ) इन संयुक्त उद्यमों की स्थापना से देश नई प्रोद्योगिकियों तथा पूंजी के प्रवेश प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए देश के भीतर ही कच्चे माल की व्यवस्था उपजकर्ता की आय में वृद्धि तथा मूल्यवर्द्धित मसालों/मसाला उत्पादों के निर्यात में वृद्धि के माध्यम से लाभान्वित हुआ है।

[अनुवाद]

लाल मिर्च का निर्यात

*235. **श्री सिद्दय्या कोटा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष लाल मिर्च की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश में हाल में आए तूफान के कारण लाल मिर्च को फफूंद लगने से बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ताकि निर्यात के लिए इसे अस्वीकार न किया जाए।

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रमैया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मिर्च की निर्यात की गई कुल मात्रा और मूल्य के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य करोड़ रु.
1993-94	30,776	72.14
1994-95	20,096	57.12
1995-96(अ.न)	56,073	194.15

(स्रोत: मसाला बोर्ड, कोची, डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता)

(ख) सरकार ने निर्यात के लिए मसाला-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं। मसाला बोर्ड ने 1996-97 के लिए 160 करोड़ रु. मूल्य की 40,000 मी. टन मिर्च के निर्यात का लक्ष्य रखा है।

(ग) मसाला बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से कृषि विभाग, आन्ध्र प्रदेश के साथ मिर्च की फसल के बाद उसके रख-रखाव के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपजकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे फसल कटाई के बाद फली को ढेर में 2-3 दिनों तक या तो घर के अंदर या सूर्य की किरणों से दूर छाया में एकत्र करें ताकि वे 22° - 25° सें. के तापमान पर एक समान लाल रंग के हो सकें। इसके पश्चात् फलियों को साफ, सूखी चटाई, सीमेंट अथवा कंकरीट तलों/बरामदों, इत्यादि में धूप में फैलाकर सूखाएं ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये फलियाँ सुखाने वाले स्थल अथवा प्रांगण से किसी प्रकार दुषित न हो। फलियों को पतली परतों में फैलाकर समय-समय पर परतों को उलट पलट कर सूखाने से एक समान सूखती हैं ऐसा करना फलियों में फफूंदी लगाने और इनके बदरंग होने से बचने के लिए आवश्यक है। सामग्री को रात के वक्त ढेर लगाकर उठे साफ बोरियों/तिरपाल से ढक देना चाहिए। जब सुखाई गई मिर्च की फलियों में आद्रता का स्तर 15 प्रतिशत से कम हो जाता है ता उन्हें साफ सूखे बोरों में पैक करके स्टोर कर देना चाहिए। ऐसा करते समय इन्हें नमी से बचाना चाहिए। भरी हुई बोरियों का ढेर लगाने के लिए कपड़ों से आद्रता अंदर तक प्रवेश हो इसके लिए काष्ठ पर रखना होता है। इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि बोरियों का ढेर दीवार से 50-60 सें.मी. दूर हो।

कोयला धोवन शालाएं

*236. **श्री मोहन रावले** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. का कोयले की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से कायेला खानों के निकट कुछ और कोयला धोवन शालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग). 4 कोयला वाशरियों, अर्थात् सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. में 2.60 मि. टन प्रति वर्ष क्षमता वाली केडला (कोककर) तथा 6.5 मि. टन प्रति वर्ष क्षमता वाली पीपरवार (अकोककर), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में 2.50 मि. टन प्रति वर्ष क्षमता वाली मधुबन्द (कोककर) और नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में बीना (अकोककर) 4.5 मि. टन प्रति वर्ष क्षमता वाली वाशरी पूर्ण होने के अंतिम चरण में है।

कोल इण्डिया लिमिटेड (को.इं.लि.) द्वारा निम्नालिखित 4 स्थलों पर "स्व-निर्मित-स्व-चालित" आधार पर वाशरियों को स्थापित किए जाने हेतु निजी निवेशकों को आशय-पत्र जारी किए गए हैं:-

वाशरी का नाम	क्षमता (मिलियन टन प्रति वर्ष)
टीपका (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड)	6.00
कलिंगा (महानदी कोलफील्ड्स लि.)	8.00
अनन्ता-भरतपुर (महानदी कोलफील्ड्स लि.)	5.20
सास्ती (वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड)	1.50

इसके अलावा, को.इं.लि. द्वारा वाशरियों की स्थापना किए जाने हेतु 2 और स्थलों को विनिर्दिष्ट किया है, अर्थात रायगढ़ (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) और टीकाक (नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स)।

भारतीय वस्तुओं पर पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंध

*237. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा समुद्री-उत्पादों, रंगाई और रंगाई सामग्री और चमड़े पर लगाए गए पर्यावरणीय प्रतिबंधों के

कारण भारत को इनके निर्यात में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा निर्यातकों की सहायतार्थ इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग). पर्यावरण एवं स्वास्थ्य एंव सुरक्षा की वजह से कुछ पाश्चात्य देशों द्वारा कुछ विनियमन अपनाने से भारत सरकार के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह समुद्री उत्पाद, रंग-रोगन और चर्म के निर्यात पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए कुछ उपाय करे। इस बारे में विवरण इस प्रकार है:-

समुद्री उत्पाद : वर्ष 1995 में यूरोपीय संघ ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे जिसमें विशेष रूप से प्रसंस्करण करने वाले संयत्रों के स्वास्थ्य मानकों तथा सामान्य रूप से अन्य उत्पादन से जुड़े कार्य-कलापों को सुधारने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। यूरोपीय संघ इस बात के लिए आग्रह करता है कि कच्ची समाग्री की प्राप्ति से लेकर उसके बनकर निर्यात होने तक गुणवत्ता और स्वास्थ्य मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। इस बारे में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) और भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) ने समुद्री उतपाद के निर्यातकों को सलाह दी है कि वे अपेक्षित मानकों के अनुरूप अपनी सुविधाओं का उन्नयन करें।

संयुक्त राज्य अमरीका में अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय द्वारा दिनांक 29.12.95 को दिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप अमरीकी सार्वजनिक कानून सं. 101-162 की धारा 609 के तहत जंगल में उत्पादित श्रिम्प का यू एस ए में आयात तब तक न किया जाए जब तक कि निर्यातक देश को कछुआ संरक्षण देश के रूप में प्रमाणित न कर दिया गया हो। केवल मत्स्य मालन इकाइयों से प्राप्त श्रिम्पों का 1.5.96 से यूएसए में आयात करने की अनुमति है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) को संयुक्त राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित (डीएससी-121) एक ऐसे प्रमाण-पत्र पर प्रति हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत कर चुकी है जिसके बारे में संबंधित निर्यातकों से अधिप्रमाणित कराया हो कि यू एस ए को निर्यात किए जा रहे श्रिम्पों की खेप-विशेष मत्स्य पालन केन्द्रों से प्राप्त की गई हैं। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने क्षेत्रीय कार्यों में इस दिशा में समुद्री कछुवों और श्रिम्प व्यापार को सुरक्षित करने में सहयोग प्रदान करें। पृथक रूप से भारत सरकार ने मलयेशिया, पाकिस्तान और थाईलैण्ड की सरकारों के साथ संयुक्त यप से अमरीकी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का निराकरण करने के लिए विवाद निपटान तंत्र के तहत विश्व व्यापार संगठन से पहले ही सम्पर्क कर चुकी है।

रंग और रंजक सामग्री : जर्मन सरकार ने 20 एमीन्स पर आधारित ए.जेड.ओ. रंगों के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार ने कुछ रंगों और रसायनों पर प्रतिबंध लगाने के बारे में यूरोपीय देशों में जो कानून बनाए गए हैं अथवा बनाए जाने की संभावना है, उनके परिणामों पर विचार-विमर्श करने के लिए दो समितियां गठित की थीं। स्थानापन्न रंगों/रसायनों की सूची, उनकी स्थानीय उपलब्धता और ऐसे स्थानापन्नों, रंगों/रसायनों के कीमत-ढांचे अत्यादि प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक रंगों की पहचान करने का निर्णय लिया गया। तथापि, भारत से जर्मनी को रंगों और रंग-मध्यवर्तियों के निर्यात में गिरावट का कोई रूख दिखाई नहीं दिया है। कुल मिलाकर रंग और रंग मध्यवर्तियों के निर्यात में वर्ष 1993-94 से आगे लगातार वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है।

चमड़ा : जर्मन सरकर ने 1 अप्रैल, 1996 से लागू होने वाले एक अध्यादेश को जुलाई, 1994 में जारी किया, जिसमें मानव शरीर के निरंतर संपर्क में आने वाली उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में बेंजीडाइन आधारित रंगों और ऐसे ही अन्य पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। नीदरलैंड की सरकार ने भी बैंजीडाइन, जो रंगों पर प्रतिबंध लगाया जो कि 1 अगस्त, 1996 से प्रभावी हुआ। इससे पहले, जर्मन सरकार ने 1989 में चमड़े और चर्म-उत्पादों में पेंटाक्लोरोफेनोल (पी.सी.पी) के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, जिसका डेनमार्क, स्वीडन और यू.एस.ए. द्वारा अनुसरण किया गया। इसके साथ-साथ जर्मन सरकार ने "पैकेजिंग अवशिष्ट से बचाव" के बारे में जून, 1991 में एक पैकिंग अध्यादेश जारी किया था जिसका उद्देश्य पैकेजिंग अवशिष्ट से बचाव था, लेकिन इसमें घरेलू और विदेशी पैकेजिंग अवशिष्ट के बारे में कोई भेद नहीं किया गया था। भारत सरकार ने, चमड़ा अनुसंधान संस्थान परिषद (सी.एल.आर.आई) और चमड़ा निर्यात परिषद (सी.एल.ई.) के सहयोग से चमड़ा और चर्म उत्पादों के निर्यातकों की सहायता की जिससे कि वे निर्यातों का मुक्त रूप से सुकर बनाने के लिए देशों के विशेषकर जर्मनी और यूरोपीय देशों के पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले विनियमों का अनुपालन कर सकें।

रूस के साथ समझौता

***238. श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला-क्षेत्र में सहयोग के संबंध में भारत और रूस के बीच जुलाई, 1996 के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की प्रमुख बातें क्या हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) कोयले पर भारत-रूस कार्यकारी दल की दिनांक 11 तथा 12 जुलाई, 1996 को नई दिल्ली में बैठक संपन्न हुई है। दोनों पक्षों ने कोयला क्षेत्र में परस्पर हितों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। इस बैठक में हुए विचार-विमर्श के निष्कर्षों के आधार पर दोनों पक्षों द्वारा दिनांक 12.7.96 को एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) उपर्युक्त बैठक के दौरान निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया गया :-

(1) अभिकल्पन तथा निर्माण संबंधी सहयोग की समीक्षा।

(2) खनन में अद्यतन प्रौद्योगिकी।

(3) रूसी विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति।

(4) चुनिन्दा खानों का आधुनिकीकरण।

(5) खनिज भण्डारों का मूल्यांकन।

(6) कोयला स्लरी का परिवहन।

कॉफी विपणन बोर्ड का बंद किया जाना

*239. **डा. राम कृष्ण कुसमरिया** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कॉफी विपणन बोर्ड को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) काफी के अनियंत्रित निर्यात के कारण कॉफी उपभोक्ताओं को होने वाले नुक्सान से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). जी, नहीं। सरकार ने 1996-97 मौसम से 100 प्रतिशत मुक्त बिक्री कोटा की शुरूआत करके सभी उत्पादकों द्वारा कॉफी बेचे जाने को केवल उदार बनाने का निर्णय लिया है। कॉफी बोर्ड तो कायम रहेगा।

(ग) देश में कॉफी का उत्पादन घरेलू मांग से काफी ज्यादा है और सिर्फ बेशी-मात्रा का निर्यात किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कॉफी के निर्यात का विनियमन बोर्ड द्वारा प्रचालित एक निर्यात परमिट व्यवस्था द्वारा किया जाता है। उपभोक्ता पैकों में डिकैफीनेटेड इंस्टैन्ट कॉफी सहित इंस्टैन्ट कॉफी के आयात की अनुमति लागू सीमा-शुल्क का भुगतान करने पर दी जाती है।

बी.सी.सी.एल. में विलंब शुल्क

*240. **प्रो. रीता वर्मा** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विलंब शुल्क के रूप में दी गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विलंब शुल्क दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान मदवार भुगतान किए गए विलंब शुल्क का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बी.सी.सी.एल. की मदों पर विलंब शुल्क को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा "विलंब शुल्क" शीर्ष के अंतर्गत व्यय की गई राशि को नीचे दर्शाया गया है :-

(लाख रुपए में)

	अनन्तिम
1993-94	732.81
1994-95	679.56
1995-96	850.23

विलंब शुल्क की अदायगी किया जाना तब अपेक्षित होता है, जब कि रेलवे द्वारा अनुमत स्वीकार्य लदान समयावधि के अंदर रेकों का लदान कार्य पूरा नहीं किया जाता। इस तरह के विलंब आम तौर पर होने के कारण खानों में, अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) साइडिंगों में लदान के लिए अपर्याप्त मात्रा में निःशुल्क अनुमत समयावधि, जहां कि श्रमिकों द्वारा लदान किया जाता है।

(2) लदान स्थल पर उपकरणों में खराबी होना।

(3) विद्युत की खराबी के कारण फीडर ब्रेकरों के माध्यम से कोयले की क्रेशिंग प्रभावित होना।

(4) उपकरणों में खराबी होने तथा अन्य कारणों से साइडिंगों को कायेले का कम परिवहन।

कोयला कंपनियों द्वारा विलंब शुल्क के लिए मदवार की गई अदायगी का रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(घ) लदान स्थल पर विलंब शुल्क की अदायगी की जाने की घटनाओं को कम किए जाने हेतु कोयला कंपनियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(1) इस बात को सुनिश्चय किए जाने की कार्रवाई की जा रही है कि लदान साइडिंगों पर कोयले का पर्याप्त मात्रा में स्टाक उपलब्ध रहे।

(2) प्रत्येक साइडिंग के लदान कार्य पर निरंतर निगरानी रखी जाती है ताकि शेष वैगनों की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

(3) लदान की समायावधि में कमी किए जाने हेतु लदान संबंधी व्यवस्था पर्याप्त तथा तत्कालिकता के आधार पर रखी जा रही है।

(4) लदान पद्धति में यांत्रिक खराबी होने के मामले में रेलवे को रेकों को मुहैया किए जाने संबंधी स्थगन सूचना भेजी जा रही है।

(5) साइडिंगों से कोलियरी तक सम्बद्ध (लिंक) सड़कों में सुधार किया जा रहा है ताकि परिवहन संबंधी समयावधि तथा अवरोधों को कम किया जा सके।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रशवेयर कार्पोरेशन् लिमिटेड को बन्द करना

2111. **श्री प्रमथेस मुखर्जी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम "उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रशवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड", मुरादाबाद को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या अनेक कर्मचारियों को नौकरी से अचानक निकाल दिया गया था;

(ग) क्या सरकार ने उक्त निगम के कर्मचारियों को अन्य विभागों में रोजगार देने के बारे में बाद में एक आदेश जारी किया था;

(घ) क्या आदेश के बावजूद अधिकांश कर्मचारियों को अब तक रोजगार नहीं दिया गया; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ङ). उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रशवेयर कॉरपोरेशन, लिमिटेड, मुरादाबाद राज्य सरकार का उपक्रम है और इस रूप में यह केन्द्र सरकार के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं है।

"द साठे बिस्कुट्स एण्ड चाकलेट्स लिमिटेड" का पुनरूद्धार

2112. **श्री राम नाईक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि "द साठे बिस्कुट्स एण्ड चाकलेट्स लिमिटेड" पुर्ण ने अपना उत्पादन बंद कर दिया है;

(ख) क्या उक्त कंपनी को रुग्ण घोषित किया गया था तथा औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड इसके पुनरूद्धार का प्रयास कर रही थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है; और

(घ) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा इस कंपनी के पुनरूद्धार हेतु अब तक क्या प्रयास किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). औद्योगिक एंव वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सचित किया है कि उनके यहां मैसर्स साठे बिस्कुट्स एण्ड चाकलेट्स कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (सिका) की धारा 3 (1) (ण) के अंतर्गत 1991 में हुआ था। बाइफर ने परिचालन एजेंसी (ओ ए) को निदेश दिया था कि वह कंपनी के प्रबंधन में परिवर्तन करने के लिए प्रस्ताव मंगवाने हेतु विज्ञापन जारी करें। विज्ञापन के उत्तर में अनके परिपृच्छाएं (इन्क्वारियां) प्राप्त हुई थीं। कंपनी के प्रवर्तकों, सह-प्रवर्तक सहित, ने भी संशोधित पुनरूद्धार प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। बाइफर ने 10.09.1996 की अपनी सुनवाई में परिचालन एजेंसी (ओ ए) को निदेश दिया था कि वह प्रस्ताव को उसकी तकनीकी, वाणिज्यक और आर्थिक अर्थक्षमता की दृष्टि से जांच करे तथा सभी संबंधितों के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श करे।

भारत-इटली आर्थिक सहयोग

2113. **श्री नामदेव दिवाथे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1991 में उदारीकरण प्रक्रिया की शुरूआत से सितम्बर, 1996 तक भारत-इटली आर्थिक सहयोग की स्थिति क्या है;

(ख) अब तक स्वीकृत/विचाराधीन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा देश की अर्थव्यवस्था पर उनके क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने नीति निर्माताओं, व्यापारियों तथा दो देशों के व्यावसायियों के बीच आपसी वार्ता शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) औद्योगिक उद्यमों में निर्यात को बढ़ाने के लिए इटली से एफ.डी.आई. में वृद्धि करने हेतु बनाई गई नीतियों का ब्यौरा क्या है तथा निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक कितना लक्ष्य साकार हुआ है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). इंडो-इटली आर्थिक सहयोग सामान्यत: आर्थिक सहयोग के लिए "इंडो-इटली संयुक्त समिति" की बैठकों में मानीटर और पुनरीक्षित किया जाता है। जुलाई 1991 से संयुक्त समिति की तीन बैठकें हो चुकी हैं। 1996 के दौरान, इटली सरकार ने भारत को 100 बिलियन लीरा के उदार ऋणों की वचनबद्धता भी की है।

सरकारी स्तरों पर पारस्परिक क्रिया के अतिरिक्त, दो देशों के व्यवसायियों के बीच पारस्परिक क्रिया व्यवसाय-प्रतिनिधियों द्वारा कई दौरों के माध्यम से भी हो चुकी है। इन पारस्परिक क्रियाओं के परिणामस्वरूप द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

इटली से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का संवर्धन और इटली को निर्यात, रोम में भारतीय दूतावास सहित विभिन्न चैनलों और मंचों के माध्यम से सूचना के प्रसार द्वारा और भारतीय और इतालवी भागीदारों के बीच बारम्बार पारस्परिक क्रिया के माध्यम से किया जा रहा है।

इटली को भारतीय निर्यात, 1990-91 में 558.47 मिलियन अमरीकी डालर से, बढ़कर 1995-96 में 1016.5 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है। अप्रैल से अगस्त, 1996 के दौरान 378.83 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के निर्यात हुए। अगस्त, 1991 से सितम्बर, 1996 तक इटली से 186 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों का अनुमोदन हो चुका है। अप्रैल और सितम्बर, 1996 के बीच 14 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया था।

विदेशी कम्पनियों के लिए बीमा/बैंकिंग क्षेत्र खोला जाना

2114. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व आर्थिक मंच की इस टिप्पणी के बारे में जानकारी है जिसमें यह कहा गया है कि विदेशी कम्पनियों के विकास प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय बीमा तथा बैंकिंग क्षेत्र को खोला जाना आवश्यक है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). जी, हां। सरकार ने नई दिल्ली में 27-29 अक्टूबर, 1996 को विश्व आर्थिक मंच की हुई बैठक में की गई टिप्पणियों के सम्बन्ध में कुछ प्रेस रिपोर्टों को देखा है। इस संबंध में सरकार की नीति सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में निर्धारित की गई है जिसमें कहा गया है कि, "सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों को सह-अस्तित्व में और वित्तीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने के लिए गुंजाइश है। हमने बैंकिंग क्षेत्र की कार्य-प्रणाली से पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया है। उक्त अनुभव को बीमा क्षेत्र की पुनर्संरचना के लिए प्रयुक्त किया जाएगा लेकिन इसके साथ-साथ जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सुदृढ़ बनाया जाएगा।"

बाद में जुलाई, 1996 में बजट भाषण में यह उल्लेख किया गया था कि,

"जनवरी, 1996 में एक अंतरिम गैर-सांविधिक बीमा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। अब मैं एक विधेयक लागू करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि इसे सांविधिक निकाय बनाते हुए उपयुक्त रूप से समर्थ बनाया जा सके। जब मैं अगले बजट में बीमा विषय पर चर्चा करूंगा तो बीमा उद्योग के पुनर्गठन के लिए उपायों की श्रृंखला सहित न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उद्धृत नीतिगत पैरामीटरों में से कुछ पर वक्तव्य दूंगा।"

सरकार जनवरी, 1996 में स्थापित बीमा विनियामक प्राधिकरण को सांविधिक आधार देने के लिए वर्तमान में एक विधेयक तैयार कर रही है। बीमा क्षेत्र के सुधार के लिए अन्य उपायों की जांच बीमा विनियामक प्राधिकरण के साथ परामर्श करके की जा रही है।

सरकारी उपक्रमों की स्थापना

2115. **श्री सौम्य रंजन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). देश में उड़ीसा सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उद्योग स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

मानवाधिकारों तथा बाल श्रम को विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत व्यापार समझौतों के साथ जोड़ना

2116. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपार करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विकसित देश मानवाधिकारों तथा बाल श्रम को विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत व्यापार समझौतों के साथ जोड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विकासशील देशों के साथ इस मामले पर चर्चा की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). जी, हां। यू एस ए और नार्वे जैसे कुछ विकसित देशों ने प्रस्ताव किया है कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) में व्यापार और महत्वपूर्ण श्रम मानकों के बीच संबंध के बारे में चर्चा की जाए।

(ग) और (घ). जी, हां। इस मामले पर सिंगापुर मंत्री स्तरीय बैठक की नई दिल्ली में सितम्बर, 1996 को हुई तैयारी बैठक में अन्य विकासशील देशों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। इसके अतिरिक्त, भारत इस प्रकार के संबंधों का विरोध करने में अन्य समान विचार वाले देशों के साथ भी अपनी स्थिति का लगातार समन्वय कर रहा है। इस मुद्दे के परिणामों पर निर्णय 9-13 दिसम्बर, 1996 होने वाले डब्ल्यू टी ओ सिंगापुर मंत्री स्तरीय सम्मेलन में लिया जाएगा।

खनन कार्य के कारण प्रभावित परिवारों का पुनर्वास

2117. **श्री तरित बरण तोपदार :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के 49 मौजे भूमि को खान सुरक्षा महानिदेशक ने कोयला खनन कार्य के कारण रहने के लिए असुरक्षित एवं धंसने वाली भूमि घोषित की है;

(ख) यदि हां, तो इससे कुल कितने परिवार प्रभावित हुए हैं;

(ग) उन मौजों के अंतर्गत रहने वालों को अन्य स्थान पर ले जाने एवं उनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु कितनी राशि मंजूर की गई तथा आबंटित किया गया?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां। रानीगंज कोयला क्षेत्र के 49 घंटाव वाले स्थलों की जांच किए जाने हेतु एक शीर्षस्थ निगरानी समिति का गठन किया गया था, जिसमें कोयला कंपनियों, जिला प्रशासन, खान सुरक्षा महानिदेशक, केन्द्रीय खान अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधि तथा सार्वजनिक व्यक्ति, (विधान सभा सदस्य, सांसद) आदि शामिल हैं। इस समिति ने यह विचार व्यक्त किए कि 38 स्थल जो कि 11.8 वर्ग कि.मी. में फैले हुए हैं, वे असुरक्षित हैं।

(ख) 1992 में केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि. द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार 49 अस्थिर स्थलों पर स्थित कुल 24468 मकार प्रभावित हुए हैं।

(ग) और (घ). उक्त 49 अस्थिर स्थलों पर रहने वाले व्यक्तियों के स्थानांतरण तथा पुनर्वास किए जाने की बजाय ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.को.लि.) द्वारा पुराने भूमिगत क्रियाकलापों को सुदृढ़ीकृत किए जाने संबंधी कदम उठाए गए हैं। इस दिशा में उठाए गए एक कदम के रूप में दो स्थलों में अभिनव प्रौद्योगिकी जो कि हाइड्रा न्यूमेटिक रेत भराई से संबंधित है, का क्षेत्रीय परीक्षण किया गया है। इस प्रौद्योगिकी को एक व्यापक क्षेत्र में अर्जित अनुभव के माध्यम से स्थगित करने के लिए इस प्रयोजन हेतु दो और स्थलों पर कार्य शुरू किया गया है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के अंतर्गत परियोजनाएं

2118. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के अंतर्गत जिन नई परियोजनाओं पर हाल ही में कार्य शुरू किया गया है, का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा इन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहीत की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण किए जाने के कारण भूमि खोने वाले परिवारों, विस्थापित किए गए अथवा किए जाने वाले परिवारों की मौजा-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) प्रभावित परिवारों हेतु तैयार और कार्यान्वित किए गए पुनर्वास पैकेज का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई.को.लि.) की पुआपुर भूमिगत परियोजना केवल एकमात्र नई परियोजना है, जिस पर हाल ही में काम शुरू किया गया है।

(ख) और (ग). इस परियोजना की कुल भूमिगत आवश्यकता 10.42 हैक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें से 1.78 हैक्टेयर का पहले ही अधिग्रहण कर लिया गया है और शेष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के अधीन है।

(घ) और (ङ). भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित होने वाले भू-वंचित परिवारों की वास्तविक संख्या का आंकलन किया जा रहा है। इस संबंध में पुनर्वास कोल इंडिया लि. की वर्ष 1994 की पुनर्वास एवं पुनः स्थापना नीति के अंतर्गत किया जाएगा।

आयकर कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

2119. **श्री अशोक प्रधान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्टूबर, 1996 के दौरान आयकर विभाग के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी देश व्यापी हड़ताल पर चले गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनकी मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) ऐसी हड़तालों को रोकने तथा सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी, हां। आयकर विभाग के श्रेणी "ग" तथा "घ" के कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार के समूह "ग" तथा "घ" कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़ी बोनस सीमा को बढ़ाने के मामले पर अक्टूबर, 1996 के दौरान देशव्यापी हड़ताल में भाग लिया था। 23.10.96 से शुरू हुई हड़ताल को 29.10.96 को समाप्त कर दिया गया था।

(ग) चूंकि विभिन्न अन्य विभागों (उदाहरणतया डाक एवं दूरसंचार के कर्मचारी) के कर्मचारियों ने भी उक्त हड़ताल में भाग लिया था और जिसके लिए आह्वान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी एवं कार्यकर्त्ता संघ द्वारा किया गया था इसलिए ऐसी हड़तालों का सामना करने तथा जांच करने का प्रश्न सामान्य नीति का मामला है और इसको स्वीकार करना और इसका अनुपालन करना केन्द्रीय सरकार का काम है। तथापि, हड़तालों में भाग लेने वाले कर्मचारियों के मामलों पर क्या कार्रवाई की जाए तथा हड़ताल अवधि को किस रूप में माना जाए, इसके लिए पहले से ही आदेश विद्यमान हैं।

वस्त्र डिजाइन संबंधी प्रदर्शनी

2120. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान वस्त्र डिजाइन संबंधी कितनी प्रदर्शनियां आयोजित की गई;

(ख) इन प्रदर्शनियों के माध्यम से अब तक प्राप्त किये गये निर्यात क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में दिल्ली सहित अन्य राज्यों में इस तरह की और अधिक प्रदर्शनियां आयोजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्र डिजाइनिंग पर अनन्य रूप से कोई प्रदर्शनी दिल्ली में आयोजित नहीं की गयी। तथापि, इस अवधि के दौरान वस्त्र पर निम्नलिखित प्रमुख प्रदर्शनियों एवं मेलों का आयोजन किया गया :—

(1) अक्टूबर, 1993 में होटल ताज पैलेस, नई दिल्ली में "रेशम इंडिया" रेशम मेला

(2) मई, 1995 में संसद भवन एनेक्सी में विविधीकृत पटसन उत्पादों पर एक प्रदर्शनी

(ख) "रेशम इंडिया" के फलस्वरूप, रेशम के माल के लिए लगभग 4.2 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात आदेश प्राप्त हुए। विविधीकृत पटसन उत्पादों पर प्रदर्शनी का केन्द्र पटसन क्षेत्र में विकास के नये क्षेत्रों पर था।

(ग) और (घ). वस्त्र डिजाइनिंग पर अनन्य रूप से कोई प्रदर्शनी सभी आयोजित करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों तथा वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा 28 से 31 जनवरी, 1997 तक नइ दिल्ली में "टेक्स टाइल्स इंडिया" मेला आयोजित करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता

2121. प्रो. रीता वर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पांचवें राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते की अवधि 30 जून, 1996 को समाप्त हो चुकी है, नया राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख). कया पांचवें राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-6 को तैयार किए जाने के लिए कोयला उद्योग-6 हेतु संयुक्त द्विपक्षीय समिति का गठन किया जा रहा है।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-5 के प्रावधानों के अनुसरण में संशोधन दरों के अनुसार सभी कर्मचारियों को वेतन, भत्तों आदि का भुगतान किया जा रहा है। बकाया मजदूरी का आंशिक रूप से भुगतान किए जाने का कार्य प्रगति पर है। पेंशन के भुगतान संबंधी तौर-तरीके के बारे में हिसाब लगाया जा रहा है। विभिन्न कल्याणकारी उपायों, जैसे मकानों का निर्माण, नगर प्रशासन, सुधरी हुई चिकित्सा सुविधाएं, जल आपूर्ति, आदि का क्रियान्वयन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में है।

[अनुवाद]

नुटनडंगा कोयला खान में दुर्घटना

2122. श्री हाराधन राय : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 सितम्बर, 1996 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के पंडवेश्वर क्षेत्र की नुटनडंगा कोयला खान में कोई दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दुर्घटना के क्या कारण हैं;

(ग) इस दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है और मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ). दिनांक 24.9.1996 को प्रातःकाल तीन श्रमिक, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई.को.लि.) के पण्डेश्वर क्षेत्र की नूतनडंगा कोलियरी की बंद पड़ी स्टोविंगों के बंकरों के मिश्रण चैम्बर में दाखिल हुए तथा मिश्रण चैम्बर के वातावरण में आक्सीजन की कमी के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

कोयला कंपनी के आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा इस दुर्घटना की जांच की गई जिससे पता चला कि एक विशेष स्थान पर लोहे के गार्डर के साथ उपलब्ध कराई गई चारदीवारी टूटी हुई थी। कोलियरी के अभिकर्त्ता तथा प्रबंधक को "कारण बताओ" नोटिस जारी किया गया है।

प्रत्येक मृतक के परिवार को तत्काल राहत के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान कर दिया गया है।

(ङ) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) खाली गड्ढों/इन्कलाइनस तथा अन्य बंद पड़े और खतरनाक खान प्रवेश द्वारों का पुनरीक्षण किया जाना।

(2) गलती से प्रवेश को रोकने के लिए उपयोग न की जा रही/बंद पड़ी खानों के प्रवेश द्वारों को भरने तथा/अथवा बंद करने हेतु एक समयबद्ध कार्य योजना को तैयार किया जाना।

(3) सांविधिक निरीक्षण के अतिरिक्त, इस व्यवस्था की प्रभावकारिता का प्रबोधन एक कार्यदल द्वारा किया जाना।

सीधा विदेशी निवेश

2123. **श्री जय प्रकाश** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुल अनुशप्त निवेश प्रस्तावों में से देश में उदारीकरण प्रक्रिया के बाद केवल 38 प्रतिशत सीधे निवेश लागू किए गए;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). 1991 से 1996 (सितम्बर तक) के बीच 7626। करोड़ रुपये (यूरो मामलों को छोड़कर) कुछ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की स्वीकृत राशि के प्रति वास्तविक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अन्तःप्रवाह 1815। करोड़ रुपये है (सितम्बर, 96 तक)। यह अनुमोदन दर्शाता है कि अन्तःप्रवाह का अनुपात लगभग 4:1 है। तथापि, परियोजनाओं की फलन अवधि परिवर्तित होती रहती है तथा बड़ी परियोजनाओं (विद्युत, रिफाइनरी आदि) में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। बड़ी परियोजनाओं को छोड़कर (जिनमें एफ.डी.आई. के लगभग 50 प्रतिशत अन्तर्ग्रस्त हैं) अनुमोदन का अन्तःप्रवाह अनुमात लगभग 2:1 है। अन्तःप्रवाह हमेशा वृद्धि की प्रवृति दर्शाता है जैसा कि 1991 के दौरान 351 करोड़ से बढ़कर 1992 में 675 करोड़, 1993 के दौरान 1787, 1994 के दौरान 2982 करोड़ रुपये, 1995 के दौरान 6370 करोड़ रुपये तथा 1996 (सितम्बर 96 तक) के दौरान 5985 करोड़ रुपये हो गया। 1995 के दौरान 6370 करोड़ रुपये का अन्तःप्रवाह पिछले 4 वर्षों के दौरान कुल एफ.डी.आई. अन्तःप्रवाह से अधिक है। यह प्रवृति दर्शाती है कि विदेशी इक्विटी का अन्तः प्रवाह बढ़ गया है।

(ग) सरकार निवेश नीति की निरन्तर समीक्षा करती है ताकि इसे प्रतियोगात्मक बढ़ाने तथा निवेशक दोस्ताना बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार में अनुमोदन प्रक्रिया को तेज करने तथा अधिक पारदर्शी बनाने के लिए विदेश निवेश संवर्धन बोर्ड को हाल ही में पुनःगठित किया है। पिछड़े क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने तथा उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए, राज्य सरकारें कई प्रकार के प्रोत्साहनों की पेशकश कर रही है जैसे कि पूंजी की आर्थिक सहायता, बिक्री कर में छूट, विद्युत सहायता, प्राथमिकता आधार पर भूमि का आबंटन, विकास केन्द्र की स्थापना तथा पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन में आर्थिक सहायता।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के संबंध में, विदेश प्रत्यक्ष निवेश का वास्तविक अन्तःप्रवाह की निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। विदेशी निवेश परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी ब्यौरे केन्द्रीय रूप में नहीं रखे जाते हैं।

परियोजनाओं की निगरानी प्रारंभिक रूप में राज्य सरकार द्वारा की जानी होती है क्योंकि अधिकांश परियोजनाओं को चालू करना विभिन्न राज्य स्तर की स्वीकृति पर निर्भर करता है जिनमें भूमि, विद्युत आदि शामिल हैं। तथापि, विदेश निवेश परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति निर्धारित करने के लिए इस विभाग द्वारा समय-समय पर प्रयास किए गए हैं। जैसे कि संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों आदि के माध्यम से सहयोग प्राप्त करने के लिए बहुसंख्यक अनुमोदन धारकों के लिए पत्र भेजे गए। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विभाग में विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। एफ आई पी बी समस्याओं का पता लगाने की दृष्टि से बड़ी परियोजनाओं की निगरानी करेगा। राज्य सरकार को भी इसमें शामिल किया जाएगा क्योंकि उनकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी को अधिक सुदृढ़ करने के एक भाग के रूप में राज्य स्तर पर प्रक्रिया को सरल बनाने का सुझाव दिया गया है।

रत्नों और आभूषणों का निर्यात

2124. **श्री आर. साम्बासिवा राव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रत्नों और आभूषणों के निर्यात में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक किए गए रत्नों और आभूषणों के निर्यात का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रत्नों और आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) और (ख). अप्रैल से अक्तूबर, 96 की अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान रत्न और आभूषण का निर्यात इस प्रकार है :—

(अमरीकी मिलियन डालर में मूल्य)

मद	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97 (अप्रैल - अक्तूबर) (अनन्तिम)
हीरे	3574.50	3937.00	4577.54	2546.27
सोने के आभूषण	308.60	421.20	480.40	381.15
अन्य	111.60	142.20	222.50	95.83
योग	3994.70	4500.40	5257.44	3023.23

(ग) हमारे निर्यातों में रत्न एवं आभूषण निर्यात का प्रमुख स्थान है। सरकार ने इस क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाने के लिए हाल ही में अनेक कदम उठाए हैं जिनमें आयात निर्यात नीति में संशोधन जैसा कि मार्च, 1996 में घोषित किए गए हैं जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी कीमतों पर कच्चे माल की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करना, निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, हीरे के लिए भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र तैयार करना, इस उद्योग के लिए प्रशिक्षित मानव शक्ति विकसित करने के लिए रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद को आवश्यक सहायता प्रदान करना शामिल है। हाल ही में निर्यात को सुकर बनाने के लिए लदान-प्रश्च ऋणों पर ब्याज की दरें कम कर दी गई हैं।

"सीलो" कार के निर्माताओं द्वारा कर अपवंचन

2125. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में "सीलो" कार की बिक्री में भारी कर चोरी का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). अभी तक बिक्री कर अपवंचन का अंतिम रूप से कोई सबूत नहीं है क्योंकि मामले की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा सक्रिय रूप से जांच की जा रही है।

विदेशी मुद्रा

2126. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

श्री भक्त चरण दास :

श्री विजय गोयल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान सीमा शुल्क विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर यात्रियों से कितनी धनराशि की विदेशी मुद्रा जब्त की गयी है; और

(ख) ये यात्री किन-किन देशों के हैं तथा प्रत्येक यात्री से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर अलग-अलग कितनी धनराशि जब्त की गयी है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कैपीटल स्टाक एक्सचेंज

2127. **श्री ए. सम्पथ :**

श्री मुख्तार अनीस :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने स्थानों पर स्टाक एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) इनमें एक्सचेंजवार कितने शेयर सूचीबद्ध हैं;

(ग) 1995-96 के दौरान स्टाक एक्सचेंज-वार कितना कारोबार हुआ;

(घ) देश में अनुमानतः कितने शेयर धारक हैं;

(ङ) शेयर धारकों के हितों की रक्षा करने और लोगों में शेयरों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार को स्टाक एक्सचेंज के कार्यकरण के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम कठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) हालांकि देश में कार्य कर रहे बाईस मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज हैं, उन स्थानों की संख्या बीस है जहां ये स्टाक एक्सचेंज स्थित हैं, क्योंकि तीन स्टाक एक्सचेंज एक ही स्थान, अर्थात मुंबई में स्थित हैं।

(ख) और (ग). "सेबी" द्वारा दी गई अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) सेबी ने बताया है कि देश में शेयरधारकों की अनुमानित संख्या लगभग तीस मिलियन है।

(ङ) शेयरधारकों के हितों के संरक्षण हेतु सेबी अधिनियम, 1992 तथा उसके तहत अधिसूचित नियमों और विनियमों में तथा कंपनी अधिनियम, 1956 में विभिन्न उपबंध निहित हैं। अन्य बातों के अलावा, सेबी के कार्य प्रतिभूति बाजार के विकास और निवेशकों की जानकारी को बढ़ावा देने के उपायों से संबंधित हैं।

(च) से (ज). चूंकि सेबी को स्टाक एक्सचेंजों को विनियमित करने की सांविधिक शक्तियां दी गई हैं, इसलिए उनके कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी सूचनाओं की जांच सबी द्वारा की जाती है और इस संबंध में इसके द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। एक्सचेंजों के व्यवस्थित कार्यकरण तथा निवेशकों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों के एक भाग के रूप में सेबी वर्ष में एक बार स्टाक एक्सचेंजों का निरीक्षण भी करता है।

विवरण

क्र.सं.	स्टाक एक्सचेंज का नाम	सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या (1.11.96 की स्थिति के अनुसार)	कारोबार की मात्रा 1995-96 (करोड़ रुपए)
1.	अहमदाबाद शेयर एण्ड स्टाक ब्रोकर्स एसोसिएशन	3197	8786.36
2.	बंगलौर स्टाक एक्सचेंज लि.	568	890.12
3.	भुवनेश्वर स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लि.	69	226.18
4.	कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लि.	3204	62128.00
5.	कोचिन स्टाक एक्सचेंज लि.	240	1803.04
6.	कोयम्बटूर स्टाक एक्सचेंज लि.	222	2503.55
7.	दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लि.	3794	10076.53
8.	गुवाहाटी स्टाक एक्सचेंज लि.	217	619.53
9.	हैदराबाद स्टाक एक्सचेंज लि.	817	1285.62
10.	जयपुर स्टाक एक्सचेंज लि.	942	1047.76
11.	लुधियाना स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लि.	437	4849.12
12.	शेयर ब्रोकर्स एसोसिएशन (एम.पी. स्टाक एक्सचेंज)	357	204.65
13.	मद्रास स्टाक एक्सचेंज लि.	1703	1594.20
14.	मगध स्टाक एक्सचेंज लि.	75	1629.23
15.	दि स्टाक एक्सचेंज, मुंबई	5941	50064.16
16.	मंगलौर स्टाक एक्सचेंज लि.	48	38.66
17.	राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज	1455	68141.92
18.	ओवर दि काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया	106	218.39
19.	पुणे स्टाक एक्सचेंज लि.	271	7071.83
20.	सौराष्ट्र कच्छ स्टाक एक्सचेंज लि.	183	564.41
21.	उत्त प्रदेश स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लि.	872	12373.00
22.	बडोदरा स्टाक एकसचेंज लि.	522	1259.57

महाराष्ट्र में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

2128. **श्री चिन्तामन वानगा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कपड़ा मिलों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय नवीनकरण निधि से सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार को कितनी राशि प्रदान की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल.जालप्पा) : (क) से (ग). इस समय राष्ट्रीय नवीकरण कोष से सहायता, केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना तथा वस्त्र मिलों के कामगारों सहित सुव्यवस्थित कामगारों को परामर्श देने पुनर्वासन देने तथा पुनर्तैनाती सहयता देने संबंधी योजनाओं तक ही सीमित है।

राज्य सरकारों को ऋण

2129. **श्री भीम प्रसाद दाहाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सिक्किम राज्य सरकार ने कुल कितनी राशि का ऋण लिया;

(ख) क्या विशेष क्षेत्र/प्रयोजन के लिए स्वीकृत ऋण का उसी क्षेत्र/प्रयोजन के लिये प्रयोग किया गया; और

(ग) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) वित्त मंत्रालय द्वारा सिक्किम सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान दिए गए ऋण की कुल राशि इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि (करोड़ रुपयों में)
1993-94	10.99
1994-95	15.98
1995-96	17.50

(ख) और (ग). चूंकि इसमें केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत स्वीकृत सकल ऋण और लघु बचत वसूलियों के एवज में ऋण के शेयर भी शामिल हैं। अतः इस राशि को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है।

केन्द्रीय सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा सामान की जब्ती

2130. **डा. सी. सिल्वेरा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुछ व्यक्तियों और सहकारी समितियों को केन्द्रीय सीमा शुल्क विभाग अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए सामान को बेचने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों और समितियों के नाम और पते क्या हैं और इस प्रयोजनार्थ अनुमति हासिल करने के लिए निर्धारित औपचारिकताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जब्त किए गए सामान को उन्हीं ग्राहकों को बेचने के लिए लाभ सौदा निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). दिल्ली सीमाशुल्क द्वारा अभिगृहीत उपभोक्ता उपभोक्ता माल, निपटान के लिए तैयार होने पर, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ (एनसीसीएफ) को बेचा जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ का पता निम्नानुसार है:-

भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ लिमिटेड, दीपाली बिल्डिंग, छठी मंजिल, 92, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली।

मैसर्स राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ (एनसीसीएफ) को माल के निश्चित किए गए मूल्य पर 14.5 प्रतिशत की दर से रिआयत दी जाती है।

विदेशी ऋण की देनदारी

2131. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत सरकार पर विदेशी मुद्रा में देय 100 बिलियन अमेरिकी डालर के विदेशी ऋण की देनदारी के संबंध में 21नवम्बर, 1996 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "फाइनेन्स" मिनिस्ट्री ब्लेकड फॉर एक्सपोर्ट स्लोडाउन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का युद्ध स्तर पर निर्यात विकास के लिए संबंधित मंत्रालयों के बीच निकट समन्वय बनाने के लिए कोई नीति तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रमैया) : (क) उल्लिखित समाचार वास्तविक स्थिति नहीं बताता है क्योंकि वित्त मंत्रालय को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है जैसाकि आगे उल्लेख किया गया है। देश का बकाया कुल बाह्य ऋण 31 मार्च, 1995 को

99.04 बिलियन यू.एस. डालर था जो 31 मार्च, 1996 को समाप्त अवधि के दौरान घटकर 92.66 बिलियन यू.एस. डालर रह गया। इसके अतिरिक्त, 1990-91 के दौरान ऋण सेवा अनुपात भी 35.25 प्रतिशत के शिखर से गिरकर 1995-96 के दौरान 25.54 प्रतिशत के अधिक नियंत्रणीय स्तर तक पहुंच गया।

(ख) और (ग). निर्यात संवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ घनिष्ठ पारस्परिक संपर्क शामिल है ताकि निर्यात में स्थिर वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो सके।

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित मेला

2132. श्री मुख्तार अनीस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान प्रायोजित तथा आयोजित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान प्रगति मैदान में संस्थापन एवं रख-रखाव पर कितना व्यय किया गया है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान भारतीय व्यापार संवर्धन द्वारा आयोजित व्यापार मेला द्वारा कुल कितनी आय प्राप्त होने की संभावना है;

(घ) क्या भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में विभिन्न पार्टियों को गैर-संवर्धनात्मक उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से पट्टे पर स्थान दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो पार्टीवार दिये गए स्थान तथा तत्संबंधी प्रति इकाई दर का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रमैया) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान आई टी पी ओ ने भारत में 17 प्रदर्शनियां आयोजित कीं जो थीं - कन्ज्यूमेक्स, सजावट, दिल्ली बुक फेयर, इन्टरनेशनल शू फेयर, शू कॉम्प, प्रकाश इंडिया इन्टरनेशनल ट्रेड एण्ड ग्रामावास "95 फेयर, इन्टरनेशनल सेक्यूरिटी एग्जीबिशन, टेक्स इंडिया, नेशनल चिल्डरन फेयर, सार्क फेयर, प्रिन्ट पैक इंडिया, अहार"96, नेशनल कन्ज्यूमैक्स फेयर, इंडिया इन्टरनेशनल लैदर फेयर, टैक्स स्टाइल्स इंडिया और इन्टरनेशनल लैदर गुड्स फेयर।

23 मेले अन्य पार्टियों द्वारा आयोजित किए गए। वे हैं - प्रथम दिल्ली टूरिज्म एण्ड ट्रेवल शो, सीयो इंडिया" 95, इंडियन गारमेन्ट फेयर"95, ब्रेव बेव इंडिया"95, कोरिया ट्रेड शो" 95, ब्रोडकास्ट, केबल एण्ड सैटेलाइट, इंडिया इन्टरनेशनल पावर जनरेशन एण्ड एनर्जी एग्जिबिशन एण्ड कांग्रेस, आयल एण्ड गैस पैट्रोकैम शो एण्ड कांग्रेस, प्रथम इंडिया बिल्ट इन्टरनेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन मैटिरियल शो" 95, कम्युनिकेशन इंडिया 95, इट एशिया"95, पेपरेक्स"95, इनटैक्स"95, गारटेक्स"95, इम्पैक्ट"96, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड गिफ्ट्स फेयर, वर्ल्ड बुक फेयर"96, बिसिटेक्स"96, ट्रेडैक्स एग्जिबिशन, इंडिया इन्टेक मार्ट, ऑटो एक्सपो"96, कारपेट फेयर"96, ग्लास प्रोसेसिंग एण्ड ग्लेजिंग, उक्रेन इन इंडिया एवं सीयो इंडिया" 96।

इसी प्रकार, आईटीपीओ में 19 सामान्य विदेशी मेलों, 16 विशेषीकृत वस्तु समारोहों और 3 भारतीय प्रदर्शनियों में भाग लिया। वे हैं : नन्टस् इन्टरनेशनल फेयर, कंज्यूमर एक्सपो कजाखस्तान, ओवरसीज इम्पोर्ट फेयर पार्टनहर्स फॉर प्रोग्रेस बर्लिन इन्टसेशनल मॉडर्न लिविंग एग्जिबिशन, तेल अवीव, दमासकस, इन्टरनेशल फेयर, दमासकस, एक्पोहोगर इन्टरनेशनल गिफ्ट एण्ड हाऊसवेदर्स शो, बार्सीलोना, जाग्रेब, इन्टरनेशनल ऑटम फेयर, नैरोबी इन्टरनेशनल शो, तेहरान इन्टरनेशनल फेयर, सैटेक्स"95, साऊथ अफ्रीका वर्ल्ड टेक"95, थाईलैण्ड, क्वांग टुंग इन्टरनेशनल फेयर, वियतनाम, सउदी अरब इन्टरनेशनल ट्रेड फेयर, जेद्दाह, कान्ज्यूमैक्सो"96, मास्कोद्व घाना इन्टरनेशनल ट्रेड फेयर, बासेल, एक्सपोकोमर इन्टरनेशनल फेयर, पनामा, कुवैत इन्टरनेशनल फेयर, आवेरसीज इम्पार्ट फेयर, बर्लिन, इन्टरनेशनल फूड एण्ड ड्रिन्क एग्जीबिशन, लंदन, आस्ट्रेलियास इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एग्जीबिशन, पम्पस् एंड सिस्टम्स एशियन, 95, जकार्ता, नेशनल हार्डवेयर शो, शिकागो, प्रेट-ए-पोर्टर फेयर, पेरिस, इन्टरनेशनल एग्जिबिशन ऑफ बाइसिकिल एण्ड मोटरसाईकिल्स, इटली, इन्टरनेशनल लैदर वीक, पेरिस, चेम एशिया"95 सिंगापुर, अनुगा फूड फेयर, जर्मनी, इन्टरकोमा हुसेलडोर्फ, गिफ्ट्स एण्ड फैशन फेयर मस्कट, डोमोटेक्स फेयर, हन्नोवर, हैमर्टेक्सटिल फेयर जर्मनी, प्रेट-ए-पोर्टर फेयर 96 पेरिस, इन्टरनेशनल हार्डवेयर फेयर" 96 जर्मनी, टीसीएफ इन्टरनेशनल"96, आस्ट्रेलिया, इंडियन एग्जिबिशन 1995 लुसाका, इंडियन इगिजबिशन 1995 ताशकन्द और इंडियन एग्जिबिशन 1996, जकार्ता।

(ख) आई टी पी ओ ने वर्ष 1995-96 के दौरान प्रगति मैदान प्रांगण की स्थापना और उसके रख-रखाव पर 18.33 करोड़ रु. राशि का खर्चा किया।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान आई टी पी ओ को व्यापार मेलों के आयोजनों से 56.64 करोड़ रु. राशि की कुल आमदनी होने की संभावना है।

(घ) और (ङ). आई टी पी ओ ने गैर-संवर्धनात्मक प्रयोजनों के लिए दीर्घकालिक आधार पर कोई स्थान लीज पर नहीं दिया है।

उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में लंबित मामले

2133. प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सिविल, आपराधिक, दहेज संबंधी मामलों तथा ग्रामीण समाज से संबंधित भूमि के अधिकांश मामलों के कई वर्षों से विचाराधीन होने से अवगत है;

(ख) क्या न्यायिक प्रणाली निष्क्रिय हो गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार मथुरा जिले के न्यायिक कार्य प्रणाली में सुधार लाने हेतु कोई ठोस कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) तारीख ा ३.1995 को, उपलब्ध जानकारी के अनुसार मथुरा जिले के सभी सिविल और दंड न्यायालयों में 43813 मामले लंबित थे।

(ख) जी नहीं। मामले विभिन्न जटिल कारणों से, जिसके अंतर्गत अपर्याप्त न्यायालय, मामले संस्थित किए जाने में हुई वृद्धि भी है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा कुछ मामलों पर रोक लगाए जाने के कारण से भी लंबित हैं।

(ग) से (ङ). जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में न्याय का प्रशासन संबद्ध उच्च न्यायालयों/राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र के अधीन आता है। न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या पर विचार करने और इससे यथा संभव शीघ्र निपटने के लिए उपायों और तरीकों का पता लगाने के लिए, मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों का एक सम्मेलन तारीख 4 दिसंबर, 1993 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की थी। सम्मेलन ने अंगीकृत किए अपने संकल्प में, न्यायालयों/अधिकरणों में मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की। इस संकल्प को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और उच्च न्यायालयों/अधिकरणों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। न्यायालयों में मामलों के शीघ्र निपटारे के मार्ग में आने वाली अवसंरचनात्मक बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से न्याय प्रशासन को एक योजना मद बनाया गया है।

औद्योगिक वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के सदस्य

2134. श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृता करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्तीय पुनर्गठन ब्यूरो के गठन से लेकर अब तक वर्तमान तथा भूतपूर्व सभापतियों तथा सदस्यों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितनों को उद्योग तथा वित्तीय संस्थानों के प्रबंधन का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त है;

(ग) उनमें से कितने आई ए एस अधिकारी सेवानिवृत्त हुये हैं; और

(घ) औद्योगिक वित्तीय पुनर्गठन ब्यूरो को इसकी शुरूआत से लेकर अब तक कितने मामले भेजे गये हैं तथा कितने निजी तथा सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में व्यवस्थित हो गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) के गठन के समय से ही इसके अध्यक्षों और सदस्यों की कुल संख्या 22(3 अध्यक्ष और 19 सदस्य) हैं।

(ख) बाइफर के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 को धारा 4 की उपधारा 3 के उपबंधों के अनुसार की जाती है।

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 सदस्यों को समय-समय पर (वर्तमान में और पूर्व में) बाइफर में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

(घ) बाइफर के प्रारम्भ में उनके पास पंजीकृत मामलों की कुल संख्या और 31 अक्तूबर, 1996 तक उनका निपटान इस प्रकार हैं :-

	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
पंजीकृत मामले	143	1688	1831
निपटाए गए मामले	93	1379	1472

पारम्परिक उद्योगों को बढ़ावा

2135. श्री वी.एस. सुधीरन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल के कायर और काजू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). केरल के कायर तथा काजू सहित परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जाती रही हैं। वर्तमान प्लान-योजनाओं का उद्देश्य देश में कयर उद्योग के संवर्धन और विकास हेतु अनुसंधान और विकास, आधुनिकीकरण, नीरस व कठिन कार्यों और प्रदूषण की समाप्ति, घरेलू बाजार का विस्तार तथा निर्यात है। राज्य को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से एकीकृत कयर विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सहायता भी दी जा रही है।

जहां तक काजू के विकास का संबंध है, कृषि मंत्रालय आठवीं पंचवर्षीय योजना में 5.91 करोड़ रुपये की लागत से केरल में काजू पर एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना में शामिल हैं - अधिक उपज की किस्म के कृन्तकों के साथ नये बागान विकास, पुराने रुग्ण और गैर किफायती काजू के बागानों में गुणवत्ता वाले कृन्तकों का रोपण करना, काजू उत्पादन हेतु गहन कीट नियंत्रण उपाय अपनाना, काजू के लिए व्यापक उत्पादन प्रौद्यागिकी अपनाना, कृन्तकों का उत्पादन और क्षेत्रीय पौधशालाएं

स्थापित करना, काजू उत्पादन प्रौद्योगिकी पर कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा आदर्श कृन्तक बागानों का विकास।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार संबंध

2136. **डा. कृपासिन्धु घोई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने की इच्छा प्रकट की है; और

(ख) यदि हां, तो पता लगाए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) आस्ट्रेलिया ने कृषि-व्यवसाय, दूर-संचार, स्वचालित संघटक, खनन, कोयला, पर्यावरण प्रबंधन, भूतल परिवहन और ऊर्जा के क्षेत्र में निर्यात संवर्धन में रूचि दिखाई है। 4 नवम्बर, 1996 को हुई संयुक्त व्यवसाय परिषद् ने भारत से आस्ट्रेलिया को निर्यात संवर्धन के लिए निम्नलिखित वस्तुओं को अभिज्ञात किया है:-

बागान, कृषि, समुद्री और खाद्य उत्पाद, रसायन और संबद्ध उत्पाद; चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुएं; फुटवियर और यात्रा संबंधी वस्तुएं; वस्त्र, कपड़े और मेड-अप्स; इंजिनियरी सामान और विनिर्माण तथा रत्न और आभूषण।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का तुलन-पत्र

2137. **श्री डी.पी. यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने तुलन पत्र जमा करने के लिए नोटिस जारी किए हैं;

(ख) कितने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर तुलन-पत्र को अंतिम रूप देने तथा प्रकाशन में विलम्ब हेतु मुकदमा चलाया गया है; और

(ग) परिस्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1996 की धारा 220 की शर्तों के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को अपना तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि लेखा उसमें विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अन्दर संबंधित कम्पनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल करना होता है। ये उपबन्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर समान रूप से लागू होते हैं जिन्हें कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों (अर्थात सरकारी कम्पनियों के रूप में) के रूप में निगमित किया गया है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सरकारी कम्पनियों के द्वारा लेखों को समय पर अंतिम रूप देने और वैधानिक प्रावधानों को पूरा करने की आवश्यकता पर बल देने के लिए संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारियों से ऐसी कम्पनियों के संबंध में जो उनके प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, नियमित रूप से आग्रह किया जाता रहा है।

रक्षित विद्युत संयंत्र

2138. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. ने बिहार के बोकारो क्षेत्र के कठरा में करोड़ों रुपए खर्च करके एक रक्षित विद्युत संयंत्र स्थापित किया है जिसने अभी तक कार्य करना शुरू नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). 85.20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सें.को.लि.) के अन्तर्गत कथारा, में टर्न-की आधार पर मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा एक 2 × 10 मे.वा. क्षमता के ग्रहीत विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। इस संयंत्र को चालू किया जा चुका है तथा जून, 1994 से यह आवर्तक रूप से कार्य कर रहा है। दामोदर घाटी कारपोरेशन (डी.वी.सी.) द्वारा समकालिक आधार पर स्टार्ट-अप विद्युत उपलब्ध कराए जाने में हुए विलम्ब के कारण संयंत्र निरन्तर रूप से कार्य नहीं कर सका। इस मुद्दे को निपटा लिया गया है तथा उसमें कुछ यांत्रिक खराबी थी, जिसे सुधार लिया गया है तथा संयंत्र को शीघ्र ही पुनः आरम्भ किए जाने की संभावना है।

सीमा-शुल्क के पास अदावाकृत मशीनें

2139. **श्री तारीक अनवर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में हाल ही में डेंग्यू के प्रकोप पर काबू पाने के काम आने वाली अनेक अदावाकृत "फागिंग" मशीनें दिल्ली के सीमा-शुल्क प्राधिकरियों के कब्जे में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) डेंग्यू प्रकोप से सैकड़ों लोगों के मरने के बावजूद सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा इन मशीनों की निकासी न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं। दिल्ली में सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के पास फोगिंग मशीन की कोई भी खेप न

तो निर्धारण एवं निकासी हेतु लंबित पड़ी है और न ही अदावाकृत पड़ी है।

(ख) से (घ). ऊपर "क" को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते।

ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिए योजना

2140. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन राज्यों में उक्त योजनाएं लागू की जा रही हैं;

(ग) क्या ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त योजना से लाभान्वित लोगों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

[हिन्दी]

न्यूजप्रिंट का उत्पादन/आयात

2141. **श्री नवल किशोर राय** :
जास्टिस गुमान मल लोढ़ा :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में न्यूजप्रिंट का उत्पादन भारत में इसकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में न्यजप्रिंट की आवश्यकता को पूरा करने हेतु इसका आयात किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितने न्यूजप्रिंट का उत्पादन किया गया तथा इसकी कितनी मात्रा का आयात किया गया; और

(ङ) मांग को पूरा करने के लिए देश में और ज्यादा न्यूजप्रिंट का उत्पादन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). देश में अखबारी कागज की मांग उसके उत्पादन की तुलना में अधिक है। इसलिए, स्वदेशी उत्पादन अखबारी कागज की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान अखबारी कागज के स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं :-

(लाख टन)

वर्ष	स्वदेशी उत्पादन	आयात
1993-94	3.61	3.11
1994-95	4.02	2.92
1995-96	4.10	3.45

(ङ) देश में अखबारी कागज की मांग को पूरा करने के लिए उसके उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है :-

(1) अखबारी कागज को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

(2) अखबारी कागज के विनिर्माण हेतु लकड़ी की लुगदी के आयात पर सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।

(3) इसके अतिरिक्त नई औद्योगिक नीति के तहत अखबारी कागज एककों की स्थापना हेतु प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। गैर-परम्परागत कच्चे माल से प्राप्त न्यूनतम 75 प्रतिशत लुगदी पर आधारित एककों को अनिवार्य औद्योगिक लाइसेंस लेने से छूट दी गई है।

इन नीति संबंधी उपायों से अखबारी कागज के उत्पादन में वृद्धि हेतु अनुकूल सहायक वातावरण मिलने की आशा है।

[अनुवाद]

न्यूजप्रिंट निर्माता कागज मिलें

2142. **जस्टिस गुमान मल लोढा** :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थान-वार सरकारी क्षेत्र में न्यूजप्रिंट निर्माता कागज मिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त मिलें अपनी क्षमतानुसार पूर्ण रूप से न्यूजप्रिंट का निर्माण कर रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वर्ष-वार प्रत्येक उक्त मिल द्वारा कितनी क्षमता का उपयोग किया गया है;

(घ) अप्रैल, 1996 तक सरकार द्वारा इन मिलों में कितना निवेश किया गया है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक उक्त मिल द्वारा किये गये मुनाफे/सहे गये नुकसान का ब्यौरा क्या है, साथ ही घाटा उठाने के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) देश में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख अखबारी कागज उत्पादन मिलें -

1. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, केरल - केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उपक्रम
2. नेपा लिमिटेड, मध्य प्रदेश - केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उपक्रम
3. मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड, कर्नाटक - राज्यीय सरकारी क्षेत्र का उपक्रम
4. तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड, तमिलनाडु - राज्यीय सरकारी क्षेत्र का उपक्रम

(ख) से (घ). **क्षमता का उपयोग एवं सरकार द्वारा निवेश**

क्षमता का उपयोग (प्रतिशत)

	1993-94	1994-95	1995-96	केन्द्रीय सरकार द्वारा अप्रैल, 1996 तक किया गया निवेश
हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड	123.25	105.40	101.11	157.05 करोड़ रु.
नेपा लिमिटेड	75	66	71	85.64 करोड़ रु.
मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड	118	118	122	राज्य सरकार का उपक्रम
तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर लिमिटेड (कागज व अखबारी कागज दोनों)	105	103	96	राज्य सरकार का उपक्रम

नेपा लिमिटेड में क्षमता का कम उपयोग प्रौद्योगिकी-पुरातनता, विभिन्न संयंत्रों में क्षमताओं के असंतुलन, बिक्री की कम वसूली, प्रतिकूल बाजार स्थिति आदि के कारण है।

चालू वर्ष में आयातित सस्ते अखबारी कागज की उपलब्धता के कारण, स्वदेशी अखबारी कागज का भण्डार एवन हो गया है और उपरोक्त सभी मिलों में अखबारी कागज के उत्पादन में कमी की गई है तथा नेपा लिमिटेड में 22.8.96 से उत्पादन स्थगित है।

(ङ) **विगत तीन वर्षों का लाभ/हानि**

(करोड़ रुपये में)

	1993-94	1994-95	1995-96
हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (कर पश्चात्)	22.47	37.92	51.26
नेपा लिमिटेड	(-)25.66	(-)11.85	0.45
मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड (कागज और चीनी सहित)	6.17	24.41	32.69
तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर लिमिटेड (कागज सहित)	54.05	56.31	78.74

खराब बाजार परिदृश्य और अधिक उत्पादन लागत, क्षमता के अल्प उपयोग आदि जैसी अन्य अन्तर्निहित समस्याओं के कारण नेपा लिमिटेड में 1993-94 एवं 1994-95 में हानियां हुई।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के पास पंजीकृत रूग्ण उद्योग

2143. डा. देवी प्रसाद पाल : क्या **वित्त मंत्री** औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के पास पंजीकृत रूग्ण उद्योग के बारे में 6 सितम्बर, 1996 के तारांकित प्रश्न संख्या 4477 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1996 के अनुसार औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के पास पश्चिम बंगाल की पंजीकृत औद्योगिक कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त मामलों में से उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक निपटा दिया गया है;

(ग) क्या संबंधित पार्टियों द्वारा स्वीकृत योजना के उपबंधों के अनुपालन न करने का कोई मामला औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के ध्यान में आया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि दिनांक 31.7.96 तक पश्चिम बंगाल से उसके पास 176 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 130 मामले निपटा दिए गये हैं।

(ग) से (ङ). बाइफर ने सूचित किया है कि निम्नलिखित चार मामलों को छोड़कर संबंधित पार्टियों ने पुनर्वास योजना के प्रावधानों का सामान्य रूप से अनुपालन किया है :-

(1) मैसर्स कामारहट्टी कंपनी लि.

(2) मैसर्स श्री गौरी शंकर जूट मिल्स

(3) मैसर्स टायर कार्पोरेशन आफ इंडिया

(4) मैसर्स ए.वी.जे. वायर्स लि.

उपर्युक्त मामलों में बाइफर ने, अन्य बातों के साथ संबंधित पार्टियों को मुद्दे सुलझाने, परिवर्तित योजना पर विचार करने, योजना के कार्यान्वयन के लिए और समय देने तथा मामलों की पुनरीक्षा के लिए उपयुक्त निदेश जारी किए हैं।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कामगारों का वेतन

2144. **श्री पी.आर. दासमुंशी :**
श्री मुनव्वर हसन :
श्री सुमित्रा महाजन :
श्री जगत वीर सिंह द्रोण :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कामगारों/कर्मचारियों के वेतन और अन्य देयों जैसे भविष्यनिधि और उपदान इत्यादि का नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कामगारों/कर्मचारियों के वेतन में काफी लम्बे समय से वृद्धि नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कामगारों/कर्मचारियों के वेतन और अन्य देयों का नियमित भुगतान कराने और उनके वेतनमानों में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) और (ख). सरकार, एन.टी.सी. को अपने कामगारों/कर्मचारियों की मजदूरियों, वेतनों तथा बोनस का भुगतान करने में पेश आ रही कमी को पूरा कर रही है। तथापि, बजटीय अड़चनों के कारण मजदूरियां तथा वेतनों के वितरण में यदा-कदा विलंब हो जाता है। चूंकि सांविधिक बकायों के भुगतान हेतु निधियों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है इसलिए एन टी सी भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा तथा ग्रेच्युटी जैसे सांविधिक बकाया का भुगतान नहीं कर पाया है। सांविधिक बकाया के भुगतान के लिए कुल 121.56 करोड़ रुपये देय हैं।

(ग) और (घ). एन टी सी के कामगारों/कर्मचारियों के वेतनों को नियमों/आदेशों के अनुसार क्षेत्र सह उद्योग फार्मूला, डी डी ए स्केल तथा आई डी ए स्केल के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया गया है। सरकार ने बी आई एफ आर के पास पुनर्वासन पैकेज के अनुमोदन के लंबित रहने तक, एन टी सी के मजदूरी बिल को पूरा करते रहने का निर्णय लिया है।

रूस के साथ व्यापार

2415. **श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995-96 में रूस के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1996-97 में रूस को निर्यात के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं; और

(घ) रूस को किए जाने वाले निर्यात को बढ़ाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रामैया) : (क) और (ख). जी, हां। वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान रूस के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार निम्नानुसार था :-

(मूल्य करोड़ रुपये)

	निर्यात	आयात	जोड़	प्रतिशत वृद्धि
1994-95	2534	1584	4118	
1995-96	3503	2853	6356	54

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान रूस को निर्यात करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। आशा है कि 1995-96 के दौरान रूस को हुए 3503 करोड़ रुपए के निर्यातों को 1996-97 में भी कमोवेश बनाए रखा जाएगा।

(घ) दोनों सरकारें द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए नियमित आधार पर परस्पर विचार-विनिमय कर रही हैं। 1992 में व्यापार तथा आर्थिक सहयोग करार पर हस्ताक्षर होने तथा व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग संबंधी द्विपक्षीय अन्तःसरकारी आयोग का गठन होने के बाद दोनों देशों के बीच अनेक करार हुए हैं तथा व्यापार और आर्थिक सहयोग का संवर्धन करने के लिए कई तंत्र स्थापित किए गए हैं। भण्डारगृहों के

माध्यम से खेप निर्यात के आधार पर भारत-रूस व्यापार को बढ़ाने तथा रूस में भारतीय बैंकों की और अधिक मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। दोनों पक्ष व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में सहभागिता, व्यापार सूचना के आदान-प्रदान आदि के जरिए द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं।

बड़ी इलायची का उत्पादन

2146. श्री भीम प्रसाद दाहाल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसाला बोर्ड और जैव प्रौद्योगिकी विभाग बड़ी इलायची के लिए उत्तक सवंर्द्धन कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पृथक रूप से वित्तीय परिणाम का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बोर्डों का अनेक मैदानी परीक्षण अधिक उपज देने वाली सामग्री और बड़ी इलायची की आनुवांशिक रूप से अच्छी किस्म का पता लगाने के कार्य जारी रखने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). जी, हां। "लार्ज कार्डमम टिश्थू कल्चर - प्रोडक्ट प्लान" नामक परियोजना 58.05 लाख रु. की कुल लागत से लागू की जा रही है जिसमें जैव-प्रौद्योगिकी विभाग और मसाला बोर्ड की हिस्सेदारी होगी। इस परियोजना में सिक्किम के चार जिलों और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में बड़ी इलायची के टिश्शू कल्चर की उत्पादन क्षमता की तुलना में उपकर्ताओं के खेतों में इसके पौधों की संख्या का मूल्यांकन व्यापक स्तर पर किए जाने का विचार है।

(ग) और (घ). टिश्शू कल्चर बड़ी इलायची उत्पाद योजना के बारे में "प्रोग्राम मॉनीटरिंग एवं प्रबंधन समिति" (पी.एम.एम.सी.) की पहली बैठक ने परखनली में गुणन के लिए आठ कृन्तकों (क्लोन्स) की पहचान की है जिनके नाम हैं :- एस.बी.एल.सी.-5, एस.बी.एल.सी.-7, एस.बी.एल.सी.-9, एस.बी.एल.सी.-10, एस.बी.एल.सी.-33, एस.बी.एल.सी.-37, एस.बी.एल.सी.-42 और एस.बी.एल.सी.-43। कृन्तकों का चयन एक क्षेत्र-स्तरीय सर्वेक्षण पर आधारित है। सर्वेक्षण उच्च कोटि के कृन्तकों की पहचान के लिए है। इस सर्वेक्षण में उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी सिक्किम और पश्चिम बंगाल का दार्जलिंग जिला शामिल था। उच्च कोटि के कृन्तकों के चयन के लिए स्थापित बैंचमार्क प्रति-हैक्टेयर 1000 कि.ग्रा. की उपज है जबकि औसत राष्ट्रीय उत्पादकता 225 कि.ग्रा. प्रति-हैक्टेयर (1995-96) है। यह सर्वेक्षण, मसाला बोर्ड, गंगटोक के भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया था।

[हिन्दी]

रक्षित कोयला खनन ब्लॉक

2147. श्री संदीपान थोरात : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विद्युत, इस्पात तथा लौह उत्पादन कंपनियों से रक्षित कोयला खनन ब्लाकों के आवंटन हेतु अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो कोल इंडिया लि. के पास स्वीकृति हेतु ऐसे कितने प्रस्ताव लंबित है तथा इन प्रस्तावों को स्वीकृत करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे प्रस्तावों के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग). कोयला मंत्रालय में गठित जांच समिति द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों तथा लोहे एवं इस्पात के निर्माण में नियोजित कंपनियों को आवंटन किए जाने हेतु ग्रहीत कोयला ब्लॉकों के विनिर्दिष्ट किए जाने हेतु कई प्रस्तावों पर विचार किया गया है।

जांच समिति के निर्णय के आधार पर 15 विद्युत उत्पादक कंपनियों तथा 5 लौह एवं इस्पात कंपनियों को ग्रहीत कोयला ब्लॉकों की पेशकश की गई है।

इसके अतिरिक्त, 10 विद्युत उत्पादक कंपनियों, 2 लौह एवं इस्पात कंपनियों तथा 5 सीमेंट कंपनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनकी कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं.लि.) तथा भारत सरकार के संबद्ध मंत्रालयों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

राज्य व्यापार निगम की वित्तीय स्थिति

2148. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राज्य व्यापार निगम (एस.टी.सी.) ने वर्ष 1995-96 में 51.36 करोड़ रुपए की हानि को 32.67 करोड़ रुपए के लाभ में बदलने के लिए अपने खाते में हेराफेरी की थी, जैसा कि । अक्तूबर, 1996 के "द फाईनैन्शियल एक्सप्रेस" के नई दिल्ली संस्करण में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने राज्य व्यापार निगम की खाता प्रणाली के प्रति कड़े शब्दों में टिप्पणी की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने सूचित किया है कि इसने 1995-96 वित्तीय वर्ष के लेखाओं को लेखे की अपनी सुप्रतिष्ठित नीतियों के आधार पर अंतिम रूप दिया है। इन लेखाओं की लेखा-परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई थी और एस.टी.सी. के निदेशक मंडल ने उन पर विचार किया और अपनी स्वीकृति दी। एस.टी.सी. के इन लेखा-परीक्षित लेखाओं में 32.67 करोड़ रु. का लाभ परिलक्षित हुआ। तथापि, सी. एण्ड ए.जी. ने बाद में की गई अपनी टिप्पणी में यह कहा कि निम्नांकित राशियों के लिए प्रावधान किए जाने चाहिएं :-

(क) वर्ष 1991-92 से पहले और उस अवधि तक अखबारी कागज के सरणीकृत आयात के लिए वसूल की जाने वाली 20.02 करोड़ रु. की राशि।

(ख) वसा युक्त अम्लों के आयात के लिए वसूल किए जाने वाली 60.33 करोड़ रु. की राशि।

(ग) एस.टी.सी. की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी टी ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (टी.टी.सी.आई.) में किए गए निवेश के रूप में 3.00 करोड़ रु.।

एस.टी.सी. के निदेशक मंडल ने इन टिप्पणियों पर विचार किया और इस तथ्य पर ध्यान रखते हुए कि उपर्युक्त (क) और (ख) पर दी गई राशि सरकार से वसूल किया जाने वाला ऋण है और चाय बागानों की बिक्री की प्रक्रिया टी.टी.सी.आई. में चल रही है, इसलिए बोर्ड ने इन राशियों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं करने का निर्णय लिया। एस.टी.सी. के अंशधारियों ने भी वार्षिक आम बैठक में एस. टी.सी. बोर्ड के निर्णय का समर्थन किया।

(ग) और (घ). सी.एण्ड. ए.जी. ने एस.टी.सी. की कारोबार, निवेश, सम्पत्ति-सूची, ऋण और अग्रिमों के रखरखाव और रिपोर्टिंग संबंधी लेखा-नीति/प्रक्रिया पर टिप्पणी की है। इस निगम की लेखा-नीतियां लेखे की सुप्रतिष्ठित नीतियों पर आधारित हैं और वर्ष दर वर्ष इनका पालन किया जा रहा है।

आबिद हुसैन समिति

2149. **श्री उत्तम सिंह पवार** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छोटे तथा बहुत छोटे क्षेत्र के संवेदनात्मक पैकेज हेतु आबिद हुसैन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके कब तक प्राप्त होने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के अनुसार, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समिति का समय 31 दिसम्बर, 1996 तक के लिए बढ़ा दिया गया है ताकि वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके।

केरल में नारियल जटा उद्योग

2150. **श्री पी.सी. थामस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल को नारियल जटा उद्योग के समेकित विकास की परियोजना के लिए सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह सहायता किस तारीख को दी गयी;

(ग) क्या गत दो वर्षों से सहायता नहीं दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या परियोजना का क्रियान्वयन धनराशि के अभाव में ठप्प है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सहायता को जल्दी जारी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). केरल सरकार की नारियल जटा उद्योग के समेकित विकास परियोजना (आई सी डी पी) को केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1993-94 के दौरान अनुमोदित किया था। परियोजना की कुल लागत 44.24 करोड़ रु. है जिसमें से भारत सरकार का 20 प्रतिशत अंश केवल 8.84 करोड़ रु. बनता है। 24.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त वर्ष 1993-94 में जारी की गई थी।

(ग) और (घ). प्रक्रियात्मक विलम्बों तथा अपेक्षित अनुमतियों के अभाव के कारण केरल राज्य की सरकार को अधिक निधियां जारी नहीं की जा सकी।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) केरल की आई सी डी पी के लिए निधि जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी की आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

निर्यातकों के लिए बिजी सीजन क्रेडिट पालिसी

2151. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई "बिजी सीजन क्रेडिट पालिसी" तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यात ऋण लागत में वृद्धि हो रही है जिससे पैकिंग ऋण पर ब्याज 6.5 प्रतिशत वृद्धि के कारण 13 प्रतिशत हो गया है और 90 दिन से अधिक विलम्ब वाले बिलों के संबंध में बैंक मनमानी दरें वसूल कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार को छोटे निर्यातकों से कम दर लागत पर पर्याप्त निर्यात ऋण उपलब्ध न होने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो निर्यातकों को हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1996-97 के उत्तरार्ध के लिए मौद्रिक नीति की घोषणा 19.10.1996 को की गई थी। नीति में घोषित निर्यात संबंधी उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं : (1) बैंकों में निर्यात ऋण के लक्ष्यों में वृद्धि करके उसे निवल बैंक ऋण के वर्तमान 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत करना, जिसे मार्च, 1997 के अंत तक प्राप्त किया जाएगा, (2) 21 अक्तूबर, 1996 से मुद्दती बिलों के संबंध में पोत-लदानोत्तर रुपया ऋणों की ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाना, जिसके अनुसार लदान की तारीख से कुल 90 दिनों तक की अवधि के लिए लागू ब्याज दर 13 प्रतिशत वार्षिक और कुल 90 दिनों से अधिक तथा 6 महीने तक की अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक है। ब्याज दरों में यह संशोधन वर्तमान बकाया अग्रिमों पर भी लागू है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अक्तूबर/नवम्बर, 1993 से निर्यातक लंदन अंतर बैंक प्रस्तुत दर (एल आई बी ओ आर) से सम्बद्ध दरों पर विदेशी मुद्रा में या रुपए में निर्यात ऋण प्राप्त कर सकते हैं और उपलब्ध वायदा प्रीमियम का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार, निर्यात ऋण के लिए ब्याज दरें पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक और अंतर्राष्ट्रीय दरों के अनुरूप हैं। इसके अलावा, ऋण निर्यात की विशिष्टियों में से केवल एक है।

(घ) और (ङ). सरकार को निर्यातकों से प्राप्त शिकायतें सामान्यतया सस्ती दरों पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध न होने के संबंध में होती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को विस्तृत हिदायतें जारी की हैं कि (1) किसी भी पात्र निर्यात को निधियों के अभाव के कारण परेशानी न हो (2) निर्यात ऋण के प्रस्तावों की अस्वीकृति के मामले मुख्य कार्यपालक के ध्यान में लाए जाएं, जिसमें अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट किया गया हो; और (3) ऋण सीमाओं की समय से और पर्याप्त मंजूरी के मामले में निर्यातक उधारकर्ताओं की शिकायतों का तत्परतापूर्वक निवारण किया जाए।

कांडला शुष्क पत्तन की स्थापना

2152. श्री माधवराव सिंधिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला में शुष्क (ड्राइ) पत्तन पर प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की लागत कितनी है;

(ख) देश में स्थापित किए जाने हेतु सरकार के विचाराधीन अन्य स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये पत्तन कब तक स्थापित की जाएगी?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) एक शुष्क पत्तन का अर्थ सामान्तया उस पत्तन से होता है जिसमें कार्गो भण्डारगृह, सीमा शुल्क निकासी, भराई/उतराई, बैंकिंग, स्टीयर एजेंटों की सेवाएं, फ्रेट फार्वार्डर, इत्यादि की सुविधाएं तटवर्ती पत्तनों से दूर स्थानों पर उपलब्ध रहती हैं। भारत में ऐसी सुविधाएं अंतर्देशीय कन्टेनर डिपो (आई.सी.डी.) और कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों (सी.एफ.एस.) पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। शुष्क पत्तन (अंतर्देशीय कन्टेनर डिपो/कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों) आई.सी.डी./सी.एफ.एस.) स्थापित करने के प्रस्तावों को एक ही खिड़की से मंजूरी प्रदान करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय में एक अंतर मंत्रालयी समिति (आई.एम.सी.) कार्य कर रही हैं। काण्डला में सी.एफ.एस. स्थापित करने के केन्द्रीय भण्डारण निगम के एक प्रस्ताव को कथित आई.एम.सी. ने अपनी मंजूरी दी थी। केन्द्रीय भण्डारण निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) द्वारा लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से काण्डला में जो सी.एफ.एस. का निर्माण किया गया है, वह मार्च, 1996 से कार्यरत है।

(ख) और (ग). सरकार जब कभी आई.सी.डी./सी.एफ.एस. की स्थापना संबंधी प्रस्ताव प्राप्त करती है तो वह उन पर विचार करती है। सरकार के पास देश में राज्य वार शुष्क पत्तन स्थापित न करने के जो प्रस्ताव विचाराधीन हैं उनमें निम्नलिखित हैं :-

1. केरल - (अरूर और कोचीन में सी.एफ.एस.)
2. महाराष्ट्र - (द्रोणागिरी नोडे और नई बम्बई में सी.एफ.एस.)
3. उत्तर प्रदेश - (दादरी में आई.सी.डी.)
4. तमिलनाडु - (तूतीकोरिन में सी.एफ.एस.)
5. गुजरात - (राजकोट में सी.एफ.एस.)
6. राजस्थान - (भिवाडी में आई.सी.डी.)

कपास का निर्यात

2153. श्री सनत मेहता :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री के.पी. सिंह देव :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान कपास की फसल के दौरान कपास एवं सूती धागों के निर्यात पर लगे सभी प्रतिबंधों को वापस लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कपास के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कपास उत्पादकों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 5.15 लाख गांठ का एक निर्यात कोटा कपास वर्ष 1996-97 के आरंभ में ही रिलीज कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, कपास उपजकर्ताओं को मदद करने के उद्देश्य से, सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) घोषित कर दिया गया है। भारतीय कपास निगम लि. (सी सी आई) अधिकांश प्रमुख कपास बाजारों में वाणिज्यिक खरीदारियां करने के लिए प्रवेश कर रहा है। विभिन्न राज्य विपणन परिसंघ भी सीधे उपजकर्ताओं से कपास खरीद रहे हैं। कपास का उत्पादन बढ़ाने हेतु, कृषि मंत्रालय ने सघन कपास विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन सहित अनेक उपाय किए हैं। सी सी आई ने राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ाने के लिए विस्तार परियोजनाएं भी शुरू की हैं।

[हिन्दी]

अनुसंधान और गवेषणा हेतु धनराशि

2154. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री नवल किशोर राय :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयला उद्योग में अनुसंधान और गवेषणा कार्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या आवंटित धनराशि का योजना के अंतिम चार वर्षों के दौरान समुचित उपयोग नहीं किया गया;

(ग) यदि हां, तो मार्च, 1996 तक अनुसंधान और गवेषणा कार्य वास्तव में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयला उद्योग के विकास हेतु किए गए अनुसंधान और गवेषणा कार्यों संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) कोयला क्षेत्र और कोयले के क्षेत्रीय अन्वेषण में अनुसंधान तथा विकास संबंधी क्रियाकलापों हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय क्रमशः 87 करोड़ रु. तथा 25 करोड़ रु. है। योजना के मध्यवर्ती मूल्यांकन के दौरान क्षेत्रीय अन्वेषण हेतु 25 करोड़ रु. के प्रावधानों को बाद में 45 करोड़ रु. तक बढ़ा दिया गया।

(ख) से (घ). अनुसंधान के 4 बड़े क्षेत्र अर्थात उत्पादन, उत्पादकता तथा सुरक्षा, कोयला परिष्करण, कोयला उपयोगिता तथा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर वर्ष 1992-93 से 1995-96 की अवधि के दौरान अनुमोदित अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं पर लगभग 15.19 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई। 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार इन क्रिया-कलापों से संबंधित 43 परियोजनाएं थीं।

आठवीं योजना (1992-93 से 1995-96) के प्रथम चार वर्षों के दौरान क्षेत्रीय अन्वेषण में लगभग 269148 मी. ड्रिलिंग किया गया। इस अवधि के दौरान ड्रिलिंग क्रियाकलापों पर लगभग 33.53 करोड़ रु. की राशि व्यय की गई।

घटिया सीमेंट

2155. श्री नीतीश कुमार : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिकायतें मिली हैं कि कुछ भवनों में जहां जे.के. उदयपुर उद्योग लिमिटेड को जे.के. शक्ति सीमेंट ब्रांड नाम की (आई.एस.आई.) 43 ग्रेड, बैच नं. 49/95 सीमेंट का प्रयोग किया गया था हाल ही में धंस गये हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार तथा सीमेंट के उत्पादक जे.के. उदयपुर उद्योग लिमिटेड को गत दिनों इस प्रकार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ग) क्या इस संबंध में कोई मुआवजा दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो मुआवजा न देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए मंत्रालय की भूमिका का क्या प्रभाव रहा?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (घ). सरकार को इस बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता द्वारा प्रयुक्त सीमेंट परीक्षण परिणामों में मजबूती की दृष्टि से ठीक पायी गयी है और इसलिए सीमेंट की गुणवत्ता शिकायतकर्ता द्वारा बतायी गयी दुर्घटना का कारण नहीं हो सकती है।

(ङ) सीमेंट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 1995 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी सीमेंट का बिक्री के लिए विनिर्माण अथवा भंडारण, विक्रय अथवा वितरण नहीं किया जायेगा जो निर्धारित मानक के अनुरूप न हो और जिस पर मानक चिन्ह् अंकित न हो। भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) उत्पादित सीमेंट की निरंतर निगरानी कर रहा है और नमूनों की जांच के बाद यदि सीमेंट घटिया पाया जाता है, तो उनके द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र तत्काल रद्द कर दिया जाता है।

हथकरघा विकास केन्द्र

2156. डा. राम लखन सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार द्वारा हथकरघा विकास केन्द्रों और गुणवत्ता रंगाई एककों की स्थापना हेतु सहायता और ऋण के रूप में राज्यवार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान अन्य वित्तीय संस्थाओं जैसे "नाबार्ड" द्वारा इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) हथकरघा विकास केन्द्रों और उत्कर्ष रंगाई इकाईयों की योजना के अंतर्गत प्रत्येक हथकरघा विकास केन्द्र के लिए 27.00 लाख रुपये और प्रत्येक उत्कर्ष रंगाई इकाईयों के लिए 7.83 लाख रुपये की कम्पोजिट सहायता देने का प्रावधान है जिनमें से 10.00 लाख रुपये प्रति हथकरघा विकास केन्द्र और 4.265 लाख प्रति उत्कर्ष रंगाई इकाई के लिए केन्द्रीय अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है और शेष राशि ऋण के रूप में दी जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान मंजूर की गई राशि का विवरण संलग्न है।

(ख) ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	दी गई सहायता		
		1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	246.95	414.090	217.820
2.	असम	100.00	409.235	84.490
3.	बिहार	-	74.460	114.410
4.	गुजरात	-	20.420	8.250
5.	हरियाणा	-	-	4.000
6.	हिमाचल प्रदेश	2.00	30.360	26.195
7.	जम्मू और कश्मीर	-	6.080	3.040
8.	कर्नाटक	17.50	84.690	26.695
9.	केरल	29.37	260.980	116.050
10.	मध्य प्रदेश	20.00	82.065	31.870
11.	महाराष्ट्र	6.00	53.385	26.480
12.	मणिपुर	113.74	607.525	132.000
13.	नागालैंड	-	-	8.000
14.	उड़ीसा	170.30	278.28	153.840
15.	राजस्थान	-	3.040	2.235
16.	तमिलनाडु	124.85	805.830	449.105
17.	त्रिपुरा	-	48.010	17.075
18.	उत्तर प्रदेश	-	404.890	140.130
19.	पश्चिम बंगाल	161.29	336.640	165.855
20.	पांडिचेरी	-	10.5015	-
	जोड़	1000.00	4018.5015	1728.340

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में बड़े उद्योग लगाना

2157. श्री मुनव्वर हसन : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में बड़े उद्योग स्थापित करने हेतु इस वर्ष जनवरी से उद्योग-वार कुल कितने विदेशी प्रस्ताव प्राप्त किए गए; और

(ख) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना हेतु सरकार द्वारा 1.1.96 से 30.9.96 तक की अवधि के दौरान कुल 50 विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। प्रस्तावों के क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1.1.96 से 30.9.96 तक की अवधि में स्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा तकनीकी सहयोग के क्षेत्रवार ब्यौरे

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	उद्योग का नाम	कुल	योग तकनीकी	वित्तीय	अनुमोदित प्रत्यक्ष निवेश की राशि	अनुमोदित कुल राशि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	धातुकर्मी उद्योग					
	लौह	1	0	1	0.20	0.01
	योग	1	0	1	0.20	0.01

1	2	3	4	5	6	7
2.	ईंधन					
	बिजली	1	0	1	15.00	1.01
	तेलशोधशाला	3	2	1	598.00	40.30
	योग	4	2	2	613.00	41.31
3.	विद्युत उपकरण					
	विद्युत उपकरण	9	5	4	7.31	0.49
	कम्प्यूटर सोफ्टवेयर उद्योग	3	0	3	22.56	1.52
	इलैक्ट्रोनिक्स	3	1	2	57.30	3.86
	योग	15	6	9	87.17	5.87
4.	दूरसंचार					
	दूरसंचार	1	0	1	50.00	3.37
	योग	1	0	1	50.00	3.37
5.	परिवहन उद्योग					
	आटोमोबाइल उद्योग	7	3	4	39.88	2.69
	यात्री कार	2	0	2	474.47	31.97
	योग	9	3	6	514.35	34.66
6.	औद्योगिक मशीनरी	5	4	1	0.17	0.01
7.	मशीनी औजार	1	1	0	0.00	0.00
8.	विभिन्न यांत्रिक तथा इंजीनियरी	5	1	4	5.59	0.38
9.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर	1	0	1	51.00	3.44
10.	औद्योगिक उपकरण	2	2	0	0.00	0.00
11.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	5	2	3	11.58	0.78
12.	वस्त्र (रंजक, मुद्रित सहित)	2	0	2	1.33	0.09
13.	कागज तथा लुग्दी-कागज उत्पाद	2	0	2	5.62	0.38
14.	खमीर उद्योग	1	0	1	1.00	0.07
15.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग					
	खाद्य उत्पाद	7	1	6	128.98	8.69
	योग	7	1	6	128.98	8.69
16.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	1	0	1	4.00	0.27
17.	साबुन, कास्मेटिक तथा टायलेट प्रिप्रेशन	1	0	1	0.04	0.00
18.	रबड़ की वस्तुएं	2	1	1	1.35	0.09
19.	कांच	1	1	0	0.00	0.00
20.	सिरेमिक्स	2	0	2	2.59	0.17

1	2	3	4	5	6	7
21.	सेवा क्षेत्र					
	गैर-वित्तीय सेवाएं	1	0	1	0.24	0.02
	योग	1	0	1	0.24	0.02
22.	ट्रेडिंग कम्पनी	1	0	1	0.05	0.00
23.	विविध कम्पनी					
	बागवानी	1	0	1	0.18	0.01
	कृषि	1	0	1	0.13	0.01
	अन्य (विविध उद्योग)	3	1	2	5.50	0.37
	योग	5	1	4	5.80	0.39
	योग	75	25	50	1484.50	

[हिन्दी]

महाराष्ट्र राज्य की परियोजनाओं को विश्व बैंक की सहायता

2158. श्री कचरु भाऊ राउत :
श्री दत्ता मेघे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की मदद से महाराष्ट्र में परियोजनाओं तथा नहरों के विकास हेतु कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) इन परियोजनाओं तथा नहरों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(घ) इन परियोजनाओं का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क), (ख) और (घ). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थान	राशि	दि. 31.10.96 की स्थिति के अनुसार उपयोग की गई राशि	परियोजना के बंद होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	महाराष्ट्र मिश्रित सिंचाई-III	जायाकबाडी और माजलगांव (नियंत्रित क्षेत्र)	193.81	185.29	31.12.96
2.	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता	अहमदनगर, औरंगाबाद, बीड, बुलधाना, लातूर पुणे, संगली, सतारा, चन्द्रपुर और थाणे जिले	109.90	47.66	31.12.97
3.	बम्बई व्ययन व्यवस्था	बम्बई और इसके उपनगर जिसमें 440 वर्ग कि.मी. क्षेत्र शामिल है।	192.00	6.97	31.12.02

1	2	3	4	5	6
4.	महाराष्ट्र विद्युत-I	कोयाना IV पन बिजली विद्युत प्लांट	354.04	185.04	31.12.96
5.	महाराष्ट्र विद्युत-II	चन्द्रपुर तापीय विद्युत संयंत्र	350.00	111.74	30.06.98
6.	महाराष्ट्र भूकम्प पुनर्वास परियोजना	लातूर और उस्मानाबाद के भूकंप से प्रभावित गांव तथा शोलापुर, सतारा, संगली, बीड, परभानी अहमदनगर, नांदेड, कोल्हापुर, औरंगाबाद, पुणे और नासिक के 11 अन्य जिले	276.82	92.50	30.06.97
7.	महाराष्ट्र वानिकी	सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य	124.00	37.59	30.09.98

टिप्पणी : इन राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के अतिरिक्त, तकनीकी शिक्षा-II और जल विज्ञान परियोजना नामक दो बहुराज्यीय परियोजनाएं तथा कई केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाएं है जिनमें महाराष्ट्र भी एक सहभागी राज्य है।

[अनुवाद]

लघु बचत

2159. श्रीमती मीरा कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न लघु बचत योजनाओं द्वारा राज्यवार कुल कितनी राशि जमा की गई है; और

(ख) सरकार द्वारा इस अवधि के दौरान लघु बचत को प्रोत्साहन देने के लिए क्या प्रयास किए गए?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) लघु बचत योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में आकर्षक प्रतिलाभ, कर रियायतों का विस्तार, प्रचार एवं अभिकर्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाना शामिल है। केन्द्र सरकार के अलावा, राज्य सरकारों तथा विस्तार एजेंसियों जैसे मानकीकृत अभिकरण प्रणालियों (एस.ए.एस.), पी.पी.एफ. एजेंटों तथा महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना (एम.पी. के.बी.वाई.) के एजेंटों द्वारा भी इन योजनाओं का व्यापक प्रचार किया जाता है।

विवरण

डाकघरों में राज्य-वार निवल लघु बचत संग्रह

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1993-94	1994-95	1995-96 (अनन्तिम)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	605.96	926.80	618.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.47	7.36	5.53
3.	असम	145.11	641.09	243.55
4.	बिहार	251.22	679.48	451.01
5.	गोवा	7.24	21.11	9.04
6.	गुजरात	484.39	857.80	1060.58
7.	हरियाणा	200.93	420.05	327.41
8.	हिमाचल प्रदेश	152.05	599.60	391.19

1	2	3	4	5
9.	जम्मू एवं कश्मीर	96.66	153.28	162.47
10.	कर्नाटक	321.03	1253.32	303.84
11.	केरल	309.84	636.14	300.39
12.	मध्य प्रदेश	204.64	407.65	405.27
13.	महाराष्ट्र	253.31	656.21	509.50
14.	मणिपुर	5.75	10.56	12.12
15.	मेघालय	15.48	18.66	6.91
16.	मिजोरम	4.22	8.15	5.38
17.	नागालैंड	1.21	3.16	2.53
18.	उड़ीसा	164.49	335.35	276.98
19.	पंजाब	431.18	671.70	605.80
20.	राजस्थान	437.29	680.41	543.06
21.	सिक्किम	0.94	5.72	6.02
22.	तमिलनाडु	535.42	724.46	400.32
23.	त्रिपुरा	19.84	28.96	33.48
24.	उत्तर प्रदेश	1186.02	2254.89	2021.50
25.	पश्चिम बंगाल	1259.44	1994.04	1959.63
	जोड़	7096.13	13995.95	9629.08

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी निगरानी न होना

2160. श्री आई.डी. स्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अगस्त, 1996 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में इंडियन बैंक एक्सपोजेज आर.बी.आईज. इनइफेक्टिवनेश" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी निगरानी एवं निरीक्षण न किए जाने के कारण ही इंडियन बैंक में घाटा हुआ तथा अन्य निजी तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी की घटनाएं हुई;

(घ) यदि नहीं, तो उक्त घाटे तथा धोखाधड़ी के लिए अन्य कौन-कौन सी बातें जिम्मेदार हैं; और

(ङ) देश के वाणिज्यिक बैंकों के सार्थक एवं प्रभावी नियंत्रण तथा उन पर निवेश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को और सुदृढ़ बनाने हेतु अन्य क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). संदर्भाधीन समाचार में यह आरोप लगाया गया है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों में अनियमितताओं का पता लगाने में भारतीय रिजर्व बैंक असफल रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान बैंकिंग उद्योग द्वारा दर्शायी गई हानियां इन कारणों से थीं। पिछले वर्षों में कम प्रावधान किया जाना जिसके कारण वर्ष 1995-96 में अतिरिक्त प्रावधान करने की आवश्यकता पड़ी, बैंकिंग उद्योग में वेतन संशोधन, बैंकों द्वारा धारित बाजार प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के कारण अतिरिक्त प्रावधान किया जाना आदि। बैंकिंग उद्योग में धोखाधड़ियां अधिकतर निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन न किए जाने के कारण हुई हैं।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक को अपने पर्यवेक्षी उत्तरदायित्वों/कार्यों को पूरा करने के लिए और मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए गए हैं। इनमें से प्रमुख हैं :- वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की स्थापना। इसके अतिरिक्त बैंकों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किया गया है और स्थलेतर निरीक्षण को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाया गया है।

[हिन्दी]

भारत और साईप्रस के बीच दोहरा कराधान

2161. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार साईप्रस और भारत के बीच दोहरे कराधान को समाप्त करने का है;

(ख) क्या इस संबंध में किसी संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं और

(ग) यदि हां, तो संधि की शर्तें तथा ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). साईप्रस गणराज्य के साथ दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार पर दिनांक 13.6.1994 को हस्ताक्षर किए गए हैं और उक्त करार कर निर्धारण वर्ष 1994-95 के संगत वित्तीय वर्ष 1993-94 से लागू है।

इस करार में लाभांशों, ब्याज, रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्कों के बारे में स्वदेशी दरों की तुलना में कराधान की निम्न दरों की व्यवस्था है। इस करार में यह भी व्यवस्था है कि एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे राज्य में कोई कराधान अथवा इससे सम्बद्ध अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस राज्य के कराधान और उससे सम्बद्ध अपेक्षाओं से अपेक्षाकृत अधिक बोझिल हो। इसके अलावा, इस करार में दोहरे कराधान को समाप्त करने और कर-अपवंचन अथवा धोखाधड़ी की रोकथाम करने के हेतु सूचना का आदान-प्रदान किए जाने के लिए भी व्यवस्था है।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रियों की बैठक

2162. **श्री पिनाकी मिश्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10,000 करोड़ रुपए डालर के प्रत्यक्ष विदेशी-निवेश के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से एक कार्यपरियोजना तैयार करने के लिए नई दिल्ली में सितम्बर, 1996 में प्रख्यात अर्थशास्त्रियों, वित्त मंत्रियों और अधिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेशी शिष्टमंडलों को भी आमंत्रित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सुझाई गई कार्ययोजना और इस सम्मेलन में व्यक्त किए गए विचारों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). "डेस्टीनेशन इंडिया - ग्लोबल समिट ऑन इनवेस्टमेंट ओपरचुनीटीज" शीर्षक से एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मलेन उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) द्वारा संयुक्त रूप से 10-11 सितम्बर, 1996 के दौरान आयोजित किया गया था। सम्मेलन पुनर्गठित एफ.आई.पी.बी. द्वारा प्रथम प्रोत्साहित अभिक्रम था।

सम्मेलन का उद्घाटन प्रधान मंत्री द्वारा किया गया और इसमें अन्यों के साथ-साथ वित्त उद्योग, वाणिज्य और विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। भारतीय रिजर्व बैंक और विभिन्न आर्थिक मंत्रालयों के कई उच्च अधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय निगमों के प्रतिनिधियों, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के नीति निर्माताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और प्रमुख भारतीय कम्पनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया। भारत में निवेश करने में रूचि लेने वाली अनेक प्रमुख विदेशी कम्पनियों के अतिरिक्त, विदेशी शिष्टमंडलों ने भी भाग लिया जिनमें विदेशी सरकारों के प्रतिनिधि और राजनयिक शामिल थे।

जारी आर्थिक सुधारों और उदारीकरण तथा उभरते हुए विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में सम्मेलन में भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में निवेश के सुअवसरों पर प्रकाश डाला। विचारों के आदान-प्रदान हेतु बैठकें आयोजित की गई जिनमें विदेशी शिष्ट मंडलों ने विभिन्न मदों और नीतिगत मामलों के संबंध में मंत्रियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए।

नारियल तथा नारियल से बनी अन्य वस्तुओं का आयात

2163. **श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नारियल से बनी मूल्यवर्द्धक उत्पादों जैसे नारियल क्रीम/दुग्ध तथा स्प्रे. सूखा नारियल, दुग्ध पाउडर का आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त निर्णय से केरल में घरेलू उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त निर्णय पर पुनर्विचार करने का तथा नारियल से तैयार की जाने वाली मूल्यवर्द्धक उत्पादों हेतु घरेलू उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग). सार्क देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने की दृष्टि से अन्तर मंत्रालयी परामर्श के बाद वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-8 (आर ई-96)/92-97, दिनांक 21-8-96 के द्वारा

नारियल क्रीम और नारियल दुग्ध पाउडर के आयात की अनुमति दी गई है।

(घ) और (ङ). निर्यात-आयात नीति की पुनरीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और जब कभी भी लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हो, इसमें परिवर्तन किए जाते हैं।

पास बुक योजना को समाप्त करना

2164. **श्री आर.एल.पी. वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान पास बुक योजना को समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप निर्यातकों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). पास बुक स्कीम, 1 अप्रैल, 1995 से आरंभ की गई है। इस स्कीम का ब्यौरा, निर्यात-आयात नीति के पैरा 54 तथा प्रक्रिया पुस्तक, भाग-I (संशोधित संस्करण : मार्च, 1996) के पैरा 114 में दिया गया है।

इस समय, वर्तमान पास बुक स्कीम को वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात में नमक उत्पादन

2165. **श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का 70 प्रतिशत नमक उत्पादन गुजरात में किया जाता है और देश भर में इसकी आपूर्ति की जाती है;

(ख) क्या राज्य में नमक के उत्पादन और देश भर में इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नमक आयुक्त कार्यालय को गुजरात में स्थानांतरित करने की मांग की गई है;

(ग) क्या नमक की मांग पूरा करने के लिए गुजरात से नमक की आपूर्ति हेतु उपलब्ध माल डिब्बे पर्याप्त संख्या में हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, हां। गुजरात, देश में उत्पादित कुल नमक का लगभग 70 प्रतिशत उत्पादन करता है।

(ख) गुजरात सरकार गुजरात के नमक उत्पादकों के संघों आदि द्वारा नमक आयुक्त के मुख्यालय को गुजरात में स्थानान्तरित करने की पुरजोर मांग होती रही थी। इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुये सरकार ने उस कार्यालय को अक्तूबर, 1994 में गांधी नगर (गुजरात) में स्थानांतरित करने के आदेश दिये थे। तथापि, अखिल भारतीय नमक विभाग कर्मचारी संघ ने कथित आदेशों के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की तथा स्थगनादेश प्राप्त किया। अब यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है तथा इसलिए यह निर्णयाधीन है।

(ग) जी हां। वर्तमान में गुजरात से नमक ले जाने के लिये बैगनों की आपूर्ति पर्याप्त है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करना

2166. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य** :
श्री प्रमथेस मुखर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार औद्योगिक वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के समापन हेतु की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या औद्योगिक वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बाइफर) के इन अनेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने के निर्णय को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की अपील न्यायाधिकरण ए.ए.आई.एफ.आर. के पास अपील करने की अनुमति नहीं दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन की प्रक्रिया सफल साबित नहीं हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तथ्य तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) ने सूचित किया है कि उसने 30.11.1996 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 8 उपक्रमों (सी पी एस यू) और राज्य सरकारी क्षेत्र के 15 उपक्रमों के परिसमापन की सिफारिश की है।

(ख) और (ग). इस प्रश्न का अभिप्राय स्पष्ट नहीं है। रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस आई सी ए) की धारा 25(1) के अधीन बी आई एफ आर द्वारा एस आई सी ए के अंतर्गत दिए गए आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति, उसे आदेश की प्रति जारी किए जाने की तारीख से 45 दिन के भीतर, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (ए ए आई एफ आर) में अपील दायर कर सकता है।

(घ) और (ङ). अलग-अलग सी पी एस यू के मामले में सम्बद्ध सी पी एस यू द्वारा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के परामर्श से कार्रवाई की जानी होती है।

कॉफी में चिकोरी को मिलाना

2167. **श्री बी.एल. शंकर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अंतर्गत कॉफी में कितने प्रतिशत चिकोरी मिलाने की अनुमति है;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि कॉफी में अनुमेय प्रतिशत से अधिक चिकोरी मिलाई जाती है और उसे शुद्ध कॉफी के रूप में बेचा जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रमैया) : (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अनुसार कॉफी में 49 प्रतिशत तक चिकोरी मिलाने की अनुमति है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

सोने का आयात

2168. **श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने मूल्य का सोना आयात किया गया; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त किए गए तस्करी के सोने का मूल्य क्या था?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). देश में वैध रूप से आयातित सोने और पकड़े गए सोने के अनुमानित मूल्य का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(अनुमानित मूल्य*)
(लाख रुपये में)

अवधि	वैध रूप से सोने का आयात	सोने का अभिग्रहण
1994-95	9,88,661	6080
1995-96	12,23,128	5720
1996-97 (आज तक)	9,05,970	3009

*ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

निजीकरण संबंधी मामलों की समिति

2169. **श्री हरिन पाठक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निजीकरण से सम्बन्धित सभी मामलों के समन्वय हेतु व्यावसायिक गैर-सरकारी निकाय गठित करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). भारतीय उद्योग परिसंघ ने सुझाव दिया है कि एक ऐसा निजीकरण अधिकरण बनाना आवश्यक है, जोकि मंत्रालय से संबंध हो और मंत्रिमण्डल को सीधे रिपोर्ट करे। इस अधिकरण का नेतृत्व सक्षम प्रबंधकों द्वारा किया जाना चाहिए और यह पारम्परिक अफसर शाही से मुक्त होना चाहिए। इस सुझाव पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

2170. **श्री रामशकल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कोई ऐसी नीति है जिसके अन्तर्गत ऐसे किसानों, जिनकी भूमि उद्योगों की स्थापना हेतु अधिग्रहीत की गयी है, के परिवार के सदस्यों को इन उद्योगों में रोजगार दिया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में कितने उद्योग स्थापित किए गए हैं तथा इन उद्योगों में कितने स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). राज्य सरकारें इस संबंध में उचित नीतियां तैयार करती हैं।

फर्जी बीमा दावे

2171. **श्री काशीराम राणा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान फर्जी बीमा दावों के कितने मामलों का पता लगाया गया तथा इनमें कितने बीमा अधिकारी लिप्त पाये गए और उन पर क्या कार्यवाही हुई; और

(ख) सरकार द्वारा बीमा क्षेत्र में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रस्तुत की गई अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :-

वर्ष	मामलों की संख्या	लिप्त अधिकारी
1994-95	10	14
1995-96	10	20

भारतीय साधारण बीमा निगम के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर दी जाएगी।

(ख) जब कभी भी जालसाजी दावों का पता चलता है तो शीघ्र ही जांच पड़ताल की जाती है और निगम के सीडीए नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाती है तथा आंतरिक पूछताछ की जाती है। जहां-कहीं सीबीआई का हस्तक्षेप आवश्यक समझा जाता है वहां मामलों को सीबीआई को सौंप दिया जाता है।

[अनुवाद]

यात्री कार संयंत्र की स्थापना

2172. श्री एस. रामचन्द्र रेड्डी :
श्री अजमीरा चन्दूलाल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम अथवा काकीनाड़ा पत्तन शहरों में यात्री कार संयंत्र की स्थापना संबंधी व्यवहार्यता की जांच करने हेतु केन्द्र सरकार से आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ग). जी, हां। विशाखापत्तनम और काकीनाड़ा के पत्तन शहरों में मै. मारूति उद्योग लिमिटेड द्वारा एक सवारी कार संयंत्र स्थापित करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। कंपनी अधिनियम के अनुसार इस समय मै. मारूति उद्योग लिमिटेड एक गैर-सरकारी कंपनी है और इसलिए संयंत्र के स्थापना-स्थल पर निर्णय मारूति उद्योग लिमिटेड के निदेशक बोर्ड द्वारा लिया जाना है।

विदेशी संस्थागत निवेशक

2173. श्री गोरधन भाई जावीया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय पूंजी बाजार में आज तक कुल कितना निवेश किया गया?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई.) के अभिरक्षकों द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास प्रस्तुत की गई आवधिक रिपोर्टों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय पूंजी बाजार में 20 नवम्बर,. 1996 तक किए गए संचयी निवल निवेश 7092.6 मिलियन अमरीकी डालर थे।

लाख का निर्यात

2174. श्री बीर सिंह महतो : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान लाख के निर्यात के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा आज की तारीख तक इसे कितना प्राप्त किया गया है; और

(ख) लाख के निर्यात में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) वर्ष 1996-97 के दौरान लाख के निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। अप्रैल-सितम्बर, 1996 की अवधि के लिए 29.07 करोड़ रुपये की कीमत के 2789 मी.टन शेलिक का निर्यात किया गया है।

(ख) सरकार वर्ष 1996-97 के लिए निर्यात संवर्धन कार्यकलापों हेतु शलैक निर्यात संवर्धन परिषद को 15.00 लाख रुपये देने के लिए सहमत हो गयी है।

[हिन्दी]

पिछड़े क्षेत्रों को करों में छूट

2175. श्री दत्ता मेघे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन से राज्य विकसित हैं;

(ख) क्या इन राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में करों में छूट प्रदान करने के लिए कोई अधिसूचना जारी की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) आयकर अधिनियम, 1961 की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों को आयकर अधिनियम की धारा 80 झ क में कर-प्रोत्साहन की व्यवस्था है। इनके नाम इस प्रकार हैं :-

1. अरुणाचल प्रदेश.
2. असम
3. गोवा
4. हिमाचल प्रदेश
5. जम्मू और कश्मीर
6. मणिपुर
7. मेघालय
8. मिजोरम

9. नागालैण्ड

10. सिक्किम

11. त्रिपुरा

12. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह

13. दादर और नगर हवेली

14. दमन और दीव

15. लक्षद्वीप

16. पांडिचेरी

देश के ऊपर उल्लिखित से भिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को औद्योगिक रूप से विकसित माना जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह मामला विचाराधीन है।

[अनुवाद]

कर्नाटक रेशम उद्योग निगम का पुनरूद्धार

2176. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक रेशम उद्योग निगम लिमिटेड (के.एस. आई.सी.) के पुनरूद्धार संबंधी प्रस्ताव को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को सौंप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बी.आई.एफ.आर. ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो के.एस.आई.सी. के पुनरूद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) जी, हां। कर्नाटक रेशम उद्योग निगम लि. ने अपनी पुनर्स्थापना के लिए बी आई एफ आर को एक प्रसंग भेजा हैं।

(ख) बी आई एफ आर ने प्रचालन एजेंसी के रूप में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) को नियुक्त किया है तथा कर्नाटक सरकार और कर्नाटक रेशम उद्योग निगम लि. को निर्देश दिया है कि आईडीबीआई के विचारार्थ पुनर्स्थापना प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। के एस आई सी ने कर्नाटक सरकार और आई डी बी आई को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है तथा राज्य सरकार से उसके अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मुखबिरों को प्रोत्साहन

2177. **श्री पी.एस. गढ़वी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में तस्करी के मामलों का पता लगाने के लिए मुखबिरों को प्रोत्साहन देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विशेष रूप से गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में सूचना दिए जाने के आधार पर तस्करी के कितने मामले पकड़े गए;

(घ) पता लगाए गए, जब्त किए गए धन और माल का ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुखबिरों को दी गई पुरस्कार राशि कितनी है;

(च) क्या कुछ मुखबिरों को कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है जिनकी सूचना के आधार पर सरकार ने करोड़ों रुपए मूल्य के तस्करी के माल का पता लगाया और उसे जब्त किया; और

(छ) यदि हां, तो मुखबिरों को कब तक पुरस्कार दे दिए जाएंगे?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). तस्करी के बारे में और/या सीमा शुल्क के अपवंचन के बारे में सुराग देने वाले मुखबिर, अभिग्रहीत माल के मूल्य/पता लगाए गए शुल्क के अपवंचन की राशि के 20 प्रतिशत तक का पुरस्कार पाने के हकदार हैं। सोने, चांदी और स्वापक द्रव्यों के मामलों में पकड़े गए माल के वजन के आधार पर पुरस्कार की विशेष दर निर्धारित की गई है।

(ग) से (छ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड को कोयले की आपूर्ति

2178. **श्री विजय पटेल** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत उत्पादन के लिए कोयले की आपूर्ति हेतु इसके तिमाही आवंटन संबंधी मानदंड क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड की कोयले की तिमाही आवश्यकता कितनी थी और इसकी तुलना में कितने कोयले का आवंटन किया गया;

(ग) अपर्याप्त कोयला आवंटन के क्या कारण हैं; और

(घ) गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड को पर्याप्त कोयला आवंटित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग). केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) द्वारा प्रत्येक कोयला पर आधारित विद्युत संयंत्रों के संबंध में उनके लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों के आधार पर कोयले के आवंटन की सिफारिश की जाती है। सी.ई.ए. द्वारा की गई सिफारिशों पर स्थायी संयोजन समिति (लघु अवधि) द्वारा विचार किया जाता है, जो कोयले की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत गृहों की उतराई संबंधी सुविधाओं तथा कोयला आपूर्ति हेतु समय से भुगतान किए जाने जैसे समग्र प्रतिबंधों के भीतर त्रैमासिक आधार पर प्रत्येक तापीय विद्युत गृह हेतु कोयले का आवंटन करती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. (को. इं.लि.) से गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड (जी.ई.बी.) के विद्युत गृहों के लिए स्वीकृत तथा प्रेषित संयोजन इस प्रकार है :-

(आंकड़े हजार टन में)
आंकड़े अनंतिम

वर्ष	संयोजन	प्रेषण
1993-94	12,465	11,143
1994-95	13,965	11,342
1995-96	13,425	12,135

(घ) गुजरात विद्युत बोर्ड के विद्युत गृहों सहित देश के विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति किए जाने के मामले को उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है। विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति का नियमित रूप से प्रबोधन एक अंतर-मंत्रालयीय दल द्वारा किया जाता है। जहां भी आवश्यक होता है, कोयले की आपूर्ति को तेज किए जाने के लिए उपयुक्त रूप में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

गुजरात विद्युत बोर्ड (जी.ई.बी.) से, उसके विद्युत गृहों पर कोयला उतारे जाने हेतु व्यवस्था में सुधार किए जाने का अनुरोध किया गया है। जी.ई.बी. से समय पर भुगतान किए जाने का भी अनुरोध किया गया है ताकि उन्हें आपूर्तित किए गए कोयले की अदायगी न किए जाने के कारण आपूर्ति को विनियमित किया जाना अपेक्षित न हो।

राष्ट्रकुल देशों के साथ व्यापार संबंध

2179. **डा. असीम बाला :**
श्री पी.सी. थामस :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रकुल देशों के साथ किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रमैया) : (क) भारत सरकार ने अजरबेजान के अलावा सभी सी आई एस देशों के साथ व्यापार करार किए हैं।

(ख) करारों की मुख्य बातों में शामिल हैं :-

- दीर्घ कालिक और स्थायी आधार पर द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग का संवर्धन;
- पारस्परिक परम मित्र राष्ट्र का व्यवहार;
- सभी वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक लेन-देन मुक्त रूप में हस्तांतरणीय मुद्राओं में;
- अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिनिधिमण्डलों के दौरों के आदान-प्रदान, मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी और सूचना के आदान-प्रदान के द्वारा उनके वास्तविक और न्यायिक व्यक्तियों के बीच संपर्कों को बढ़ाना और सुकर बनाना;
- संयुक्त उद्यम की स्थापना के माध्यम में आर्थिक निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना;
- एक दूसरे के क्षेत्र में उनके राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार विदेश व्यापार संगठनों, कंपनियों, फर्मों, बैंकों इत्यादि के शाखा कार्यालय खोलने को बढ़ावा देना; और
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी, परिवहन, संचार, कार्मिकों का प्रशिक्षण और पारस्परिक हितों के अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना।

[हिन्दी]

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में घाटा

2180. **वैद्य दाऊ दयाल जोशी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा को हानि उठानी पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसे आज तक कितनी हानि हुई;

(ग) क्या इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड का बी.एच.ई.एल. के साथ विलय का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी हां।

(ख) 122.21 करोड़ रुपये (दिनांक 30 नवम्बर, 1996 तक)

(ग) से (ङ). इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ने बी.एच.ई.एल. के साथ विलय का एक प्रस्ताव भेजा था। बी.एच.ई.एल. के विचार जानने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि इस अवस्था में इस प्रस्ताव के अनुसरण की आवश्यकता नहीं है।

कागज मिलों को बंद करना

2181. **श्री नंदकुमार सिंह चौहान** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी कागज मिलें बंद हो गई हैं;

(ख) उनमें सरकारी क्षेत्र की तथा निजी क्षेत्र की कितनी मिलें हैं;

(ग) उक्त मिलों के बंद होने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार इसे बंद किए जाने के कारणों का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाने जा रही हैं; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र की कागज मिलों का पुनरूद्धार करने के लिए सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) बंद पड़ी कागज की मिलों के संबंध में आंकड़े उद्योग मंत्रालय में केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार बंद पड़ी कागज की मिलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एक सार्वजनिक क्षेत्र मिल) की दो सहायक कम्पनियां अर्थात् नागालैण्ड पल्प तथा पेपर कम्पनी लि. तथा मान्डया नेशनल पेपर मिल बंद पड़ी हुई है। अन्य सभी इकाइयां निजी क्षेत्र में हैं।

(ग) और (घ). इन इकाइयों के बंद होने के आरोपित कारण वित्त की कमी, अनार्थिक उत्पादन, त्रुटिपूर्ण प्रबंधन पुरानी प्रौद्योगिकी तथा कम लाभ प्रदता हैं।

(ङ) **नागालैण्ड पल्प और पेपर कं. लि.**

इस कम्पनी को 1992 में बी आई एफ आर को संदर्भित किया था तथा सरकार ने मिल को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है तथा यह कम्पनी बी आई एफ आर के क्षेत्राधिकार से रूग्ण औद्योगिक कम्पनी के रूप में मुक्त हो गई है तथा सरकार ने वित्तीय पुनर्संरचना अनुमोदित कर दी है।

नान्डया नेशनल पेपर मिल्स

इस कम्पनी को 1992 में बी आई एफ आर को संदर्भित किया था तथा बी आई एफ आर ने मिल को बंद करने का आदेश दिया। सरकार ने बी आई एफ आर के आदेश के विरूद्ध ए ए एफ आई आर में याचिका दायर की तथा सरकार ने मिल के प्रचालन को पुनः आरंभ करने तथा चल रहे संदर्भ में निजीकरण करने का निर्णय लिया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	बंद पड़ी मिलों की संख्या
1	2	3
1.	असम	1
2.	बिहार	3
3.	पश्चिम बंगाल	15
4.	उड़ीसा	1
5.	उत्तर प्रदेश	13
6.	दिल्ली	1
7.	पंजाब	5
8.	हरियाणा	4
9.	चंडीगढ़	3
10.	हिमाचल प्रदेश	10
11.	राजस्थान	5
12.	गुजरात	8
13.	महाराष्ट्र	11
14.	मध्य प्रदेश	7
15.	आन्ध्र प्रदेश	14
16.	कर्नाटक	8
17.	तमिलनाडु	8
18.	केरल	2
19.	पांडिचेरी	2
20.	नागालैण्ड	1
	योग	122

[अनुवाद]

आई.टी.सी. द्वारा छोटी सिगरेटों का उत्पादन

2182. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन टोबैको कम्पनी को छोटी सिगरेट के उत्पादन की अनुमति वापस लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस बारे में कहीं से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आई.टी.सी. द्वारा उसे अनुमति दिए जाने के समय से कितना लाभ अर्जित किया गया; और

(च) क्या छोटी सिगरेटों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). जी नहीं। सिगरेटों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस संख्याओं की दृष्टि

से मंजूर किए जाते हैं न कि लम्बाई की दृष्टि से। छोटी सिगरेटों का विचार उत्पाद शुल्क की दृष्टि से प्रासंगिक है। चूंकि छोटी सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क की कम दर 1994-95 से लागू की गयी थी और मै. आई.टी.सी. को सिगरेटों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस बहुत पहले जारी किए गए थे, इसलिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन जारी किए इस प्रकार के लाइसेंसों को रद्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). बीड़ी क्षेत्र ने छोटी सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क कम कर दिए जाने के बारे में आशंका प्रकट की है, क्योंकि इससे बीड़ी उद्योग पर असर पड़ सकता है। तथापि जब से छोटी सिगरेटों से उत्पाद शुल्क कम किया गया है तब से बीड़ियों के उत्पादन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ङ) मै. आई.टी.सी. ने सिगरेटों के संबंध में वर्ष 1994, 1995 और 1996 की अपनी वार्षिक रिपोर्टों में निम्नलिखित उत्पादन आंकड़े दर्शाये हैं :

	मात्रा (मिलियन संख्या	मूल्य (रु. लाख में)
1994	48387	29,81,45
1995	50609	33,35,75
1996	60972	41,05,98

छोटी सिगरेटों के संबंध में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(च) जी, नहीं।

युनाइटेड बैंक आफ इंडिया, मुम्बई के साथ धोखाधड़ी

2183. श्री राम नाईक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1996 के दौरान मुम्बई में युनाइटेड बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा के साथ 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गयी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह धोखाधड़ी किस प्रकार की गयी; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). युनाइटेड बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि 8 लाख रु. के तीन चैक उनके कालबा देवी शाखा, मुम्बई के एक कर्मचारी द्वारा जारी किए गए थे। ये चेक सांगली सहकारी बैंक लि. में उसके खाते में जमा किए जाने हेतु उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। जब समाशोधन के माध्यम से भुगतान के लिए सांगली सहकारी बैंक द्वारा ये चेक प्रस्तुत किए गए तो उसने धोखाधड़ी पूर्ण तरीके से इन चैकों को हटा दिया और साथ ही कालबा देवी शाखा में लेखों में हेराफेरी भी की। किसी वापसी मेमों (रिटर्न मेमों) की अनुपस्थिति में, सांगली सहकारी बैंक ने राशि को उसके खाते में जमा कर दिया था जिसे बाद में उसने निकाल लिया था।

सम्बद्ध कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बैंक के अनुसार, यह धोखाधड़ी स्पष्ट रूप से निर्धारित प्रणलियों और प्रक्रियाओं को लागू करने में हुई पर्यवेक्षी कमी के कारण हुई है।

सीरियस फ्रांड्स ऑफिस (एस.एफ.ओ.) की स्थापना

2184. श्री संदीपान थोरात : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 नवम्बर, 1996 के "दि इकानामिक टाइम्स" में "रेड्स किल स्पिरिट टू टेक इकानॉमिक रिस्क्स - सी.बी.आई. फाउन्ड इन इंएडिकवेट, एफ.एम. अर्जड टू सेट अप सीरियस फ्राड्स आफिस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या बैंकिंग तथा वित्तीय बाजार क्षेत्र ने भी सरकार से आपराधिक स्वरूप की वित्तीय अनियमितताओं के उद्देश्यों की जांच के लिए एक सीरियस फ्राड्स आफिस (एस.एफओ.) अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अंतर्गत एक न्यायिक प्रकोष्ठ गठित करने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). समाचार मद में, अन्य बातों के साथ-साथ, आपराधिक स्वरूप की वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए एक सीरियस फ्रांड्स आफिस (एस.एफ.ओ.) स्थापित करने की मांग का उल्लेख किया गया है। बैंकिंग एवं वित्तीय धोखाधड़ियों पर कार्रवाई करने के लिए विशेष धोखाधड़ी ब्यूरो स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

बुनकर कल्याण कोष

2185. श्री मुख्तार अनीस : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1995 और 1 अप्रैल, 1996 की तिथि के अनुसार बुनकर कल्याण कोष में कितनी राशि शेष है;

(ख) 1995-96 के दौरान इस कोष में कितनी धनराशि जमा की गई; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बुनकरों के लिए विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों पर इस कोष से योजनावार और राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) से (ग). बुनकर कल्याण कोष नामक कोई योजना नहीं है तथापि भारत सरकार ने हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए थिफ्ट फंड योजना, समूह बीमा योजना और स्वास्थ्य पैकेज योजना कार्यान्वित की है। इन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता गत वर्षों में बढ़ती ही गई है जो वर्ष 1993-94 के दौरान 699.99 लाख रुपये से बढ़कर वर्ष 1995-96 के दौरान 987.98 लाख रुपये थी।

इलाहाबाद बैंक की ग्रामीण शाखा में सावधि जमा खाते का पता लगना

2186. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इलाहाबाद बैंक की एक ग्रामीण शाखा में लाखों रुपये की एक सावधि जमा खाते का हाल ही में पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें क्या कार्यप्रणाली अपनाई गई;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में इस प्रकार के जाली खातों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ). केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी बी आई) ने सूचित किया है कि पशुपालन विभाग के मामले की जांच के दौरान उसे पटना जिले में बैंक की सात ग्रामीण शाखाओं में कुल 64,46,086 रु. के कतिपय संदिग्ध बेनामी खातों का पता चला है। ये खाते नमूना हस्ताक्षरों के संग्रहण, खाता खोलने वाले फार्मों के उचित ढंग से भरे जाने, फोटोग्राफों का संग्रह आदि जैसी आवश्यक औपचारिकताओं पर ध्यान दिए बिना खोले गए थे। सी बी आई की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये खाते न खोले जाएं, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से उन व्यक्तियों के फोटोग्राफ प्राप्त करने, जो खाता खोलने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं और स्वतंत्र रूप से खाताधारकों के पतों की पुष्टि प्राप्त करने के लिए भी कहा है। जांच अधिकारी से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे खाता खोलने संबंधी निर्धारित मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

सरकारी उपक्रमों में चयन तथा नियुक्ति

2187. **श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के शीर्ष पदों के लिए चयन तथा नियुक्ति के लिए नीतियां अथवा निर्धारित नियम के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी अधिकारियों के लिए सरकारी उपक्रमों के शीर्ष मदों पर नियुक्ति के पहले त्याग पत्र देने अथवा सेवानिवृत्ति लेने को आवश्यक बनाने के लिए कोई आदेश अथवा नियम है;

(ग) क्या हाल ही के वर्षों में इस परिपाटी से हट कर काम हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जब सरकारी अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति अथवा चियन के आधार पर सरकारी उपक्रमों में उक्त पदों पर काम करने की अनुमति दी गई है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) नियमों और विनियमों के अनुसार, सरकारी उद्यमों में मुख्य कार्यपालकों और कार्यकारी निदेशकों का चयन सरकारी उद्यम चयन मण्डल द्वारा किया जाता है और उनकी नियुक्ति विभिन्न औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा की जाती है। सरकार की यह नीति है कि वह कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत प्रचलित उचित और उद्देश्यपूर्ण चयन प्रक्रिया द्वारा सरकारी क्षेत्रों के उद्यमों में शीर्ष पदों पर उत्कृष्ट व्यावसायिक प्रबन्धकों को नियुक्त करे। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के भीतर व्यावसायिक प्रबन्धकों के संवर्ग का विकास करने की आवश्यकता स्वीकार की है। इसलिए, जब तक कि सुस्पष्ट रूप से बाहर से बेहतर उम्मीदवार उपलब्ध न हो जाए, बोर्ड स्तर की नियुक्तियों में आंतरिक उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है। विशेष मामलों में केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित सेवाओं से भर्ती की जाती है।

(ख) से (घ). मुख्य कार्यपालकों और क्षेत्रीय/आंचलिक प्रमुखों के मामलों को छोड़कर, जिन्हें राज्य सरकारों के साथ सतत संपर्क और समन्वय बनाए रखना आवश्यक होता है और जहां राज्य सरकारों में प्राप्त की गई विशेषज्ञता संगठनात्मक कुशलता के लिए आवश्यक है, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में पदों पर सरकारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अनुमति प्रदान की जाती। उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1995 और 1996 के दौरान सामान्य नियमों/मार्ग-निर्देशों में छूट प्रदान करते हुए सरकारी उद्यमों में प्रतिनियुक्ति पर 8 सरकारी अधिकारियों को बोर्ड के स्तर पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है।

आस्ट्रेलियाई निवेश

2188. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ग). 1.8.91 से 31.8.96 की अवधि के दौरान, भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में आस्ट्रलियन फर्मों के द्वारा 2087।.6 मिलियन रुपये के निवेश को अनुमोदित किया है। उपर्युक्त अवधि के दौरान आस्ट्रेलियन निवेश के चोटी के पांच क्षेत्र इस प्रकार हैं :-

क्षेत्र	राशि (रु. मिलियन में)	आस्ट्रेलिया के लिए किये गये कुल अनुमोदित का प्रतिशत
1. धातुकर्मी उद्योग	10539.72	49.70%
2. दूरसंचार	8005.55	37.75%
3. विद्युत उपकरण	914.62	4.31%
4. रसायन	643.49	3.03%
5. विविध	521.05	2.46%

स्वास्थ्य बीमा

2189. डा. कृपासिंधु भोई : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के वृद्ध लोगों के लिए कोई स्वास्थ्य बीमा और आवास सुरक्षा योजना शुल्क शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रों से सरकार को कौन-कौन से सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि साधारण बीमा उद्योग पहले ही चिकित्सा दावा, भविष्य आरोग्य और जन आरोग्य नामक 3 मुख्य चिकित्सा बीमा पालिसियां प्रदान कर रही है जिनको एक वृद्ध नागरिक निर्धारित प्रीमियम अदा करके खरीद सकता है। साधारण बीमा उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में उन परिवारों को, जिनकी सभी स्रोतों से आय 4800/- रुपए वार्षिक से अधिक नहीं है, झोंपड़ी बीमा कवच भी प्रदान करता है। उस योजना के अन्तर्गत, यदि झोंपड़ी आग से नष्ट हो जाती है तो 1000/- रुपए और यदि झोंपड़ी में रखा सामान नष्ट हो जाता हैं तो 500/- रुपए का मुआवजा अदा किया जाता है। लाभभोगी द्वारा कोई प्रीमियम अदा नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त, साधारण बीमा उद्योग "व्यापक गृह धारक" बीमा पालिसी के अन्तर्गत भवनों और उनमें रखे हुए सामान को आग से नष्ट होने अथवा उसको क्षति पहुंचने, चोरी और सेंधमारी होने पर; बिजली गिरने, घरेलू उपकरणों में गैस के विस्फोट होने तथा अन्य बाह्य जोखिमों आदि के विरूद्ध भी बीमा कवच प्रदान करता है। वृद्ध लोगों सहित देश का कोई भी नागरिक निर्धारित प्रीमियम अदा करके इन पालिसी कवचों का लाभ ले सकता है। बीमा कम्पनियां, प्राप्त किए गए अनुभव और समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों के आधार पर इन पालिसियों में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता का अनवरत रूप से पुनरीक्षण करती है।

कृषि मदों संबंधी निर्यात नीति

2190. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गेहूं, चावल, मक्का, दालें और अन्य खाद्यान्नों संबंधी दीर्घावधि निर्यात नीति को अंतिम रूप दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने नीति के बारे में अन्य मंत्रालयों तथा एजेन्सियों से विचार-विमर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो उनके द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एक उत्पाद के कुल कितने प्रतिशत भाग को निर्यात सीमा के लिए निर्धारित किया जाएगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ङ). सरकार की यह नीति है कि आम खपत की मदों के निर्यात की इस प्रकार से अनुमति दी जाए कि इससे खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के साथ समझौता नहीं करना पड़े। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार दालों, गेहूं, मक्का इत्यादि जैसी मदों पर लाइसेंसिंग, मात्रात्मक उच्चतम सीमा और न्यूनतम निर्यात कीमत जैसे प्रतिबंध लगाती है। इसके साथ-साथ, सरकार का उद्देश्य यह भी है कि किसानों के लाभ के लिए कृषिजन्य क्षेत्र से विदेशी मुद्रा आय को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए।

[हिन्दी]

न्यूजप्रिंट की कीमत

2191. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्मित न्यूजप्रिंट का बिक्री मूल्य आयातित न्यूजप्रिंट की तुलना में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का आकलन क्या है;

(ग) वर्ष 1996 के पूर्वार्द्ध में घरेलू न्यूजप्रिंट तथा आयातित न्यूजप्रिंट का बिक्री मूल्य क्या था; और

(घ) इस असमानता को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) सरकार ने 29.10.96 से अखबारी कागज के आयात पर 10 प्रतिशत सीमा शुल्क पहले ही लगा दिया है।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय तथा घरेलू कीमतों में प्रवाह

अवधि	अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें			औसतन स्वदेशी कीमतें
	दर (डालर)	परिवर्तन दर	देश में पहुंचने पर कीमत (रुपये/मी.टन)	
सितम्बर, 95-जनवरी, 96	750	34.0	25500	27000
फरवरी, 96-मार्च, 96	700	-वही-	23800	27000
अप्रैल, 96-जून, 96	580	35.0	20300	27000
जुलाई, 96	500	35.80	17900	24000
अगस्त/सितम्बर, 96	480	35.80	17184	21000
अक्तूबर, 96	430	35.80	15394	18000

[अनुवाद]

महिलाओं को ऋण स्वीकृत करने में बैंकों की अनिच्छा

2192. श्री अमर पाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 अक्तूबर, 1996 के पॉयनर में "रूरल वीमेन रनअप अगेन्सट अन्हेल्पफुल बैंक" के शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महिलाओं के आर्थिक स्तर में सुधार लाने के लिए उन्हें मदद प्रदान करने हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डी डब्ल्यू सी आर ए) जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) की एक उप-योजना है, वर्ष 1982-83 में 50 जिलों में प्रायोगिक आधार पर शुरू हो गई थी, परन्तु अब देश के सभी जिलों में लागू कर दी गयी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1992-93 से 1995-96 के दौरान कवर किए जाने वाले 61900 समूहों के लक्ष्य के मुकाबले 89185 समूह कवर किए गए थे, जिससे 15,37,662 महिला हिताधिकारियों को लाभ हुआ, जिसके लिए 133.13 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया। इस योजना के कार्य निष्पादन की स्थिति निम्नलिखित सारणी में देखी जा सकती है :-

(लाख रुपए में)

वर्ष	लक्ष्य (समूहों की सं.)	उपलब्धि (बनाए गए समूहों की सं.)	लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या	निधियों का उपयोग
1992-93	7500	9029	1,28,744	1548.17
1993-94	11000	15483	2,68,525	2365.00
1994-95	13400	37964	5,92,026	3100.00
1995-96	30000	26709	5,48,367	6300.00
जोड़	61900	89185	15,37,662	13313.17

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जारी की गई हिदायतों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हिदायतें शामिल थीं :—

(1) डी डब्ल्यू सी आर ए के अंतर्गत महिलाओं को ऋण के प्रवाह में सुधार करना। इसके अलावा डी डब्ल्यू सी आर ए के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता महिलाओं के समूहों को भी प्रदान की जा सकती है, यद्यपि उनके परिवार के सदस्य आई आर डी पी या फसल ऋण या किसी अन्य उधार के अंतर्गत बैंकों के चूककर्ता हो सकते हैं, चाहे यह चूक वास्तविक हो या जानबूझकर क्यों न की गई हो। तथापि, यदि आई आर डी पी के अंतर्गत महिला हिताधिकारी स्वयं चूककर्ता हो, वास्तविक या जानबूझकर, तो वह डी डब्ल्यू सी आर ए के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र नहीं होगा। विद्यमान मार्गनिर्देशों के अनुसार इस प्रकार की सहायता, समूहों को प्रदान की जा सकती है, चाहे वे समूह पंजीकृत हों या अनौपचारिक।

(2) आई आर डी पी/डी डब्ल्यू सी आर ए के अंतर्गत सभी क्रियाकलापों के लिए 50,000/- रुपए तक के ऋणों के लिए किसी संपार्श्विक प्रतिभूति की मांग न करना।

(3) आई आर डी पी/डी डब्ल्यू सी आर ए के अंतर्गत, जन कार्य एवं कल्याण प्रौद्योगिकी समिति (सी ए पी ए आर टी) द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रायोजित किए गए परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(4) डी डब्ल्यू सी आर ए योजना के अंतर्गत निर्मित आस्तियां आई आर डी पी के तहत अग्रिमों के विनियोग के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

(5) जहां तक संभव हो, अग्रणी बैंक, प्रत्येक जिले में एक महिला अधिकारी की पहचान करें जो महिलाओं को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं आदि संबंधी प्रावधानों की ओर अनन्य रूप से ध्यान दे सके।

(6) विशेषकर महिला आवेदकों द्वारा दिए गए आवेदन पत्र को अपूर्ण पता, अधूरे फार्म, राशन कार्ड के न होने आदि के कारण रद्द न किया जाए। बैंक, महिला आवेदकों को आवेदन पत्र भरने, औपचारिकताएं पूरी करने आदि में सहायता प्रदान करें।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, (नाबार्ड) ने भी कई उपाय किए हैं जैसे गैर कृषि विकास में महिलाओं के लिए योजना, अनौपचारिक स्वयं सेवा दलों (एस एच जी) को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के साथ जोड़ना आदि।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने भी महिला उद्यमियों को लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने योग्य बनाने के लिए उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता के विस्तार के लिए व साम्य प्रकार की सहायता के लिए कई अन्य योजनाएं तैयार की हैं। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक क्षेत्रों में स्वयं/श्रमजीवी रोजगार के अवसर प्रदान करने की गतिविधियों के माध्यम से, महिलाओं की दशा को उन्नत बनाने में लगे स्वैच्छिक संगठनों को भी, अनुदान/ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। महिला उद्यमियों की सहायता के लिए सिडबी द्वारा परिचालित विशेष योजनाओं में, पुनर्वित्त योजना, महिला उद्योग निधि योजना और महिला विकास निधि शामिल हैं।

ब्याज के भुगतान में छूट

2193. **श्री नीतीश कुमार :**
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995-96 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गए ऋणों पर ब्याज की अदायगी में छूट की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह छूट प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिये गए ऋण पर प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों द्वारा अर्जित लाभ की प्रतिशतता क्या है; और

(ङ) गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दी गई ब्याज की छूट की प्रतिशतता क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ङ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 10 अक्तूबर, 1994 से सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा ऋणों की ब्याज दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई है :-

ऋण सीमा	वार्षिक ब्याज दर
25,000/- रुपए तक के ऋण	12.0 प्रतिशत
25,000/- रुपए से अधिक लेकिन 2 लाख रुपए तक के ऋण	13.5 प्रतिशत
2 लाख रुपए से अधिक के ऋण	स्वतंत्र*

*निर्दिष्ट अवधि वाले निर्यात ऋण को छोड़कर।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को परामर्श दिया है कि वे अपनी मूल उधार दरें (पीएलआर) निर्धारित करें, जो 2 लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमाओं के लिए उनके द्वारा प्रभारित की जाने वाली न्यूनतम उधार दर होगी। बैंक 2 लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमा का लाभ प्राप्त करने वाले अपने उधारकर्ताओं से उच्चतर ब्याज दरें वसूल कर सकते हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक द्वारा निर्दिष्ट ऋण पात्रता पर निर्भर करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अक्तूबर, 1996 में घोषित 1996-97 के उत्तरार्ध की मौद्रिक नीति में, बैंकों को यह परामर्श भी दिया गया है कि मूल उधार दर घोषित करने के साथ-साथ, उन्हें सभी अग्रिमों के लिए (उपभोक्ता ऋण को छोड़कर) मूल उधार दर के अधिकतम विस्तार की घोषणा भी करनी चाहिए।

कारों/बसों का निर्माता

2194. श्री एन.जे. राठवा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में, विशेष कर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विदेशी सहयोग से कारों/बसों के निर्माण की कोई योजना है/विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के मौजूदा कार/बस निर्माताओं पर इसके प्रभाव का विश्लेषण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). उदारीकृत औद्योगिक नीति के संदर्भ में इकाइयों का स्थान नियमित नहीं किया जाता है। सरकार ने कार तथा वाणिज्यिक वाहनों के विनिर्माण के लिये कम्पनियों के बिड़ला समूह तथा यू.एस.ए. के जनरल मोर्टस के बीच एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने का अनुमोदन किया है। गुजरात में हालोल पर 25,000 वाहन प्रतिवर्ष क्षमता की विनिर्माण सुविधाओं के लिये संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। संयुक्त उद्यम में उत्पादन पहले ही आरंभ हो गया है।

(ग) और (घ). नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत सभी प्रकार के स्वचालित वाहनों का विनिर्माण लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है तथा प्रौद्योगिकी का उदार आयात उद्योग को अनुमेय कर दिया गया है। इन उपायों से प्रतियोगात्मकता निर्धारण तथा भारतीय मोटर-गाड़ी उद्योग में वृद्धि होने की आशा है।

[हिन्दी]

स्मार्ट कार्ड स्कीम

2195. श्री सत्यदेव सिंह :
कुमारी उमा भारती :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में "स्मार्ट कार्ड स्कीम" शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका उद्देश्य क्या है; और

(ग) यह स्कीम कब तक शुरू कर दी जाएगी?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) देश में "स्मार्ट कार्ड स्कीम" को आरंभ करने के संबंध में वर्तमान में कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र के लिए विश्व बैंक ऋण

2196. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि क्षेत्र के लिए विश्व बैंक से ऋण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक से प्राप्त होने वाले अपेक्षित ऋण की राशि कितनी है;

(ग) कृषि क्षेत्र के वे कौन से विशेष क्षेत्र हैं, जहां विश्व बैंक से प्राप्त ऋण के उपयोग की संभावनाएं हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत में ग्रामीण वित्त सुधार पर विश्व बैंक से बातचीत करने के लिए 15-20 नवम्बर, 1996 के दौरान वाशिंगटन की यात्रा की।

(ख) परियोजना के प्रथम चरण हेतु के एफ डब्ल्यू से 60 मिलियन अमरीकी डालर के समकक्ष की समान्तर वित्तीय सहायता सहित, 400 मिलियन अमरीकी डालर की विश्व बैंक सहायता प्राप्त होने का अनुमान है।

(ग) और (घ). विश्व बैंक का ऋण संभावित रूप से ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को प्रोत्साहित करने, महिलाओं और कम लाभभोगी निर्धनों के तक पहुंच को सुगम बनाने, चुनिंदा वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लागत से सम्बद्ध कारगरता को ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सेवाएं मुहैया कराने हेतु बढ़ाने इस प्रकार की वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रमीण बैंकों की वित्तीय दृष्टि से आत्म-धारणीयता को प्रोत्साहन देने विशेषतया कम लाभभोगी गरीबों के लिए इनकी उपलब्धता को सुधारने और ग्रामीण वित्त में और आगे सुधार करने हेतु विश्लेषणात्मक एवं प्रयोगात्मक आधारशिला रखने के लिए प्रयुक्त किया जाना है।

विदेशों में निवेश

2197. श्री के. परसुरामन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योगपतियों ने विदेशों में निवेश में रूचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारतीय निर्यातों की विश्वव्यापी प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने हाल के वर्षों में विदेशों में भारतीय निवेश के अनुमोदन की प्रक्रियाओं को सरल और कारगर तथा उदारीकृत बनाया है। अगस्त, 1995 में वाणिज्य मंत्रालय ने इस संबंध में व्यापक और पारदर्शी दिशानिर्देश अधिसूचित किए थे।

पिछले तीन वर्षों में अनुमोदित निवेश प्रस्तावों की संख्या और निवेश की राशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

कैलेण्डर वर्ष	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित कुल राशि (अमरीकी मिलियन डालर)
1994	222	336.32
1995	216	277.18
1996 (30.11.96 तक)	248	215.20

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा अर्जित मुनाफा

2198. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. पिछले कई वर्षों से मुनाफा अर्जित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. ने कुल कितना मुनाफा अर्जित किया है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान मुनाफे की धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया गया है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वे.को.लि.) द्वारा अर्जित किया गया लाभ नीचे दिया गया है :–

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
1993–94	31.59
1994–95	71.57
1995–96	98.59

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान वे.को.लि. की मुख्यतः विभिन्न परियोजनाओं में निवेश किए जाने हेतु इन लाभों को उपयोग में लाया गया है।

इंदिरा गांधी विमान पत्तन पर साफ्ट वेयर प्रणाली का ठप्प होना

2199. डा. एम. जगन्नाथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी विमान पत्तन के एयर कार्गो टर्मिनल में मानव चालित प्रणाली के स्थान पर स्थापित किए गए कम्प्यूटर प्रणाली को चालू किए जाने के एक सप्ताह बाद ही इस प्रणाली में जबर्दस्त खराबी आ गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या है; और

(ग) उक्त खराबी को दूर करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ताकि निर्यातकों की शिकायत दूर की जा सके?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). दिल्ली सीमाशुल्क गृह में कम्प्यूटरीकरण का कार्य चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। आयात संबंधी दस्तावेजों को प्रोसस करने का कार्य मई, 1995 में कम्प्यूटरीकृत किया गया था और निःशुल्क लदान पत्रों से संबंधित निर्यात दस्तावेजों संबंधी कार्य को 3 जून, 1996 से कम्प्यूटरीकृत किया गया है। प्रति अदायगी वाले लदान पत्रों से संबंधित निर्यात दस्तावेजों को प्रोसेस करने का कार्य एक नवम्बर, 1996 से आरंभ किया गया है। प्रथम सप्ताह में इस परिवर्तन के दौरान प्रोसेसिंग की कार्य गति थोड़ी सी धीमी रही थी जो कि किसी भी कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया में एक आम बात है। अब यह प्रणाली 8 नवम्बर, 1996 से आगे सुस्थिर हो गयी है और कम्प्यूटर का प्रयोग करते हुए प्रति अदायगी वाले लदान पत्रों को तैयार किया जा रहा है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क बोर्ड निपटारा आयोग

2200. श्री जी. वेंकट स्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क बोर्ड में उत्पाद शुल्क संबंधी विवाद मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में कार्यरत निपटारा आयोग के अनुरूप निपटारा आयोग की स्थापना करने का प्रस्ताव जिसे 1992 में प्रस्तुत किया गया था अभी भी लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इस प्रस्ताव पर अभी विधि मंत्रालय के साथ परामर्श से विचार किया जा रहा है।

राज्य हथकरघा निगम को सहायता

2201. **श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :**
श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार करघा लगने से पूर्व और करघा लगने के बाद की संसाधन सुविधाएं स्थापित करने के लिए राज्य हथकरघा वित्त निगमों और हथकरघा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी सहायता देने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में और चालू वर्ष के अभी तक सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी गई ऐसी सहायता की राज्यवार राशि कितनी है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा राज्य हथकरघा विकास निगमों, राज्य हथकरघा शीर्ष समितियों और प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को विभिन्न वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत सहायता दी जाती है जैसे : प्रोजेक्ट पैकेज योजना और एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना। इसके अतिरिक्त प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को भी हथकरघा विकास केन्द्र और उत्कर्ष रंगाई इकाई योजना के अंतर्गत सहायता दी जाती है। इन योजनाओं के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ करघे से पूर्व व करघे के उपरांत प्रोसेस सुविधाओं के लिए भी सहायता दी जाती है।

(ग) इन योजनाओं की मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त व्यवहार्य प्रोजेक्ट प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय अनुमान जारी किया जाता है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत जारी राशि का विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	दी गई राशि			
		1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	457.35	536.52	505.31	229.86
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	87.00	-	-
3.	असम	221.13	686.76	405.71	211.00
4.	बिहार	21.66	94.48	191.59	26.81
5.	गुजरात	46.06	68.42	14.45	13.90
6.	हरियाणा	-	6.25	11.50	10.27
7.	हिमाचल प्रदेश	59.05	67.52	77.53	35.45
8.	जम्मू और कश्मीर	14.75	6.08	50.09	-
9.	कर्नाटक	102.50	138.19	38.84	14.74
10.	केरल	103.37	504.73	350.00	6.25
11.	मध्य प्रदेश	31.60	113.36	197.03	2.60
12.	मेघालय	-	6.37	-	-
13.	महाराष्ट्र	14.70	150.86	120.76	-
14.	मणिपुर	175.62	706.93	140.25	24.70
15.	मिजोरम	6.00	-	10.00	-
16.	नागालैंड	-	51.00	45.84	183.54

1	2	3	4	5	6
17.	उड़ीसा	399.21	496.64	298.12	137.77
18.	पांडिचेरी	–	18.50	–	–
19.	राजस्थान	12.25	37.61	339.18	–
20.	तमिलनाडु	187.75	975.14	669.94	60.77
21.	त्रिपुरा	25.20	104.46	101.08	–
22.	उत्तर प्रदेश	151.74	590.14	207.83	6.25
23.	पश्चिम बंगाल	170.07	379.54	219.23	31.40

राष्ट्रीय वस्त्र निगम को मिलें श्रमिकों के वेतन

2202. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन आरती कपड़ा मिल तथा हावड़ा की सेंट्रल काटन मिल को औद्योगिक वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) और (ख). आरती काटन मिल तथा सेंट्रल काटन मिल एन टी सी (डब्ल्यू बी ए बी एंड ओ) लि. के अधीन हैं। एन टी सी (डब्ल्यू बी ए बी एंड ओ) का समग्र मामला बी आई एफ आर को भेजा गया है तथा उसने उन्हें रूग्ण घोषित कर दिया है। बी आई एफ आर ने इस सहायक निगम को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया है। यह मामला बी आई एफ आर के समक्ष 31.3.1997 को सुनवाई के लिए आना निश्चित है।

विनिवेश आयोग

2203. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री संतोष मोहन देव :
श्री सनत मेहता :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवों के कोर ग्रुप ने एयर इंडिया तथा सेल सहित 40 सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को विनिवेश आयोग के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने 10 अक्तूबर, 1996 की अपनी बैठक में इस मामले पर विचार किया है;

(ग) अब तक आयोग को कुल कितनी संख्या में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) इस मामले में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या गत वर्ष के दौरान सरकार द्वारा 5000 करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य पूरा कर लिया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). सरकारी क्षेत्र के 40 उपक्रमों का आयोग द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है, जोकि विभिन्न संस्थानों और संगठनों के साथ बैठकें भी आयोजित कर रहा है। यह सरकारी क्षेत्र से संबंधित उद्यमों से संदर्भ में विचार करने के पश्चात् अपनी सिफारिशें करने का प्रस्ताव रखता है।

(ङ) और (च). पिछले वर्ष अर्थात् 1995-96 में विनिवेश के लिए निर्धारित लक्ष्य 7,000 करोड़ रुपये था जोकि निवेशकों की उपयुक्त प्रतिक्रिया तथा प्रतिकूल बाजारी परिस्थितियों के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका।

दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन

2204. श्री सईदा कोटा :
श्री आई.डी. स्वामी :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने हेतु विधि आयोग से दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने हेतु कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण होने वाले विधि स्नातकों में पेशेवर कुशलता सुनिश्चित करने हेतु अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में भी कतिपय संशोधन करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन संशोधनों को कब तक किए जाने की संभावना है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) जी हां।

(ख) विधि आयोग ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) के विषय में अपनी 154वीं रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसे सदन के पटल पर खोजने की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सेल्यूलर फोनों की तस्करी

2205. प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में सेल्यूलर फोनों की धड़ल्ले से तस्करी होने की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप अनुमानित कितने राजस्व की हानि हुई है;

(ग) सेल्यूलर फोनों के अवैध आयातकों/तस्करों द्वारा तस्करी का कौन सा तरीका अपनाया जाता है;

(घ) इसका सेल्यूलर फोन के घरेलू उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) सरकार द्वारा सेल्यूलर फोनों की तस्करी रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ). सेल्यूलर फोनों की तस्करी के कुछेक मामले सरकार के ध्यान में आए हैं। चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किए जाने वाला धन्धा है और इसलिए सेल्यूलर फोनों की तस्करी सहित तस्करी की सही मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अतः सेल्यूलर फोनों की तस्करी के रूप में राजकोष को हुई हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। सेल्यूलर फोनों की तस्करी के संबंध में मुख्य रूप से यह कार्यप्रणाली अपनाई जाती रही है कि इन्हें असबाब में छिपा कर, गलत घोषणा करके और वाहनों में छिपा कर लाया जाता है। उपलब्ध रिपोर्टों से यह पता चलता है कि सेल्यूलर फोन का स्वदेशी विनिर्माण वास्तव में अभी शुरू होना है। क्षेत्रीय कार्यालय सेल्यूलर फोनों की तस्करी सहित सभी प्रकार की तस्करी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए सतर्क हैं।

स्वीय विधि (पर्सनल लॉ)

2206. श्री राम नाईक : क्या विधि और न्याय मंत्री के बारे में 2 अगस्त, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2370 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में सूचना एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक आवश्यक सूचना एकत्र कर ली जाएगी?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग में राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार ने, स्वीय विधियों को गोवा में विस्तारित किए जाने की साध्यता की समीक्षा करने के लिए हाल ही में, किसी समिति/आयोग का गठन नहीं किया है।

चाय का आयात

2207. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय के आयात का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) आयात की जाने वाली प्रस्तावित चाय की कुल मात्रा कितनी है और यह किस दर पर आयात की जानी है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गोविन्दपुर में जमीन धंसने की घटना

2208. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मो घाटी क्षेत्र कोयला खान संख्या 11 तथा कोलघर क्षेत्र के गोविंदपुर मे अक्तूबर, 1996 में मिट्टी धंसने से तीन महिलाओं तथा चार कोयला मजदूरों की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). जी, नहीं। किन्तु, दिनांक 16.10.96 को प्रातः कुछ बाहरी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (से.को. लि.) की अमलो ओपनकास्ट खान की खदान संख्या 11 में, उस कोलियरी में कोयला सीमों की सफेद मिट्टी (खड़िया) खोदने के प्रयोजन से दाखिल हुए। खुदाई की प्रक्रिया के दौरान, ऊपर की मिट्टी (खड़िया) के एक भाग के ढह जाने के परिणामस्वरूप 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई तथा अन्य 4 व्यक्ति (2 पुरूष और 2 महिलाएं) घायल हो गए।

(ग) ऐसे अनाधिकृत प्रवेशों को रोकने के उद्देश्य से खानों के आस-पास सुरक्षा उपायों को बढ़ाया जा रहा है।

कोयले की बिक्री

2209. श्रीमती सुषमा स्वराज :
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि. की कितनी सहयोगी इकाइयां वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान कोयला उत्पादन में लगी हुई थीं तथा प्रत्येक इकाई द्वारा कितने कोयले का उत्पादन किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त प्रत्येक इकाई द्वारा उपभोक्ताओं को कितना कोयला बेचा गया; और

(ग) उक्त प्रत्येक वर्ष के अंत में उपर्युक्त प्रत्येक इकाई के पास कितना कोयला बचा हुआ था?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं.लि.) की प्रत्येक सहायक कंपनी में किए गए कोयले के उत्पादन तथा प्रेषणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(मि.टन में)

कंपनी-वार/सहायक कंपनी-वार ब्यौरा	उत्पादन		प्रेषण	
	1994-95	1995-96	1994-95	1995-96
ई.को.लि.	24.85	27.81	24.21	25.79
भा.को.को.लि.	28.75	27.81	28.34	26.49
से.को.लि.	31.21	38.76	31.11	30.74
ना.को.लि.	32.60	35.20	32.91	35.08
वे.को.लि.	27.24	29.01	27.24	30.35
सा.ई.को.लि.	50.00	53.17	47.82	52.28
म.को.लि.	27.33	32.70	26.91	34.31
ना.ई.को.	1.99	0.82	0.83	1.03
को.इं.लि.	223.07	237.28	219.37	236.07

(ग) संभवतः माननीय सांसद कोयला स्टाकों को संदर्भगत कर रहे हैं, अतः को.इं.लि. की प्रत्येक सहायक कंपनी के पास वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के अंत में बिक्री योग्य कोयले के स्टाकों की मात्रा नीचे दी गई है :-

(मिलियन टन में)

कम्पनी	31.3.95 की स्थिति के अनुसार	31.3.96 की स्थिति के अनुसार
ई.को.लि.	2.29	3.34
भा.को.को.लि.	4.33	4.86
से.को.लि.	4.64	4.28
ना.को.लि.	1.48	1.59
वे.को.लि.	3.08	1.39
सा.ई.को.लि.	8.70	9.13
मा.को.लि.	5.14	3.46
ना.ई.को.	1.14	0.90
जोड़	30.80	28.95

बैंकों में हिन्दी का प्रयोग

2210. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राष्ट्रीयकृत बैंकों में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किए जाते हैं और बैंक-वार अन्य शाखाओं में कितने प्रतिशत बैंक कार्य हिन्दी में किए जाते हैं; और

(ख) बैंकों की सभी शाखाओं में कब तक सभी कार्य पूरी तरह हिन्दी में किया जाएगा?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आई.आर.बी.आई. द्वारा उद्योगों की सहायता

2211. श्री शिवराज सिंह :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1995-96 के दौरान रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा दी गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा रूग्ण औद्योगिक एककों को वर्ष 1995-96 के दौरान मंजूर और संवितरित की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपए)

राज्य	मंजूरियां	संवितरण
आन्ध्र प्रदेश	शून्य	1.40
हरियाणा	2.67	शून्य
केरल	शून्य	0.10
कनार्टक	1.02	0.70
तमिलनाडु	शून्य	0.14
उत्तर प्रदेश	2.63	2.72

महाराष्ट्र में कोयला भण्डार

2212. **श्री कचरु भाऊ राउत :**
श्री नामदेव दिवाचे :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र की कोयला खानों में इस समय कोयले का कितना भंडार है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में खोजे गए नए कोयला भण्डारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए कोयला भंडारों का पता लगाने के लिए चल रहे खोज कार्यों का ब्यौरा क्या है और इस पर कब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) भारतीय भू-सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार दिनांक 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र के विभिन्न कोलफील्डों में कोयले कुल भू-गर्भीय भण्डारों को 600 मीटर की गहराई तक 6638 मि.टन आंकलित किया गया है।

(ख) इस बारे में किए गए क्षेत्रीय अन्वेषण के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान, महाराष्ट्र राज्य में कुल 360 मि.टन नए कोयले के भण्डारों का अन्वेषण किया गया है।

(ग) वर्तमान में जी.एस.आई. द्वारा चन्द्रपुर जिले के मासर-पिरती-पावना क्षेत्र, वरधा घाटी कोलफील्ड्स तथा नागपुर जिले के कटोल सब-बेसिन के करोल क्षेत्र के आसपास अन्वेषण कार्य किया जा रहा है। इन चालू अन्वेषण क्रियाकलापों पर 0.46 करोड़ रु. के कुल व्यय का आकंलन किया गया है।

खिलौना उद्योग

2213. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के खिलौना उद्योग ने देश तथा विदेश में एक अच्छा बाजार विकसित कर लिया है;

(ख) क्या देश में खिलौनों के निर्माण के लिए प्रशिक्षित डिजाइनकर्ता उपलब्ध नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, हां। खिलौना उद्योग को विदेश और देश में क्रमशः 140,000 करोड़ रु. और 175 करोड़ रु. का अच्छा बाजार मिल जाने की आशा है । इस उद्योग को 15 से 20 प्रतिशत वार्षिक विकास दर की आशा है।

(ख) और (ग). देश में प्रशिक्षित व्यक्ति विशेषतया खिलौनों के डिजाइनकर्ता आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन, सीडो द्वारा देश में स्थापित किए गए विभिन्न औजार कक्षों में बढ़िया मोल्डों के डिजाइन एवं विनिर्माण के लिए सक्षम प्रशिक्षित डिजाइनकर्ता उपलब्ध हैं। मौजूदा औजार कक्षों के अतिरिक्त, सरकार 6 नये औजार कक्षों की स्थापना भी कर रही है जो कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इसके अलावा भारतीय विनिर्माताओं के उत्पादों के प्रदर्शन के लिए भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई टी पी ओ) खिलौनों सहित विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनियां आयोजित करता है। स्वदेशी विनिर्माताओं की प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा आधुनिकीकरण में सहायता करने और उनकी अपने उत्पादों की अन्तर्राष्ट्रीय रूप से बिक्री करने में मदद करने के लिए सरकार अन्तराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने हेतु मान्यता प्राप्त संघों तथा निर्यात संवर्धन परिषदों को अनुदान सहायता देती है और संगोष्ठियां आयोजित करती है। 1995-96 के दौरान इलैक्ट्रोनिक तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ई सी एस ई पी सी) को दुबई में खिलौना मेले में भाग लेने के लिए 5.75 लाख रु. का सहायता अनुदान देकर मदद की गयी थी।

[हिन्दी]

वकीलों की हड़ताल

2214. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **विधि तथा न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आये दिन वकीलों की हड़तालों तथा न्यायालयों के बंद रहने से एकत्रित हो रहे मामलों (मुकदमों) की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए उचित दिशा-निर्देश बनाने वाली कोई समिति गठित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति द्वारा सरकार को कोई रिपोर्ट सौंपी गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कोयले का लदान

2215. प्रो. रीता वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) की उन कोयला खानों के नाम क्या हैं जिनमें पे-लोडर द्वारा कोयले का लदान करने का विरोध किया गया है;

(ख) इस विरोध के क्या कारण हैं; और

(ग) 1992-93, 1993-94, और 1994-95 के दौरान उक्त कारण से कोयला उत्पादन में कितनी हानि हुई?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं.लि.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, पे-लोडर्स द्वारा कोयले की लदान किए जाने में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (भा.को.को.लि.) के कर्मचारियों द्वारा अवरोध उत्पन्न किए जाने की कोई भी घटना सामने नहीं आई है। किन्तु, पे-लोडर्स द्वारा कोयले के लदान के मामले में कभी-कभी बाह्य व्यक्तियों/अप्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा रूकावट आयी है। यह रूकावट कोयले की सड़क द्वारा बिक्री तथा वाशरियों/साइडिंगों पर कोयले के परिवहन तक ही सीमित रही है, उन कोलियरियों/डम्पों के नाम, जहां ऐसी घटनाएं हुई है, नीचे दिए गए हैं :-

1. जीलगोरा
2. बराड़ी
3. कुसुन्डा ओ.का.प.
4. राजापुर/दक्षिण झरिया ओ.का.प.
5. बेड़ा
6. दोबाड़ी
7. कुया
8. बस्ताकोला
9. नुडलरकी

(ग) कोयला कंपनी ने सूचित किया है कि उल्लिखित अवरोधों के कारण वर्ष 1994-95 में उत्पादन की कुछ हानि हुई है परन्तु इन अवरोधों के कारण सही रूप में हानि की मात्रा बताया जाना संभव नहीं है।

इक्विटी भागीदारी लघु उद्योग क्षेत्र में

2216. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग क्षेत्र को 24 प्रतिशत इक्विटी भागीदारी की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा धन जुटाने और आधुनिक प्रौद्योगिकी हासिल करने के लिए इतनी इक्विटी प्रर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). इस समय लघु एककों की इक्विटी में कंपनी के रूप पर गठित अन्य औद्योगिक उपक्रम 24 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। यदि इक्विटी निवेश 24 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो एकक लघु उद्योग की श्रेणी से बाहर हो जाता है।

(ग) और (घ). 24 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी की सीमा लघु उद्योगों की परिभाषा से ली गयी है जिसमें उल्लेख है कि लघु एकक का अन्य औद्योगिक उपक्रमों द्वारा न तो स्वामित्व और नियंत्रण रखा जा सकता है और न ही यह उनकी सहायक कंपनी हो सकती है। 24 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी की अनुमति, यथार्थ रूप से, बड़े उद्योगों से लघु क्षेत्र की ओर इक्विटी की तरह के निवेशों को आकर्षित करने हेतु दी गयी है। तथापि इस प्रकार के इक्विटी मार्ग से लघु क्षेत्र में होने वाले निवेश नाकाफी रहे हैं।

सीमेंट पर नियंत्रण

2217. श्री सौम्य रंजन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सीमेंट उत्पादक कारखाने सरकारी विभागों को सीमेंट की आपूर्ति करने से इंकार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का सीमेंट पर पुनः नियंत्रण लगाने तथा इसका मूल्य निर्धारित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) सीमेंट विनिर्माताओं द्वारा सरकारी विभागों को सीमेंट बेचने से इंकार करने के बारे में उद्योग मंत्रालय को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय सरकार के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सीमेंट के वितरण और मूल्य से नियंत्रण हटाने के बाद इस उद्योग का क्षमता और उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी दोनों की दृष्टि से उल्लेखनीय विकास हुआ है। चूंकि अधिष्ठापित क्षमता घरेलू मांग से काफी अधिक है इसलिए बाजार में प्रतिस्पर्धा है जो आपूर्तिकर्ताओं को मूल्यों में अनुचित रूप से वृद्धि करने से रोकती है।

जनता कपड़ा योजना

2218. **श्री शान्तिलाल पुरषोतम दास पटेल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष जनता कपड़ा योजना के अंतर्गत गुजरात को जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जनता कपड़ा योजना के अंतर्गत लाखों रुपये की पुरानी राजसहायता जारी करने का गुजरात सरकार का कोई अनुरोध सरकार के पास लंबित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह राजसहायता कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान जनता कपड़ा योजना के अंतर्गत गुजरात राज्य सरकार को जारी की गई राशि का विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	(लाख रुपयों में)
1993-94	रुपये 155.37
1994-95	रुपये 147.15
1995-96	रुपये 27.49

(ख) से (घ). गुजरात राज्य हथकरघा और औद्योगिक सहकारी संघ लि. के वर्ष 1991-92, वर्ष 1992-93 (जनवरी-मार्च, 92 तिमाही और अप्रैल-जून, 92 तिमाही) के जतना कपड़ा योजना के अंतर्गत प्राप्त क्लेम को अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि ये क्लेम इस योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुरूप नहीं थे। गुजरात राजय सरकार ने केन्द्र सरकार से इस राशि को जारी करने का पुनः अनुरोध किया है जिसकी जांच की जा रही है और शीघ्र ही कोई निर्णय लिया जाऐगा।

[हिन्दी]

समूह बीमा योजना

2219. **श्री डी.पी. यादव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत कर्मकारों के लिए समूह बीमा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्य वार कितने विद्युतकरघा कर्मकारों को शामिल किया गया है; और

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने विद्युतकरघा कर्मकारों को शामिल करने की संभावना है और इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) से (घ). जी, हां। भारत सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से विद्युतकरघा कामगारों के लिए एक समूह बीमा योजना आरंभ की थी (विवरण संलग्न है)। ऐसे सभी कामगार जो 18 से 60 वर्ष की आयु के हैं तथा वे कामगार जिन्होंने वर्ष के दौरान कार्य किया है, इस योजना के अंतर्गत बीमा कराने के पात्र होंगे। ऐसा बुनकर जिसने वर्ष के दौरान कम से कम 700/-रु. प्रति माह न्यूनतम औसत वेतन अर्जित किया है, योजना में शामिल हो सकता है। एक परिवार का ऐसा प्रत्येक सदस्य जो योजना के लिए पात्रता की अन्य सभी शर्तों के साथ न्यूनतम आय की शर्त को भी पूरा करता है, योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा। योजना में वार्षिक प्रीमियम में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा विद्युतकरघा कामगार द्वारा समान रूप से सहभागिता करने की परिकल्पना है। 10,000/-रु. की बीमा राशि के लिए वार्षिक प्रीमियम 120/-रु. होगा।

भारत सरकार के योगदान को प्रतिपूर्ति आधार पर राज्य सरकार के माध्यम से सरणीकृत किया जाएगा।

एक वर्ष में शामिल किए जाने वाले कामगारों की संख्या योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर निर्भर करती है।

लाभ :

(क) एक सदस्य की मृत्यु होने पर, पोलिसी के अंतर्गत 10,000/-रु. की बीमाकृत राशि भुगतान योग्य हो जाएगी बशर्ते कि सदस्य इस उद्देश्य के लिए परिभाषित अनुसार एक विद्युतकरघा कामगार है। मूल बीमाकृत राशि के अतिरिक्त, चालू खाते में संचित राशि 11 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ भुगतान योग्य होगी।

(ख) अंतिम तारीख आने तक अथवा विद्युतकरघा कामगार के रूप में अयोग्य होने पर, चालू खाते में संचित राशि केवल 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज के साथ भुगतान योग्य होगी।

(ग) दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में सदस्य के परिवार को 20,000/-रुपए (बीस हजार रुपए) की राशि का भुगतान किया जाएगा जो कि सदस्य के चालू खाते में संचित राशि के 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के भुगतान के अतिरिक्त होगा।

विवरण

वर्ष 1992-93 से 1996-97 (नवंबर, 1996) के दौरान विद्युतकरघा कामगारों के लिए समूह बीमा योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार के अंशदान के आधार पर राज्य सरकारों को रिलीज की गई निधियों की राशि दर्शाने वाला विवरण-पत्र।

क्र.सं.	राज्य	वर्ष							
		1993-94		1994-95		1995-96		1996-97 (नवंबर, 96 तक)	
		रिलीज की गई निधियां	शामिल कामगार	रिलीज की गई निधियां	शामिल कामगार	रिलीज की गई निधियां	शामिल कामगार	रिलीज की गई निधियां	शामिल कामगार
1.	आंध्र प्रदेश	8,35,000	20,875	-	-	-	-	-	-
2.	दिल्ली	-	-	520	13	-	-	520	13
3.	हिमाचल प्रदेश	2,360	59	2360	59	-	-	-	-
4.	कर्नाटक	10,00,000	25,000	-	-	10,00,000	25,000	-	-
5.	मध्य प्रदेश	47,720	1,193	37,040	926	1,75,800	4,395	62,720	1,568
6.	महाराष्ट्र	-	-	-	-	10,00,000	25,000	-	-
7.	उड़ीसा	-	-	1,00,000	2,500	-	-	-	-
8.	राजस्थान	12,360	309	54,920	1,373	53,680	1,342	-	-
9.	तमिलनाडु	-	-	-	-	32,200	805	-	-
10.	उत्तर प्रदेश	5,40,000	13,500	5,00,000	12,500	5,00,000	12,500	-	-
11.	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	68,000	1,700
	कुल :	24,37,440	60,936	6,94,840	17,371	27,61,680	69,242	1,31,240	3,281

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार को दी जाने वाली बैंक ऋण की सीमा

2220. श्री हरिन पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र सरकार को एक वर्ष में दी जाने वाली बैंकों की कुल ऋण सांविधिक सीमा निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इसके द्वारा बाजार से ऋण प्राप्त करने पर संवैधानिक सीमा निर्धारित करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच 9 सितम्बर, 1994 को एक करार पर हस्ताक्षर किये गये ताकि तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के निर्गम के माध्यम से सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने की प्रणाली को 1996-97 तक धीरे-धीरे समाप्त किया जा सके। एक वैकल्पिक प्रणाली सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ). सरकार द्वारा उधार लेने पर वैधानिक उच्चतम सीमा निर्धारित करने की व्यवहार्यता विचाराधीन है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करना

2221. श्री रामशकल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर सरकार से राज्य में नए उद्योग स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उपरोक्त प्रस्ताव पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ). जनवरी 1994 से अक्तूबर 1996 की अवधि के दौरान प्रादेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ यू.पी.लि. (पी आई सी यू पी) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के लिए मात्र दो प्रस्ताव दाखिल किये गये थे। इन्हें टिप्पणियों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की बंद मिलें

2222. **श्री गोरधन भाई जावीया** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान समय में राज्य-वार विशेष रूप से गुजरात में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की बंद पड़ी मिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन मिलों के बंद होने के कारण कितनी हानि हुई और कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए;

(ग) क्या सरकर का ऐसी मिलों को निजी क्षेत्र वाले मजदूर सहकारी समितियों को सौंपने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) और (ख). औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबंधों के अनुसार एन टी सी के अधीन कोई भी मिल बंद नहीं पड़ी है। कुछेक मिलों में क्रियाकलाप आंशिक रूप/पूर्णतया बंद है। एन टी सी के अधीन 120 मिलों में से 26 मिलों में क्रियाकलाप पूर्णतया बंद है इसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

राज्य का नाम	मिलों की संख्या जिनमें कोई क्रियाकलाप नहीं हो रहा है।
उत्तर प्रदेश	7
गुजरात	8
आंध्र प्रदेश	1
पश्चिम बंगाल	10
बिहार	1
उड़ीसा	1
कुल	28

चूंकि एन टी सी अपने सभी कर्मचारियों को मजदूरियों, वेतन बोनस आदि का भुगतान कर रहा है इसलिए किसी भी कर्मचारी के बेरोजगार हो जाने का प्रश्न नहीं उठता। एन टी सी को वर्ष 1995-96 में 473.02 करोड़ रुपये (अनंतिम) का निबल घाटा हुआ जिसके अनेक कारण हैं - जैसे कि अत्यधिक जनशक्ति, अप्रचलित मशीनें तथा कार्यशील पूंजी की कमी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने एन टी सी की मिलों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना का अनुमोदन कर दिया है जिसमें 2005.72 करोड़ रु. के परिव्यय से 79 मिलों का आधुनिकीकरण, 36 गैर-अर्थक्षम मिलों को 18 अर्थक्षम मिलों में मिलाकर उनका पुनर्निर्माण करना आदि निहित है। संशाधित आधुनिकीकरण योजना बी आई एफ आर के समक्ष उसके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई है। क्योंकि एनटीसी के 9 सहायक निगमों में से 8 के मामले बी आई एफ आर को भेजे गए हैं जिसमें उन्हें रुग्ण औद्योगिक कंपनियां घोषित कर दिया है।

अमरीका द्वारा निवेश

2223. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान अमरीका द्वारा निवेश के प्रस्तावों को कहां तक स्वीकृति दी गई है; और

(ख) भारत में कुल कितना अमरीकी निवेश किये जाने की संभावना है तथा किन-किन परियोजनाओं के बारे में समझौता हुआ है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). 01.01.96 से 30.09.96 की अवधि के दौरान सरकार द्वारा 7248.97 करोड़ रु. के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की परिकल्पना के कुल 142 यू.एस. निवेश प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।

ऐसे प्रस्तावों के ब्यौरे नामतः विदेशी सहयोगकर्त्ता का नाम और देश, शामिल ईक्विटी निवेश, विनिर्माण/कार्यकलाप की मद को मासिक समाचार पत्र के अनुपूरक के रूप में भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं तथा इनकी प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में बैंकों की वित्तीय स्थिति

2224. **श्री नामदेव दिवाथे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में आज की तारीख तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों की, बैंक-वार वित्तीय स्थिति क्या है;

(ख) राज्य में प्रस्तावित सहकारी बैंकों की स्थापना करने संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों, जिनके कार्पोरेट/प्रधान कार्यालय महाराष्ट्र में हैं, की लाभप्रदत्ता और वित्तीय स्थिति की तालिका संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि आज की तारीख तक महाराष्ट्र राज्य में नए जिला-स्तर के केन्द्रीय सहकारी बैंक/राज्य स्तर के सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए उन्हें कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। मई 1993 में जारी किए गए मार्गदर्शनों के बाद, दिनांक 30.11.1996 तक आर बी आई को महाराष्ट्र राज्य में नए शहरी सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए कुल 288 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 173 प्रस्तावों को पंजीकरण के लिए सिद्धांत रूप से क्लीयरेंस दे दिया गया है और 103 बैंकों ने पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अन्तर्गत बैंकिंग-व्यवसाय शुरू करने के लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। (जैसा कि सहकारी सोसाइटियों के लिए लागू है) नए शहरी सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए प्राप्त 58 प्रस्तावों को रद्द किया जा चुका है क्योंकि उन केन्द्रों पर पर्याप्त शहरी बैंकिंग सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं और एक प्रस्ताव वापिस ले लिया गया है। शेष 56 प्रस्तावों पर आर बी आई द्वारा छानबीन की जा रही है या उनमें पाई गई कमियां दूर करने के लिए या अपेक्षित सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, महाराष्ट्र राज्य, पुणे से पत्र-व्यवहार चल रहा है।

विवरण

31.3.1996 की स्थिति के अनुसार उन बैंकों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला विवरण, जिनके कार्पोरेट/प्रधान कार्यालय महाराष्ट्र में स्थित हैं।

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	चुकता पूंजी	प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	जमाराशियां	अग्रिम	निवल लाभ/हानि	पूंजी पर्याप्तता
1.	बैंक ऑफ बड़ौदा	577	1154	28370	16013	204	11.20
2.	बैंक ऑफ इंडिया	582	678	27523	15596	276	8.44
3.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	749	60	5971	2692	13	8.49
4.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1305	400	19752	8903	(-74)	2.63
5.	देना बैंक	147	130	6476	3402	52	8.27
6.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	338	899	17892	8681	80	9.50

[अनुवाद]

व्यापार तथा उद्योग द्वारा सुविधाओं का दुरूपयोग

2225. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 अगस्त, 1996 के "द टाइम्स आफ इण्डिया" में "मिसयूज आफ फैसिलिटीज इज हॉल्डिंग अप पेस ऑफ रिफारम् - रमैय्या" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो व्यापार तथा उद्योग क्षेत्र द्वारा दुरूपयोग की गई ऐसी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम के कथित दुरूपयोग के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। ये शिकायतें अधिक मूल्य के बीजक बनाने और मूल्य की गलत घोषणा, शुल्क की चोरी, निर्यात से संबंधित धोखेबाजी और निर्यातकों की प्रामाणिकता के बारे में थीं। सोना/चांदी के जेवरात की मदों के निर्यात संवर्धन तथा आपूरण स्कीम के संबंध में कुछ मामलों की भी सूचना मिली है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस के दुरूपयोग को रोकने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। इनमें (1) केवल मानक निविष्टि उत्पादन मानकों पर आधारित मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम का सुसंगत प्रचालन; (2) मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसों में मात्रा और मूल्य दोनों के मामले में निर्यात दायित्व

की अनिवार्यता लगाना; (3) संवेदनशील सूची में आयात मदों की संख्या बढ़ाना जो मूल्य आधारित लाइसेंस के अन्तर्गत मात्रा अथवा मात्रा और मूल्य प्रतिबन्धों के अधीन होते हैं; (4) रेशम जैसे कुछ क्षेत्रों में स्कीम को लागू न करना; (5) मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस की विशिष्ट श्रेणियों का प्रचालन बन्द करना; (6) मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस के अधीन निर्यात के मूल्य बढ़ाने को रोकने के लिए 6.3.95 को व्यापक अनुदेश जारी करना; तथा (7) निर्यात से पूर्व मोडवेट को न उलटने की समस्या का समाधान। योजना के अधीन 1.4.95 से निर्यातकों को निर्यात के समय अतिरिक्त सीमाशुल्क देना अपेक्षित होता है जो बाद में समायोजन के अध्यधीन है। निर्यात उत्पादों के निर्माण में काम आने वाले निवेशों के संबंध में मोडवेट की सुविधा की जांच की प्रक्रिया को भी आसान बना दिया गया है। राजस्व विभाग ने भी 19.4.1996 को एक परिपत्र जारी किया है, जिसके तहत क्षेत्रीय कार्यालयों को निदेश दिए गये हैं कि वे अवास्तविक लाइसेंसों को विदेश व्यापार महानिदेशालय के पास भेजें।

स्वर्ण आभूषणों के मामलों के संबंध में, स्वर्ण आभूषणों के चूककर्ता निर्यातकों के विरुद्ध समन्वित कार्यवाही करने के लिए सरकार ने सीमाशुल्क आयुक्त की अध्यक्षता में एक अन्तर-मंत्रालयी ग्रुप का गठन किया है।

जर्मनी के साथ सहयोग

2226. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जर्मनी गणराज्य ने व्यावसायिक प्रशिक्षण पद्धति के संबंध में भारत में उद्योग की बदलती मांगों पूरा करने के लिए 15 डक मार्क मिलियन (36 करोड़ रुपये) का अपना सहयोग दिया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में जर्मनी के साथ सहयोग संबंधी कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) 2-5 सितम्बर, 1996 को जर्मनी में विकास निगम पर भारत-जर्मन के बीच हुई पिछली वार्षिक बात-चीत में दोनों ही पक्ष व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में आगे सहयोग बढाने पर सहमत हुये। तकनीकी सहयोग की निधियों में से व्यावसायिक प्रशिक्षण से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए 11 मिलियन डी एम की राशि की जर्मन सरकार ने नई वचन-बद्धताएं की हैं। इससे पूर्व सैन्ट्रल इन्सट्रक्शनल मीडिया इन्स्टीट्यूट, मद्रास में प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना कार्यान्वित करने वाले आई आई टी, उद्योगों तथा स्थापनाओं में प्रशिक्षण के स्तर में सुधार करने के लिए निर्देशात्मक सामग्री तैयार करने के प्रति 4 मिलियन डी एम की वचनबद्धता थी।

(ख) और (ग). 1.8.1991 से 31.8.1996 तक भारत सरकार द्वारा अनुमोदित जर्मन कम्पनियों की प्रौद्योगिकी तथा निवेश क्षेत्रों के क्षेत्रीय ब्यौरे इस प्रकार है:-

धातुकर्मी उद्योग	:	36.23 प्रतिशत
परिवहन		12.58 प्रतिशत
दूर संचार		9.87 प्रतिशत
ईंधन		8.32 प्रतिशत
विद्युत उपकरण	:	7.12 प्रतिशत तथा
अन्य		25.88 प्रतिशत

विदेशी निवेश

2227. **श्री तारीक अनवर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी निवेश के प्रस्तावों के मामले में शर्तों को उदार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). विदेशी निवेश नीति की, जैसा कि बताया गया है निरंतर समीक्षा की जाती है ताकि देश में विशेषकर अवसंरचनात्मक क्षेत्र सहित वरीयता/ढांचागत क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि करने हेतु इसे और गतिशील बनाया जा सके।

हाल ही में विदेशी निवेश के मानदंडों को और उदार बनाया गया है ताकि विदेशी प्रौद्योगिकी तथा इक्विटी के प्रवाह में वृद्धि की जा सके और इसे और अच्छा बनाया जा सके व प्रत्याशित निवेशकों के लिए अपेक्षाकृत अधिक आकर्षण उपलब्ध कराया जा सके।

अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वतः अनुमोदनों के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि परियोजना के लिए आवश्यक पूंजीगत माल के आयात हेतु विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को भी विदेशी इक्विटी में शामिल किया जाए। तथापि परियोजना के लिए पूंजीगत माल का आयात निर्यात की नीति के तहत होगा।

स्वतः अनुमोदन के लिए एकमुश्त अदायगी द्वारा 1 करोड़ रुपये की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 2 मिलियन अमेरीकी डालर कर दिया गया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में निर्यातोन्मुख एकक

2228. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में निर्यातोन्मुख एककों का स्थान-वार तथा उनके द्वारा किए गए निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन एककों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया है;

(ग) किन-किन एककों ने निर्यात लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है और इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इन एककों के कार्यकरण की समीक्षा करने तथा निर्यात लक्ष्य की प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मसाला व्यापार निगम के कार्य

2229. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मसाला व्यापार निगम के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ख) इस निगम का मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस निगम द्वारा क्या कार्य किए गए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस निगम द्वारा निर्यात को कितना बढ़ावा दिया गया तथा कितना लाभ अर्जित किया गया;

(ङ) क्या सरकार का इसके क्रियाकलापों के विविधीकरण का कोई विचार है; और

(च) यदि हां, तो मसाला बोर्ड द्वारा दिए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). दी स्पाइसेज ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमि. (पहले कोर्डामाम ट्रेडिंग कारपोरेशन के नाम से जाना जाता था) की स्थापना कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत 1982 में की गई थी। कारपोरेशन के मुख्य कार्य तथा उद्देश्य ये हैं; मसालों तथा उनके उत्पादों का घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना: खुली नीलामियां करना तथा नियमित रूप से मसालों की बिक्री करना; मसालों तथा मसाला उत्पादों का प्रसंस्करण तथा उपचार करना, मसालों/उत्पादों का अनुसंधान तथा विकास करना और मसालों के लिए नए बाजारों का संवर्धन तथा उनका विकास करना।

(ग) और (घ). पिछले तीन वर्षों के दौरान कारपोरेशन का सकल कारोबार तथा निर्यात कारोबार निम्नानुसार हैं :-

(लाख रु. में)

वर्ष	सकल कारोबार	निर्यात तथा कारोबार	सकल लाभ	निवल लाभ
1993-94	2253.00	201.65	46.73	(-) 8.31
1994-95	2212.88	24.66	1.04	(-)28.71
1995-96	1065.23	152.19	(-) 18.63	(-)75.47

(स्रोत: स्पाइसेज ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमि. बंगलौर)

(ङ) और (च). विभिन्न व्यापार अवसरों की संवीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है तथा मसालों के अतिरिक्त स्पाइसेज ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमि. निर्यात तथा घरेलू बिक्री के लिए प्याज, आलू तथा सूखे फलों जैसी अन्य अनेक कृषि वस्तुओं के व्यापार कार्य में लगा हुआ है। कारपोरेशन की घरेलू बाजार में समस्त मसालों का उपभोक्ता विपणन शुरू करने की भी योजना है। यह किसानों को कृषि निविष्टियों जैसे उर्वरक, कीटनाशी तथा स्प्रेयरों की बिक्री भी करता है।

उच्च न्यायालय की पीठ

2230. श्री ए. सम्पथ : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने उच्च न्यायालयों की पीठ निष्क्रिय है और उनकी उच्च न्यायालय-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या केरल के तिरूअनंतपुरम में उच्च न्यायालय की पीठ को पुनः शुरू करने की लम्बे समय से मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे पुनः शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रामकांत डी. खलप) : (क) देश में उच्च न्यायालयों की कोई भी न्यायपीठ निष्क्रिय नहीं है।

(ख) और (ग). केरल उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ, तिरूवनन्तपुरम में स्थापित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, केरल सरकार से, इस संबंध में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए, केन्द्रीय सरकार के लिए इस विषय में कोई कार्रवाई करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

कागजों संबंधी नीति

2231. **श्री नन्द कुमार सिंह चौहान** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कागज संबंधी कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इसे तैयार करने के लिए कोई निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कागज उद्योग को जीवित रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ड.) कागज उद्योग को जुलाई, 1991 से आंशिक रूप से लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। स्थापना-स्थल संबंधी मानदंडों के संतोषजनक होने पर ऐसे एककों को औद्योगिक लाइसेंसीकरण से छूट प्राप्त है जिनमें खोई तथा अन्य कृषि उत्पादों व रद्दी कागज सहित गैर-परंपरागत कच्चे माल से प्राप्त की जाने वाली लुग्दी का उपयोग न्यूनतम 75 प्रतिशत हो। उद्यमियों को नये उद्यमों की स्थापना व पर्याप्त विस्तार हेतु औद्योगिक सहायता सचिवालय में मात्र एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन ही दायर करना होता है। ऐसे पेपर एकक जो मुख्यतः लकड़ी आधारित एकक हों, उन्हें औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना होता है।

विदेशी कार्पोरेट निकायों/अनिवासी भारतीयों से, कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने पर देश प्रत्यावर्तन आधार पर 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा 100 प्रतिशत निवेश की स्वतः अनुमति है। 5 प्रतिशत आयात शुल्क की निम्न दर से बिना किसी प्रतिबंध के लकड़ी की लुग्दी व रद्दी कागज के आयात की अनुमति दी गयी है। ऐसे कागज एककों से, जो गैर-परंपरागत कच्चे माल का 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक का उपयोग करते हों, उनके उत्पादन के प्रथम 10,000 मीट्रिक टन के लिए 5 प्रतिशत का निम्न उत्पाद शुल्क वसूल किया जाता है।

कागज के उत्पादन के लिए जूट जैसे वैकल्पिक कच्चे माल विकसित किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

फल और बागवानी उत्पादों का निर्यात

2232. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और 1996-97 के पहले छः महीनों के दौरान फल और अन्य बागवानी उत्पादों का देशवार कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ख) क्या सरकार के पास जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के भण्डारण और ढुलाई सुविधाओं हेतु बुनियादी ढांचे में वृद्धि, सुधार और इसके आधुनिकीकरण हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रमैया) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान निर्यातित ताजा फलों एवं सब्जियों तथा प्रसंस्कृत फलों एवं सब्जियों की कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है:-

मात्रा: मी. टनों में
मूल्य: करोड़ रु. में

		ताजे फल एवं सब्जियां	प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां
1993-94	(मात्रा)	475332	120522
	(मूल्य)	385.43	268.50
1994-95	(मात्रा)	554546	144322
	(मूल्य)	433.27	348.22
1995-96	(मात्रा)	544105	198510
	(मूल्य)	531.16	491.59
1996-97	(मात्रा)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
	(मूल्य)	266.16	164.04

(स्रोत: डीजीसीआईएंड एस, कलकत्ता और एपीडा)

(ख) और (ग). भंडारण और परिवहन सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे के सृजन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों में अन्य के साथ-साथ ये शामिल हैं :—

(1) प्रशीतित/रोधित वैनों की व्यवस्था तथा पूर्व प्रशीतन/कोल्ड स्टोरेज इंकाइयों की स्थापना जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना;

(2) पांच हवाई अड्डों पर क्लीयरैन्स की प्रतीक्षा में पड़ी निर्यात खेपों के लिए चलते-फिरते कोल्ड स्टोरेज की स्थापना।

(3) दिल्ली के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नश्वर उत्पादों के निर्यात कार्गो के रख-रखाव के लिए समर्पित सुविधा स्थापित करना।

एन्टी डम्पिंग इनवेस्टीगेशन

2233. श्री संदीपान थोरात : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही के महीनों के दौरान कम मूल्य पर अधिक मात्रा में माल भेजने की बढ़ती गतिविधियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उद्योग-वार ऐसे मामलों से निपटने के लिए नाम निर्दिष्ट प्राधिकरण को प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) जांच किए गए ऐसे मामलों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में अभी भी जांच चल रही है; और

(ङ) घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए ऐसी गतिविधियों से निपटने हेतु उक्त प्राधिकरण को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ङ). निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू विनिर्माताओं से देश में उत्पादों के पाटन संबंधी अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जिन मामलों में प्रतिपाटन शुल्क लगाए गए हैं, जिनमें निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी की जांच के अधीन मामलों संबंधी ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है।

सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए स्थिति की निरंतर समीक्षा करती रहती है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपने कार्यों को सम्पन्न करने में जनशक्ति सहित किसी भी कारण से कोई असुविधा नहीं है।

	उत्पाद	देश	लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क	शुल्क लगाने की तारीख
	1	2	3	4
क.	**वे मामले जिसमें प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया**			
1.	पी वी सी रेजिन	ब्राजील	रु.2036/मी.टन	18.1.94
		मेक्सिको	रु.1619/मी.टन	18.1.94
		दक्षिण कोरिया	रु. 1253/मी.टन	18.1.94
		यू.एस.ए.	रु. 504/मी. टन	18.1.94
2.	बिसफिनोल-ए	जापान	रु.7477/मी.टन	11.3.94
3.	पोटाशियम परमेगनेट	चीन	रु.5992/मी.टन	5.9.95
4.	आइसोबुटाइल बेनजीन	चीन	रु.10634/मी.टन	31.8.95
5.	3,4,5, ट्राइमेथोक्सी बेनालडिहाइड (टाबा)	चीन	237/कि.ग्रा.	20.10.95
6.	थियोकाइलिन	चीन	रु.108/कि.ग्रा.	30.10.95
	कैफफ्रीन	चीन	रु. 101/कि.ग्रा.	30.10.95
7.	एक्रीलोनीट्राइले बुटाडिन रबड़ (नाइट्रिल रबड़)	जापान	रु.19306/मी.टन	14.11.95
8.	बिसोफनोल-ए	ब्राजील	रु.10263/मी.टन	26.12.96
		रूस	रु.12559/मी.टन	
9.	सोडियम फेरोसाइनाईड	चीन	रु.16358/मी.टन से रु.20287/मी.टन के बीच	4.9.96
ख.	**वे मामले जिसमें शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है**			
1.	डैड बर्नट मैगनेसाईट (डीबीएम)	चीन	रु.1333/मी.टन से रु.1925/मी.टन तक निर्यातवार)	11.11.96 को सुझाया गया अंतिम शुल्क
2.	लो कार्बन फेररो क्रोम (एलसीएफली)	रूस	रु.10900/मी.टन से रु.18600/मी.टन निर्यातवार)	3.12.96 को सुझाया गया अंतिम शुल्क
		कजाकिस्तान	रु.18500/मी.टन	

1	2	3	4
3.	8-हाड्रोक्सीक्विनोलिन	चीन	रु. 183/कि.ग्रा. से रु. 246/कि.ग्रा. के बीच	सुझाया गया अनन्तिम शुल्क
4.	बिसफिनोल-ए	यू.एस.ए.	रु. 10,000/मी. टन	सुझाया गया अनन्तिम शुल्क

ग. वे मामले जो अनंतिम उपायों के लिए जांच के अधीन हैं

	उत्पाद	देश	टिप्पणियां
1.	नाईट्रिल रबड़	जर्मनी, दक्षिण कोरिया	प्रारंभिक निष्कर्षों के लिए जांच के अधीन
2.	कैटेलिस्ट्स	डेनमार्क	प्रारंभिक निष्कर्षों के लिए जाच के अधीन
3.	एक्रीलिक फाइबर	यू.एस.ए., थाइलैंड, कोरिया रिपब्लिक	प्रारंभिक निष्कर्षों के लिए जांच के अधीन
4.	ग्रेफाईट इलैक्ट्रोड्स	यू.एस.ए. चीन जर्मनी, इटली, बेल्जियम, आस्ट्रिया, स्पेन, फ्रांस,	प्रारभिंक निष्कर्षों के लिए जांच के अधीन

स्वर्ण आयात

2234. श्री राम नाईक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदारीकृत स्वर्ण आयात योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत के मुम्बई हवाई अड्डे पर कुल कितनी मात्रा में सोना लाया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्वर्ण आयात योजना जिसे सोने की तस्करी रोकने के लिए आरंभ किया गया था, वास्तव में इसका प्रयोग तस्करों द्वारा खाड़ी देशों से लौटने वाले अनिवासी भारतीयों के माध्यम से सोना भेजने हेतु किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो अनिवासी भारतीयों के माध्यम से सोने की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) उदारीकृत स्वर्ण आयात योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा मुम्बई हवाई अड्डे के जरिए आयातित सोने की मात्रा का ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष	मात्रा (कि.ग्रा. में)
1993-94	44047.118
1994-95	37709.050
1995-96	3081.809
1996-97 (31-10-96 तक)	41825.973

(ख) और (ग). हाल में सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जांच किए गए कुछेक मामलों में, यह अनुभव किया गया है कि वापस लौटने वाले अनिवासी भारतीयों को हवाई किराए और/अथवा नकद प्रतिपूर्ति के रूप में पुरस्कृत करके सोना ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

उदारीकृत स्वर्ण आयात योजना के मुख्य उद्देश्यों में, अन्य बातों के अलावा, विदेशी मुद्रा में सीमा-शुल्क की अदायगी करने पर बैध चैनलों के माध्यम से सोने के आयात को प्रोत्साहन देना और सोने की तस्करी में कमी करना था। यह सूचित किया गया है कि इस योजना को लागू करने से सोने के चोरी छिपकर किए जाने वाले आयातों की रोकथाम करने पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। फिलहाल इस योजना की समीक्षा के लिए सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

विदेशी व्यापार हेतु ऋण

2235. श्री नीतीश कुमार :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुल बैंक ऋणें का 15 प्रतिशत विदेशी व्यापार हेतु मंजूर करने के लिए सभी वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समय कुल बैंक ऋणों का कुछ प्रतिशत हिस्सा विदेशी व्यापार के लिए नियत है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान विदेशी व्यापार हेतु किए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह निर्धारित है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवल बैंक ऋण के निर्यात के लक्ष्य को, मार्च 1997 के अन्त तक, वर्तमान 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत बढ़ाया जाए। दिनांक 18.3.1994, 31.3.1995 तथा 29.3.1996 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बकाया निर्यात ऋण क्रमशः 17,086 करोड़ 25,051 करोड़ एवं 29,692 करोड़ रुपए था।

कृषि उत्पादों का निर्यात

2236. **श्री एन.जे. राठवा :**
श्री नामदेव दिवाथे :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और महाराष्ट्र, विशेषकर आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों से कृषि-उत्पादों के निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी बिक्री की संभावनाओं का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस संबंध में संभावनाओं का पता लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ङ). गुजरात और महाराष्ट्र (जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों सहित) से निर्यात के लिए अभिज्ञात कृषि उत्पादों में से कुछ निम्नांकित हैः-

महाराष्ट्रः आम, अंगूर, स्ट्राबैरी, चीकू, नींबू-वंशीय फल, केले, अनार, बेर, प्याज, भिण्डी, फलियां, पुष्पोत्पाद मदें और कपास

गुजरातः जीरा, सौंफ, लहसुन, मिर्च अरण्डी के बीजों के व्युत्पन्न, केले, चीकू, अमरूद, प्याज, एच पी एच मूंगफली और तेलरहित खली।

[अनुवाद]

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में जमा राशि

2237. **श्री महेश कुमार एम. कनोडिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में जमा कुल राशि बैंक-वार और संस्था-वार कितनी है;

(ख) क्या देश में निजी क्षेत्र में बैंक खोलने की अनुमति देने के पश्चात राष्ट्रीयकृत वैसे और अन्य संस्थाओं में जमा राशि में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मार्च, 1994, मार्च, 1995 और मार्च, 1996 के अंत तक प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक की जमा राशियां संलग्न विवरण में दी गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1994 में गैर-सरकारी बैंकों के आगमन के बाद से राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल जमा राशि में कोई गिरावट नहीं आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे यह भी सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने केवल कुछ चुनींदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को आवधिक जमा और जमा प्रमाण-पत्र स्वीकार करने की अनुमति दी है। वित्तीय संस्थाएं जमा-राशियों पर सीमित आधार पर निधि-स्रोत के रूप में निर्भर रहती है। वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा जुटाई जाने वाली जमाराशि की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि अन्य बातों के साथ-साथ जिन शर्तों पर वित्तीय संस्थाओं को जमा राशि की अनुमति दी जाती है, वे उन शर्तों से भिन्न है जिन पर बैंक जमाराशि प्राप्त करते हैं। इसके अलावा, वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेशकों के जिस खंड के लिए जमाराशि देने का लक्ष्य रखा जाता है, वे बैंकों से भिन्न हैं। अतः नए गैर-सरकारी बैंक खोलने का प्रभाव वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाई जाने वाली जमाराशियों पर नहीं पड़ सकता है।

विवरण

मार्च, 1994, मार्च, 1995 और मार्च, 1996 के अंत की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की बैंक-वार जमाराशि

(करोड़ रुपए)

	बैंक का नाम	मार्च, 1994	मार्च, 1995	मार्च, 1996
	1	2	3	5
1.	इलाहाबाद बैंक	8452.80	9231.01	10148.92
2.	आंध्रा बैंक	4041.47	5311.65	5962.22

1		2	3	5
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	23115.65	26286.56	28369.53
4.	बैंक ऑफ इंडिया	21419.86	24480.24	22522.92
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	4483.76	5341.20	5921.20
6.	केनरा बैंक	18638.94	22475.11	26243.24
7.	सेन्ट्रल बैंक	15966.00	19654.55	19751.60
8.	कार्पोरेशन बैंक	4118.41	6136.29	5733.96
9.	देना बैंक	4923.57	5779.43	6476.41
10.	इंडियन बैंक	11818.02	12739.96	13314.80
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	10804.81	12686.92	14588.74
12.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	5239.06	6673.46	8710.88
13.	पंजाब नैशनल बैंक	21930.87	24713.35	22122.89
14.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	4025.87	5277.52	5877.42
15.	सिंडिकेट बैंक	10111.79	11777.01	12718.25
16.	यूनियन बैंक	11800.95	15482.52	17891.73
17.	युनाइटेड बैंक	6991.95	8042.16	8789.93
18.	यूको बैंक	9298.14	10328.34	11443.17
19.	विजया बैंक	4294.62	5870.01	5988.51

न्यायाधिकरणों का गठन

2238. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्याय में होने वाले विलंब को दूर करने और शीघ्रता के साथ न्याय दिलाने के उद्देश्य से कुछ न्यायाधिकरण स्थापित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) आज तक न्यायाधिकरण-वार लंबित पड़े मामलों की संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार न्यायाधिकरणों का कार्यकरण सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव करती है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क), (ख), (ग) और (ङ). सरकार ने विभिन्न अधिनियमों के अधीन कई अधिकरणों की स्थापना की है जो इन अधिनियमों के अधीन उत्पन्न होने वाले मामलों का निपटारा करेंगे। ये अधिकरण भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं। भारत के विधि आयोग ने अधिकरणों की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने का जिम्मा लिया है।

(घ) आय-कर अपील अधिकरण और विदेशी मुद्रा विनियमन अपील बोर्ड, जो विधि और न्याय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है, के संबंध में लंबित मामलों की संख्या और उनका वर्ष-वार ब्यौरा दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आय-कर अपील अधिकरण और विदेशी मुद्रा विनियमन अपील बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों की संख्या दर्शित करने वाला विवरण।

वर्ष	आय-कर अपील अधिकरण में लंबित मामले (1-11-96 तक)	विदेशी मुद्रा विनियमन अपील बोर्ड में लंबित मामले (1-12-96 तक)
1	2	3
1975	1	–
1976	1	–
1977	–	3
1979	5	–
1980	8	–

1	2	3
1981	22	–
1982	31	5
1983	118	5
1984	118	23
1985	208	26
1986	306	93
1987	592	63
1988	1903	124
1989	4485	292
1990	14604	656
1991	31377	465
1992	44447	586
1993	47689	705
1994	50268	520
1995	56465	306
1996	46699 (1-11-96 तक)	333 (1-12-96 तक)
जोड़	299347	4205

पद्मनाभन समिति की सिफारिशें

2239. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत तथा पद्मनाभन समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक लागू की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाकी सिफारिशों को कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने पद्मनाभन समिति की लगभग सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। कोई भी सिफारिश अस्वीकृत नहीं की गई है। बैंकों के कोटि निर्धारण पर आधारित निरीक्षण के विभेदी आवर्तन से संबंधित एक सिफारिश कार्यान्वयन से पहले विचार-विमर्श के लिए सरकार को भेजी गई है समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं :-

(1) **कार्यनीति** : कार्य-दल ने सिफारिश की है कि पर्यवेक्षण कार्यनीति में परिवर्तन करके आवधिक निरीक्षणों की चालू प्रणाली के स्थान पर सतत/अविरत पर्यवेक्षण एवं आवधिक निरीक्षण की प्रणाली शुरू की जाए। इस प्रणाली में नई शुरू की गई स्थलेतर निगरानी प्रणाली को स्थल पर आवधिक निरीक्षणों के साथ समन्वित करने की व्यवस्था है। नाजुक क्षेत्रों में लक्ष्य विशिष्ट पूरक या तात्कालिक कार्रवाई सतत आधार पर की जानी चाहिए।

(2) **निरीक्षणों का केन्द्र बिन्दु** : निरीक्षण शोध क्षमता, पूंजी पर्याप्तता, नकदी, संचालन संबंधी सुदृढ़ता तथा प्रबंधकीय विवेक पर केन्द्रित होने चाहिए।

(3) **आवर्तन** : दल ने सिफारिश की है कि स्थल पर निरीक्षण दो चक्रों में अर्थात वार्षिक एवं द्विवार्षिक किए जाने चाहिए और इसके लिए बैंकों को उनकी रिपोर्टों/मूल्यांकन की गई वित्तीय एवं संचालन संबंधी दशा एंव अनुपालन रिकार्ड के आधार दो श्रेणियों में बांट दिया जाना चाहिए। निरीक्षणों का आवर्तन निर्धारित करने के लिए बैंकों का कोटि-निर्धारण एक महत्वपूर्ण कारक होगा।

(4) **निरीक्षण परिणाम** : निरीक्षण को तीन व्यापक क्षेत्रों अर्थात वित्तीय दशा, संचालन स्थिति (प्रणाली एवं नियंत्रण) तथा प्रबंध-गुणवत्ता एवं विनियामक अनुपालन पर केन्द्रित होना चाहिए और निरीक्षण से इन क्षेत्रों के मूल्यांकनों से संबंधित परिणाम प्राप्त होने चाहिए। वित्तीय दशा के मूल्यांकन में आस्ति-गुणवत्ता, शोध-क्षमता, पूंजी पर्याप्तता, नकदी एवं आय-निष्पादन का अलग-अलग मूल्यांकन शामिल होगा।

(5) **पूरक उपाय** : दल ने सिफारिश की है कि निरीक्षणों के बीच चार प्रकार के पूरक-स्थल मूल्यांकन होने चाहिए, जो इस प्रकार है:- निर्धारित मूल्याकंन, नियंत्रण स्थलों पर निर्धारित मूल्यांकन, अधिकृत लेखा-परीक्षा तथा निगरानी दौरे।

(6) **अनुसरण एवं प्रवर्तन** : स्थल पर निरीक्षण के बाद पता लगाई गई समस्याओं के आधार पर कार्य-योजना तैयार की जाएगी तथा पर्यवेक्षण विभाग द्वारा इसे मानीटर किया जाएगा।

(7) **बैंकों का कोटि-निर्धारण** : दल ने सिफारिश की है कि विभिन्न कोटि निर्धारक कारकों पर बल देने वाले कैमेल माडल के आधार पर बैंकों के लिए कोटि-निर्धारण प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। बैंकों को क से ङ तक पांच स्तरों में रखा जाएगा, जो भारतीय बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंध, आय, नकदी, प्रणाली एवं नियंत्रण (कैमेल्स) तथा विदेशी बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता, अनुपालन, प्रणाली एवं नियंत्रण (कैक्स) नामक कोटि निर्धारक कारकों से संबंधित उनकी सुदृढ़ता पर आधारित होंगे।

(ख) और (ग). सिफारिशों के कार्यान्वयन की कार्यपद्धति तैयार की जा रही है और भारतीय रिजर्व बैंकों का संशोधित निरीक्षण

31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार बैंकों की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंकों के वार्षिक निरीक्षण चक्र से शुरू किए जाने की आशा है। संशोधित निरीक्षण नियम-पुस्तक भी इस तारीख से पहले रखे जाने की आशा है।

[हिन्दी]

विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में भाग लेना

2240. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल में अक्तूबर, 1996 में आयोजित विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या इस सम्मेलन में विश्व व्यापार संगठन के अधिकारियों द्वारा विश्व व्यापार के संदर्भ में सूचना के क्षेत्र में भारत की भागीदारी 0.1 प्रतिशत से कम बताई गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक प्राप्त करने के लिए भारत की क्या उपलब्धियां रहीं हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). महोदय, एक गैर-सरकारी संगठन-विश्व आर्थिक मंच, जेनेवा और भारतीय उद्योग परिसंघ ने अक्तूबर, 1996 में "भारत: निर्माण में एक सार्वभौम भागीदार" के बारे में बैठक आयोजित की थी। इसे अन्य लोगों के साथ-साथ भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने भी संबोधित किया। व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

(ग) यह पता चला है कि इस सम्मेलन में डब्ल्यू टी ओ के एक अधिकारी ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सा 0.1 प्रतिशत से कम है।

(घ) महोदय, यह सम्मेलन एक मस्तिष्क मंथन वाली बैठक थी और इससे भारतीय भागीदारों को आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में अपने विदेशी भागीदारों के साथ संपर्क करने का अवसर मिला।

[अनुवाद]

कागज और अखबारी कागज की खपत और निर्यात

2241. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सभी तरह के कागजों और अखबारी कागज की खपत कितनी है और इनका कितनी मात्रा में देश से निर्यात किया जाता है; और

(ख) इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) वर्ष 1995-1996 के दौरान देश में कागज और अखबारी कागज की कुल खपत इस प्रकार थी :-

	स्वदेशी उत्पादन (लाख टन)	आयात (टन)
कागज	27.10	1,10,041
अखबारी कागज	4.10	3,45,000

पड़ौसी देशों को कागज और अखबारी कागज का मामूली निर्यात ही हुआ है।

(ख) सरकार की नीति अधिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराना है ताकि देश में सभी प्रकार के कागज और अखबारी कागज का उत्पादन बढ़ाया जा सके। कुछ राजकोषीय प्रोत्साहन इस प्रकार है :-

1. कच्ची सामग्री की कमी का निवारण करने के लिए सरकार कम से कम 75 प्रतिशत गैर-परंपरागत कच्ची सामग्रियों के प्रयोग से निर्मित कागज पर न्यूनतर 10 प्रतिशत उत्पाद शुल्क के रूप में कागज विनिर्माण के लिए गैर-परंपरागत कच्ची सामग्रियों के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है।
2. राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगमों/एन.सी.आर.टी. बोर्डों द्वारा शैक्षणिक पाठ्य पुस्तकों की छपाई के लिए प्रयोग में लाये गये लिखाई व छपाई के कागज को उत्पाद शुल्क से छूट।
3. अखबारी कागज को उत्पाद शुल्क से छूट दी गयी है और काष्ठीय लुगदी जैसी कच्ची सामग्रियां प्राप्त करने पर कम सीमा शुल्क लागू है।
4. अकार्बनिक/कार्बनिक रसायनों पर सीमा शुल्क की सर्वोच्च दर में कमी करना।
5. कास्टिक सोडा व सोडा एश पर सीमा शुल्क 30% 40% से कम करके करना।
6. काष्ठीय लुगदी तथा रद्दी कागज पर सीमा शुल्क में कमी करना।

इसके अतिरिक्त, कागज उद्योग में निवेश आकृष्ट करने के लिए प्रक्रियाएं उदार बना दी गयी हैं। कागज और अखबारी कागज उद्योग को जुलाई, 1991 से आंशिक रूप से लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। खोई से न्यूनतम 75 प्रतिशत लुगदी तथा अन्य कृषि अपशेषों व रद्दी कागज सहित गैर-परंपरागत कच्ची सामग्रियों के प्रयोग पर आधारित कागज एककों को औद्योगिक लाइसेंस से छूट प्राप्त है बशर्ते कि वे स्थापना-स्थल संबंधी मानदंडों के अनुरूप हों।

विनिवेश नीति

2242. श्री हरिन पाठक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की विनिवेश नीति का धीमी गति से अनुसरण किया जा रहा है;

(ख) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की विनिवेश नीति सरकारी ऋण और सम्बन्धित ब्याज भार में कोई विशेष कमी लाने में सफल नहीं रही है;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कारोबार इनमें लगी पूंजी से 3 प्रतिशत कम है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वाणिज्यिक सिद्धांत लागू करने और विद्युत क्षेत्र को दी जा रही कुल राजसहायता में चरणबद्ध ढंग से कमी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार के ऋण तथा उससे सम्बन्धित ब्याज भार को सीमित विनिवेश के द्वारा पूरा किया जाता है, जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, मुद्रास्फीति पर प्रभाव डाले बिना संसाधन जुटाना तथा वित्तीय घाटा पूरा करना है। सांझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्त संसाधनों का उपयोग पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए किया जाएगा।

(ग) से (ङ). सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से यह अपेक्षित है कि वे वाणिज्यिक सिद्धान्तों के अनुसार प्रचालन करें तथा काफी हद तक वे ऐसा कर भी रहे हैं। विद्युत क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम पहले ही वाणिज्यिक सिद्धान्तों के अनुसार कार्य कर रहे हैं तथा उन्हें आर्थिक सहायता भी नहीं दी जा रही है।

झींगा का निर्यात

2243. श्री रमेश चेन्निथला : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान झींगा मछली के निर्यात को प्रोत्साहित करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आठवीं योजना की शेष अवधि के दौरान निर्यात का वार्षिक लक्ष्य कितना रखा गया है; और

(ग) अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं तथा केरल से कितनी झींगा मछली का निर्यात होने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग). भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यातों में झींगा मछली एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मद है। भारत से झींगा मछली के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, श्रिम्प पालन को अत्यधिक महत्वपूर्ण मद के रूप में अभिज्ञात किया गया है। भारत सरकार पालन के जरिए झींगा मछली के निर्यातों को बढ़ाने के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीड़ा) के माध्यम से कुछ संवर्धनात्मक योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। 8 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान श्रिम्प पालन के लिए एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और वर्तमान में लगभग 1.19 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पहले ही श्रिम्प फार्मिंग के तहत लाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, झींगा मछली का निर्यात, जो कि वर्ष 1991-92 के अंत में 975.43 करोड़ रुपए मूल्य के 76080 मी.टन का था वह वर्ष 1995-96 के अंत तक बढ़कर 2356.43 करोड़ रुपए के 95697 मी. टन हो गया। चालू वर्ष के दौरान, जो कि, 8 वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष होगा, 2964 करोड़ रुपए मूल्य की 108450 मी. टन झींगा मछली के निर्यात का लक्ष्य है। इसके विरुद्ध 1996-97, (अप्रैल-सितम्बर) की अवधि में 1475.88 करोड़ रुपए मूल्य की 59910 मी.टन झींगा मछली का निर्यात किया गया है। अनुमान है कि वर्ष 1996-97 में केरल सरकार से 561.02 करोड़ रुपए मूल्य के 42,700 मी.टन झींगा निर्यात के लिए उपलब्ध होगी।

रुग्ण इकाइयों पर बैंक की बकाया राशि

2244. श्री सौम्य रंजन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार कुल कितनी रुग्ण इकाइयां हैं तथा उनकी कुल कितनी वित्तीय अर्थक्षमताएं हैं;

(ख) इन इकाइयों से बकाया राशि की वसूली करने के लिए वित्तीय संस्थानों तथा औद्योगिक बैंकों की नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्मचारियों के हितों जिसमें इन इकाइयों पर उनकी बकाया राशि शामिल है, की सुरक्षा करने के लिए वर्तमान उपबंधों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में इस बढ़ते खतरे पर नियंत्रण पाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, मार्च 1995 (अद्यतन उपलब्ध) के अंत तक रुग्ण/कमजोर इकाइयों की कुल संख्या तथा उनके पास

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया बैंक ऋण निम्न प्रकार थे :—

(करोड़ रु.)

श्रेणी	इकाइयों की संख्या	बकाया बैंक ऋण
लघु उद्योग एकक	268815	3547.16
गैर-लघु उद्योग रुग्ण	1915	8739.61
गैर-लघु उद्योग कमजोर	476	1452.20
योग	271206	13738.97

(ख) और (घ). पुनरूज्जीवन के लिए सम्भाव्य रूप से अर्थक्षम माने गए रुग्ण/कमजोर इकाइयों (रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों सहित) के संबंध में पुनर्वास पैकेज तैयार करने/कार्यान्वयन के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं। पुनर्वास पैकेजों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं : चरणबद्ध रूप में वापसी अदायगी की बढ़ी हुई अवधि सहित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की विद्यमान बकाया राशियों के लिए निधि उपलब्ध कराना, ब्याज में छूट, नई कार्यशील पूंजी सुविधाओं सहित नए सावधि ऋण मंजूर करना। जहां तक गैर-लघु उद्योग रुग्ण औद्योगिक कंपनियों का संबंध है, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत स्थापित अर्द्ध-न्यायिक निकाय, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) निवारक सुधारक और अन्य उपायों के निर्धारण और ऐसे उपायों का पता लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है।

बैंक/वित्तीय संस्थाएं उनके द्वारा निर्धारित किए गए नियमों/प्रक्रियाओं के अनुसार, अपनी देय राशियों की वसूली के लिए कार्रवाई करते हैं। न्यायनिर्णयन में तेजी लाने और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण राशियों की वसूली में सहायता करने के उद्देश्य से, सरकार ने बकाया ऋण की शीघ्र वसूली के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया है।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने सूचित किया है कि रुग्ण औद्योगिक कंपनी के संबंध में पुनरूज्जीवन पैकेज तैयार करते समय, कामगारों की भुगतान न की गई राशियां और प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित उनसे हुए समझौतों, को भी ध्यान में रखा जाता है जब पुनर्वास पैकेज की लागत और उसके वित्तपोषण के साधन का आंकलन किया जाता है।

सीमा-शुल्क नीति

2245. श्री डी.पी. यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमा-शुल्क नीति की समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति की मुख्य बातें क्या हैं तथा इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). सीमा शुल्क नीति में मुख्य रूप से दो पहलू शामिल हैं, अर्थात् सीमा-शुल्क टैरिफ नीति एवं प्रक्रियाएं।

यद्यपि बजट प्रक्रिया के एक अंग के रूप में, सीमा-शुल्क टैरिफ नीति की हर वर्ष समीक्षा की जाती है, तथापि सीमा-शुल्क प्रक्रियाओं से संबंधित नीति की अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

नाबार्ड द्वारा कुक्कुट विकास

2246. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नाबार्ड" ने देश में कुक्कुट के विकास के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिए कोई दीर्घावधि योजना बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बहुराष्ट्रीय कंपनियां

2247. श्री तारीक अनवर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय समुदाय का इरादा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुद्दे पर भारत को अलग-थलग करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (मुरासोली मारान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

सूती धागे का निर्यात

2248. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1996-97 के लिए निर्यात हेतु सूती धागे का अतिरिक्त कोटा जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूती धागे के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये और क्या उपलब्धियां रहीं; और

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान सूती धागे का अनुमानतः कितना निर्यात किया जाएगा?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) और (ख). जी हां। सरकार ने वर्ष 1996 के लिए 40 और उससे कम काउंटों के सूती यार्न के निर्यात के लिए उच्चतम सीमा 30 मि.कि.ग्रा. तक अर्थात 80 मि. कि.ग्रा. से बढ़ाकर 110 मि.कि.ग्रा. कर दी है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूती यार्न के निर्यात लक्ष्य तथा वास्तविक निर्यात नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	निर्यात लक्ष्य (मिलियन अमरीकी डालर)	निर्यात (मिलियन अमरीकी डालर)
1993-94	411.31	512.97
1994-95	530.50	832.34
1995-96	850.00	1011.54

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान सूती यार्न के निर्यात के लिए 1250 मिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

गुजरात में विदेशों द्वारा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना

2249. श्री एन.जे. राठवा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों से अब तक केन्द्रीय सरकार को विदेशों द्वारा गुजरात में, विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार, देशवार ब्यौरा क्या है और इसमें कितना धन निवेश किया जाना है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ग). गुजरात राज्य में (जनजातीय क्षेत्र सहित) पिछले तीन वर्षों अर्थात् जनवरी, 1994 से सितम्बर, 1996 के दौरान कुल अनुमोदित विदेशी निवेश प्रस्ताव इस प्रकार है :—

वर्ष	प्रस्तावों की संख्या	राशि (रु. करोड़ में)
1994	52	1142.39
1995	59	426.29
1996 (सितम्बर तक)	48	749.76

ऐसे प्रस्तावों के ब्यौरे नामतः विदेशी सहयोगकर्त्ता का नाम और देश, शामिल निवेश इक्विटी, विनिर्माण/कार्यकलाप की मद को मासिक समाचार पत्रिका में अनुपूरक के रूप में भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा उनकी प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

[अनुवाद]

स्टाक निवेश योजना का दुरूपयोग

2250. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :
श्री आई.डी. स्वामी :
श्री रामसागर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों जिनमें वैश्य बैंक लिमिटेड भी शामिल है, स्टाक निवेश योजना के दुरूपयोग की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो पता लगाई गयी अनियमितओं का ब्यौरा क्या है तथा इन प्रत्येक मामलों में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्टाक निवेश योजना का और दुरूपयोग न हो क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी, हां। सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के मामले में पाई गई अनियमितताओं के बैंकवार ब्यौरे तथा उन पर की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्टाक निवेश योजना के परिचालन में अनियमितताओं को रोकने के लिए बहुत से उपाय शुरू किए हैं, जिनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(1) बैंकों को स्टाक निवेश केवल व्यक्तियों और म्युचुअल निधियों को जारी करने की अनुमति दी गई है।

(2) स्टाक निवेश जारी करने के लिए प्रत्येक पूंजी निर्गम पर प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपए की उच्चतम सीमा इसलिए कर दी गई है क्योंकि ऐसा देखा गया था कि व्यक्तियों के नाम पर कंपनियां स्टाक निवेश का लाभ उठा रही है।

(3) बैंकों को सलाह दी गई है कि ऐसे शेयर आवेदन पत्रों की स्वीकारोक्ति, जिनमें मूल स्टाक निवेश/चेक संलग्न नहीं हैं, की उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष घोषणा तथा ऐसे आवेदन पत्रों को वैध घोषित करना नियमानुसार नहीं है तथा अप्रयुक्त स्टाक निवेश के संबंध में निवेशकों के जमा खाते पर बैंक के ग्रहणाधिकार को 4 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले नहीं हटाया जाना चाहिए।

विवरण

बैंक का नाम	अनियमितता का प्रकार	बैंक के विरुद्ध की गई कार्रवाई
1	2	3
(1) बैंक आफ राजस्थान लि.	(1) उन कंपनियों के सार्वजनिक निर्गम के लिए अंशदान करने हेतु अलग-अलग व्यक्तियों को स्टाक निवेश जारी करना, जिनमें वे/उनके रिश्तेदार निदेशक/प्रवर्तक थे। (2) कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज के स्टाक ब्रोकरों को स्टाक निवेश जारी करना।	बैंक पर 5 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। बैंक पर आदेश प्राप्ति की तारीख से छः महीने की अवधि के लिए, अपनी चौरंगी (कलकत्ता) शाखा से स्टाक-निवेश जारी करने पर भी रोक लगाई गई है।
(2) इंडसइन्ड बैंक लि.	(1) कंपनियों के ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण खातों से निधियों को कंपनी/फर्म के निदेशकों/भागीदारों के अलग-अलग खातों में अंतरित करना, ताकि वे स्टाक निवेश प्राप्त कर सकें। (2) ग्रुप कंपनी के शेयरों (दिनांक 24.10.86 के परिपत्र डीबीओडी सं. एसआईसी.बीसी 114/सी 739 (A-1)-86 में निहित मार्गनिर्देशों का उल्लंघन करके) को गिरवी रखकर एक निवेश कंपनी को ऋण सुविधा देना। (3) दिनांक 6.6.1989 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी सं. बीपीबीसी. 134/65-89 में दिए गए अनुदेशों का उल्लंघन करके अपने निदेशकों के नाम में रखी गई जमा प्रमाण-पत्र की प्रतिभूति पर एक कम्पनी को ऋण सुविधाएं प्रदान करना।	बैंक पर 5 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। बैंक की मुम्बई शाखा पर भी 6 महीने की अवधि के लिए स्टाक निवेश जारी करने पर रोक लगाई गई है।
(3) वैश्य बैंक लि.	(1) बैंकिंग ऋण के लिए जारी निधियां स्टाक निवेश की खरीद में लगा दी गई थीं। (2) कंपनियों के खातों में निधियां अलग-अलग व्यक्तियों के खातों में अंतरित करना, ताकि स्टाक निवेश जारी किए जा सकें। (3) एक मुश्त स्टाक निवेश जारी करना।	यह निर्णय लिया गया है कि 5 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया जाए और बैंक की निम्नलिखित शाखाओं को 6 महीने की अवधि के लिए स्टाक निवेश जारी करने से रोक दिया जाए : (क) एलिसब्रिज (अहमदाबाद) (ख) आश्रम रोड (अहमदाबाद) (ग) ओवरसीज (मुम्बई) (घ) खार वेस्ट (मुम्बई) (ङ) के.के. टैगोर स्ट्रीट (कलकत्ता)
(4) एचडीएफसी बैंक लि.	खाता खोलने के लिए एक व्यक्ति (रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. के निदेशक) द्वारा कराए गए परिचय के आधार पर एचडीएफसी बैंक लि. के सार्वजनिक निर्गम में आवेदन करने के लिए 150 व्यक्तियों को 2-2 करोड़ रु. के स्टाक निवेश जारी करना। जमा खाता खोलने के लिए निधियां रिलायंस प्रोजेक्ट्स सर्विसेज के चालू खाते प्राप्त हुई थी, जो एक भागीदारी प्रतिष्ठान है और जिसका चालू खाता सिंडिकेट बैंक, फोर्ट, मुम्बई में है।	बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47-क के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिनमें उससे यह पूछा गया था कि उस पर जुर्माना क्यों लगाया जाए और बैंक को भविष्य में स्टाक निवेश जारी करने से क्यों न मना कर दिया जाए। उपर्युक्त नोटिस के उत्तर में तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान बैंक के प्रबंध निदेशक ने स्वीकार किया कि चूंकि बैंक ने जनवरी, 1995 में ही अपना कारोबार शुरू किया था, इसलिए उसे बैंक के एक परिचित प्रमाणिक व्यक्ति के परिचय पर विश्वास करना पड़ा था और इसलिए एक व्यक्ति द्वारा दिए गए परिचय पर खाते खोले गए

1	2	3
		थे। तथापि, बैंक ने जमा खाते खोलने की औपचारिकताओं का पालन किया था। इसके अतिरिक्त, इन खातों को खोलने 150 जमाकर्ता व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित थे। साथ ही, ये लेन-देन उन व्यक्तियों के निवेश लेन-देन थे जिन्हें मुम्बई स्टाक एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित आबंटन के आधार पर शेयर आबंटित किए गए थे और बैंक ने यह सुनिश्चित किया था कि वे बेनामी लेन-देन नहीं थे। बैंक ने इस बात की भी पुष्टि की है कि शाखाओं को आवश्यक अनुदेश जारी किए जा चुके हैं और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र स्थापित किया गया है। चूंकि बैंक के स्पष्टीकरण को संतोषजनक पाया गया था, अतः यह निर्णय लिया गया था कि अर्थदंड या रोक न लगाई जाए।
(5) बैंक आफ मदुरा लि. (दिल्ली की शाखाएं)	(1) शेयर दलाली (स्टाक ब्रोकिंग) फर्मों को स्टाक निवेशों का निर्गम। (2) चेकों के समाशोधन/चेकों/ ओवरड्राफ्ट की भुनाई के बदले स्टाक निवेशों का निर्गम। (3) भागीदारों को फर्म के खातों में नामे डालकर उनके व्यक्तिगत नामों से स्टाक निवेश जारी किए गए थे। (4) अन्य पक्ष की जमाराशियों के बदले स्टाक निवेशों का निर्गम। (5) अपर्याप्त जमा कवर के बदले स्टाक निवेशों का निर्गम।	कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया है जिसमें बैंक से यह पूछा जाएगा कि उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना और दिल्ली में इसकी किसी भी शाखा से स्टाक निवेश जारी करने पर रोक क्यों न लगा दी जाए।
(6) ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	(1) व्यक्तियों को उनके बचत खाते के बदले स्टाक निवेश जारी किए गए थे। जिन्हें बाद में पैकिंग ऋण खाते से निधियां प्रदान की गई थीं। (2) कं. को स्वीकृत कार्यशील पूंजी सुविधाओं के बदले स्टाक निवेश जारी किए गए थे। (3) निवेशकों द्वारा प्रस्तुत किए गए मुखतारनामे के आधार पर, हुई निवेश कंपनियों को थोक में स्टाक निवेश जारी किए गए थे। (4) कार्यशील पूंजी के प्रयोजन के लिए मंजूर किए गए स्थायी ओवरड्राफ्ट का एक भाग एक निदेशक के व्यक्तिगत खाते में अंतरित कर दिया गया था ताकि वह स्टाक निवेश प्राप्त कर सके। (5) एक शेयर-दलाल को स्टाक निवेश का निर्गम।	कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय किया गया है, जिसमें बैंक से यह पूछा जाएगा कि उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना और उसकी चौरंगी शाखा (कलकत्ता) तथा ओपेरा हाऊस शाखा (मुम्बई) से शेयर निवेश जारी करने पर रोक क्यों न लगा दी जाए।
(7) स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	(1) "संस्थाओं" के रूप में व्यक्तियों का प्रयोग करने वाली कम्पनियों/वित्तीय मध्यस्थों को एसआई जारी करना। (2) एसआई अथवा रजिस्ट्रार से पत्र की वास्तविक प्राप्ति	बैंक पर 5 लाख रुपए का दण्ड लगाया गया है।

1	2	3
	के बजाए प्रेस में घोषित किए गए आबंटन के आधार पर उन जमा खातों से ग्रहणाधिकार हटाना जिनके विरुद्ध एसआई जारी किए गए।	
(8) इंडियन बैंक	(1) स्टाक निवेश खरीदने के लिए अन्य बैंकों के पास घटित खातों से निधियों का अन्तरण। (2) समाशोधन लिखतों के विरुद्ध एसआई जारी करना। (3) पारले ग्रुप आफ कम्पनियों से संबंधित फर्मों/कम्पनियों को एसआई जारी करना। (4) नकद ऋण खातों को नामे द्वारा एसआई जारी करना। (5) जमा खातों पर ग्रहणाधिकार मार्क किए बिना एसआई जारी करना।	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47-क के अन्तर्गत बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें पूछा गया था कि क्यों न उस पर दण्ड लगा दिया जाए और क्यों न बैंक को भविष्य में एसआई जारी करने से निरुद्ध कर दिया जाए। बैंक के महाप्रबंधक ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इस बात की पुष्टि की थी कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 2 सितम्बर, 1994 (जिसकी शर्तों के अनुसार बैंकों को निगमों, शेयर ब्रोकरों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को एसआई जारी करने के विरुद्ध किया गया है) के परिपत्र के जारी होने से पहले कम्पनी ग्राहक अर्थात पार्ले ग्रुप आफ कम्पनी को एस आई जारी किया गया था महाप्रबंधक ने आगे पुष्टि की थी कि एसआई स्पष्ट जमा शेष के बदले जारी किया था न कि नगद ऋण सीमा में उपलब्ध आहरण शक्ति के बदले और उसे ग्रहणाधिकार स्टाक निवेश जमा लेखे पर नोट किया गया था। चूंकि बैंक का स्पष्टीकरण संतोषजनक पाया गया इसलिए दण्ड/निषेध का आरोपण न लगाने का निर्णय लिया गया।
(9) सेन्चुरियन बैंक लि.	(1) स्टाक निवेश के खाली और जारी किए गए फार्मों के रिकार्डों का अनुपयुक्त रख-रखाव। (2) अपर्याप्त जमाराशि के बदले तृतीय पक्षकारों को स्टाक निवेश जारी किए गए थे और बढ़े हुए ऋण से भुगतान किया गया।	मामले की जांच की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विवाचन सम्बन्धी मामले

2251. **श्री संदीपान थोरात** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विवाचन सम्बन्धी बढ़ते हुए बकाया मामलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमवार तथा दावों का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमवार कितने मामले विवाचन द्वारा निबटाए गए;

(घ) परिस्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में भारतीय विवाचन परिषद् जैसी विशेषज्ञ निकाय की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ग). विगत 3 वर्षों अर्थात् वर्ष 1993-95 के दौरान मध्यस्थता के 49 मामलों के संबंध में मध्यस्थ द्वारा कार्यवाही की जा रही थी तथा मध्यस्थ ने इस अवधि के दौरान 15 मामलों के संबंध में निर्णय दे दिया है। मध्यस्थ

को सौंपे गए किसी भी मामले की उपेक्षा नहीं की गई है। सरकारी क्षेत्र की उद्यमवार स्थिति तथा उसमें शामिल दावे की राशि से संबंधित सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) से (च). चूंकि, इन वर्षों के दौरान स्थायी मध्यस्थता तंत्र के मध्यस्थ को सौंपे गए किसी भी मामले की उपेक्षा नहीं की गई है। इसलिए, भारतीय मध्यस्थता परिषद जैसे विशेषज्ञ निकाय की सेवाओं को उपयोग करने की आवश्यकता का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

उन मामलों की सूची जिनमें वर्ष 1993-95 के दौरान मध्यस्था संबंधी कार्यवाही चल रही थी।

क्र.सं.	पक्षों के नाम	दावे की राशि (लाख रुपये में)	स्थिति
1	2	3	4
1.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि. बनाम सीमेंट कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	390	निर्णय हो चुका है।
2.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. बनाम सीमेंट कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	1563	निर्णय हो चुका है।
3.	नेशनल टेक्सटाईल कारपो. लि. बनाम भारतीय नौवहन निगम लि.	2	निर्णय हो चुका है।
4.	प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट इण्डिया लि. बनाम भारत इलेक्ट्रानिक्स लि.	8	निर्णय हो चुका है।
5.	भारतीय नौवहन निगम लि. बनाम उर्वरक विभाग	1	निर्णय हो चुका है।
6.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. बनाम भारतीय गैस प्राधिकरण लि.	48	निर्णय हो चुका है।
7.	राज्य व्यापार निगम लि. बनाम मसाला व्यापार निगम लि.	14	निर्णय हो चुका है।
8.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. बनाम अंतरिक्ष विभाग	146	निर्णय हो चुका है।
9.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि. बनाम विशाखापत्तनम स्टील प्लांट	351	निर्णय हो चुका है।
10.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण	470	निर्णय हो चुका है।
11.	इंजीनियरिंग (प्रोजेक्टस) इण्डिया लि. बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	3896	निर्णय हो चुका है।

1	2	3	4
12.	केन्द्रीय भण्डारण निगम बनाम मारमुगांव पोर्ट ट्रस्ट	191	निर्णय हो चुका है।
13.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि. बनाम विशाखापत्तनम स्टील प्लांट	446	निर्णय हो चुका है।
14.	हिन्दुस्तान जिंक लि. बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	144	निर्णय हो चुका है।
15.	त्रिवेणी स्टक्चरल्स लि. बनाम विशाखापत्तनम स्टील प्लांट	173	निर्णय हो चुका है।
16.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. बनाम लोक निर्माण विभाग (दिल्ली सरकार)	1035	कार्यवाही चल रही है।
17.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. बनाम अंतरिक्ष विभाग	146	कार्यवाही चल रही है।
18.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. बनाम सीमेंट कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	70	कार्यवाही चल रही है।
19.	भारी इंजीनियरी निगम लि. बनाम नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	1281	कार्यवाही चल रही है।
20.	भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि. बनाम नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि.	358	कार्यवाही चल रही है।
21.	खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि. बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	461	कार्यवाही चल रही है।
22.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि. बनाम ऑल इण्डिया रेडियो	422	कार्यवाही चल रही है।
23.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. बनाम सीमा सड़क निर्माण बोर्ड	191	कार्यवाही चल रही है।
24.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. बनाम सीमेंट कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	77	कार्यवाही चल रही है।
25.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि. बनाम विशाखापत्तनम स्टील प्लांट	351	कार्यवाही चल रही है।

1	2	3	4
26.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. बनाम माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो. लि.	265	कार्यवाही चल रही है।
27.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण लि.	470	कार्यवाही चल रही है।
28.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. बनाम तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	208	कार्यवाही चल रही है।
29.	सीमेंट कारपो. ऑफ इण्डिया लि. बनाम न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कंपनी	2	कार्यवाही चल रही है।
30.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि. बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण ऑफ इण्डिया लि.	3896	कार्यवाही चल रही है।
31.	केन्द्रीय भण्डारण निगम बनाम मारमुगांव पोर्ट ट्रस्ट	191	कार्यवाही चल रही है।
32.	आर्डिनेन्स फैक्टरी बोर्ड बनाम स्कूटर इण्डिया लि.	29	कार्यवाही चल रही है।
33.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण लि.	72	कार्यवाही चल रही है।
34.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण लि.	51	कार्यवाही चल रही है।
35.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण लि.	187	कार्यवाही चल रही है।
36.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि. बनाम विशाखापत्तनम स्टील प्लांट	446	कार्यवाही चल रही है।
37.	त्रिवेणी स्ट्रकचरल्स लि. बनाम विशाखापत्तनम स्टील प्लांट	173	कार्यवाही चल रही है।
38.	भारी इंजीनियरी निगम लि. बनाम नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	823	कार्यवाही चल रही है।
39.	हिन्दुस्तान जिंक लि. बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	144	कार्यवाही चल रही है।

1	2	3	4
40.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. बनाम ऑल इण्डिया रेडियो	351	कार्यवाही चल रही है।
41.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि. बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	8589	कार्यवाही चल रही है।
42.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. बनाम कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट	227	कार्यवाही चल रही है।
43.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि. बनाम राजस्थान हाउसिंग बोर्ड	1379	कार्यवाही चल रही है।
44	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. बनाम नेशनल थर्मल पावर कारपो. लि.	3	कार्यवाही चल रही है।
45.	भारतीय नौवहन निगम लि. बनाम उर्वरक विभाग	105	कार्यवाही चल रही है।
46.	डायरेक्टर जनरल बार्डर रोड बनाम रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकोनामिक सर्विस लि.	33	कार्यवाही चल रही है।
47.	तुंगभद्रा स्टील प्लांट बनाम विशाखापत्तनम स्टील प्लांट	186	कार्यवाही चल रही है।
48.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. बनाम भारतीय पर्यटन विकास निगम लि.	110	कार्यवाही चल रही है।
49.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कं. लि. बनाम भिलाई स्टील प्लांट (सेल)	469	कार्यवाही चल रही है।

आर्थिक विकास

2252. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने और उद्योगों को नियमित करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार ने विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में आर्थिक विकास तेज करने का भी निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) अनिवार्य लाइसेंसीकरण के तहत रखे गये उद्योगों की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। समय आने पर अनिवार्य लाइसेंसीकरण के तहत किसी विशेष उद्योग को रखे जाने का औचित्य समाप्त हो सकता है। स्मरण हो कि पांच वर्ष पूर्व अनिवार्य लाइसेंसीकरण के तहत 18 उद्योग रखे गये थे और अब इस सूची को पिछले समय के दौरान छोटा कर दिया गया है और इसके मात्र 14 उद्योग ही (शामिल) हैं।

(ख) और (ग). त्वरित औद्योगिक विकास को उपयुक्त व्यापार तथा राजकोषीय नीतियां अपनाकर व औद्योगिक पुनर्गठन द्वारा प्राप्त करने का विचार है। सरकार ने अवसंरचनात्मक बाधाओं और उद्योग

की कोष की कमी को हटाने का भी विचार किया है। अवसरंचनात्मक सेवाओं के बाजार प्रक्रियाओं, उत्पादन तथा वितरण के विनियंत्रीकरण की पहले ही परिकल्पना की गयी है। 1996-97 के केन्द्रीय बजट में भी ढांचागत विकास वित्त कंपनी के गठन का प्रस्ताव है जिसकी अधिकृत पूंजी 5000 करोड़ रुपये होगी और यह पुनः वित्तपोषण संस्था तथा वित्तीय गारंटी उपलब्ध कराने वाले प्रत्यक्ष ऋणदाता के रूप में कार्य करेगा। ढांचागत क्षेत्र के लिए भी कर छूट लागू की गयी है।

[हिन्दी]

कोयले का उत्पादन

2253. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साफ्ट कोयले का कुल वार्षिक उत्पादन कितना है और देश में इसकी कुल मांग कितनी है;

(ख) क्या सरकार अच्छी किस्म के कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए विदेशी सहायता ले रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) यद्यपि प्रश्न साफ्ट कोक के उत्पादन के बारे में है, किन्तु यह कल्पना की जाती है कि माननीय सांसद महोदय शायद कच्चे कोयले को संदर्भ-गत कर रहे हैं। योजना आयोग द्वारा वर्ष 1995-96 हेतु कोयले की मांग का अनुमान 298.80 मि.टन लगाया गया। इसकी तुलना में वर्ष 1995-96 के दौरान देश में कोयले का उत्पादन 270.13 मि.ट. हुआ था।

(ख) और (ग). अकोककर कोयले की गुणवत्ता में सुधार किए जाने हेतु, दो परिष्करण संयंत्र लगाए जा रहे हैं, जिनमें एक व्हाइट इण्डस्ट्रिज लिमिटेड (डब्ल्यू.आई.ए.एल), आस्ट्रेलिया के सहयोग से सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की पीपरवार ओपनकास्ट परियोजना (6.5 मि.ट.प्र.व.) में तथा दूसरा जर्मन सहयोग से नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की बीना परियोजना (4.5 मि.टन प्रति वर्ष) में लगाया जा रहा है।

कोकिंग तथा नॉन कोकिंग कोयले पर उत्पाद शुल्क

2254. प्रो. रीता वर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोयला खान अधिनियम, 1974 के अंतर्गत कोकिंग और नॉन कोकिंग कोयले अनुषंगी एकक-वार उपकर उत्पाद शुल्क की कितनी धनराशि के बिल बनाए गए;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन शुल्क के रूप में इन बिलों के अनुषंगी एकक-वार कितनी धनराशि वसूली गई;

(ग) उपकर लगाए जाने की तिथि के बाद से आज तक एककवार उपकर की कितनी धनराशि बकाया है;

(घ) क्या इस बकाया धनराशि के संबंध में कोई विवाद है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). जनवरी, 1992 से मार्च, 1995 की अवधि के दौरान प्रेषित किए गए कोयले (कोककर-अकोककर) के एवज् में सहायक कंपनीवार देय योग्य उत्पाद शुल्क, वसूली तथा देय बकाया उत्पाद शुल्क का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(रुपए में)

कोयला कंपनी	देय उत्पाद शुल्क	अदा किया गया उत्पाद शुल्क	देय बकाया राशि
1	2	3	4
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	26,30,98,793	26,30,98,793	वर्ष 1994-95 का मूल्यांकन लंबित है।
महानदी कोलफील्ड्स लि.	22,44,18,203	22,44,08,208	9,995
भारत कोकिंग कोल लि.	35,27,99,112	35,27,83,984	15,128
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	93,90,931	93,90,931	शून्य
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	36,52,1,704	36,50,21,704	शून्य
सिंगेरनी कोलियरीज कंपनी लि.	27,10,46,648	27,10,46,648	शून्य
दामोदर, घाटी निगम	12,07,139	12,07,139	शून्य
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	52,96,96,801	52,95,63,399	1,33,402

1	2	3	4
भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी	93;84,814	93,84,814	वर्ष 1994-95 के लिए रामनगर के मामले में मूल्यांकन लंबित है।
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	31,43,53,919	31,43,53,919	शून्य
टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी	5,48,73,498	5,48,73,498	शून्य
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	39,01,43,299	39,00,83,792	59,507 वर्ष 1994-95 के लिए कुजू क्षेत्र का मूल्यांकन लंबित है।
बी.एस.एम.डी.सी.	6,93,036	6,93,036	शून्य

(ग) से (ङ). उत्पाद शुल्क को लगाए जाने की तारीख से उत्पाद शुल्क की देय बकाया राशि का सहायक कंपनीवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

कंपनी का नाम	राशि (रुपए में)	अवधि
सें. को.लि.	55,192	अप्रैल, 75 से दिसबंर, 1978 तक
सिं.को.इं.लि.	43,865	अप्रैल, 75 से दिसंबर, 1976 तक
जम्मू एवं कश्मीर मिनरल्स	8,00,000	दिसम्बर, 1987 तक

[अनुवाद]

व्यापार प्रतिबंध

2255. श्री डी. पी. यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औद्योगिक देशों ने भारत पर व्यापार प्रतिबंध लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इन प्रतिबंधों को कम करने के लिए आग्रह किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां। औद्योगिक देशों द्वारा बहुत से आयात प्रतिबंध लगाए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले का निर्यात

2255. श्री तारीक अनवर : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य से खनन किए गए अधिकांश कोयले का पड़ोसी देशों में निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बिहार से प्रतिवर्ष कोयले का कितना खनन किया जाता है; और

(घ) इस राज्य को कोयले के निर्यात से प्रतिवर्ष कुल कितनी आय प्राप्त होती है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). वर्ष 1995-96 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं. लि.) द्वारा बिहार में स्थित कोलियरियों से 15823 टन कोयले का निर्यात किया गया है, इसमें से 15715 टन कोयले का निर्यात नेपाल को तथा शेष 108 टन कोयले का निर्यात बंगलादेश को किया गया है। यह निर्यात को.इं.लि. द्वारा प्रचालित की गई विश्वव्यापी निविदाओं के आधार पर किया गया है।

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान को.इं.लि. द्वारा बिहार से उत्खनित किए गए कोयले की कुल मात्रा 88.87 मि.टन (अनंतिम) की हैं।

(घ) बिहार राज्य में उत्पादित कोयले के निर्यात से प्राप्त कुल आय लगभग 16.63 करोड़ रुपये की है।

निर्यात प्रतिबद्धताएं

2257. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनियों द्वारा उनके करार के अनुसार निर्यात सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है;

(ख) उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जो गत तीन वर्षों के दौरान अपने करार के अनुसार निर्यात करने में विफल रही है; और

(ग) उन कम्पनियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रमैया) : (क) निर्यातक, लाइसेंसों की मुख्यतः निम्नलिखित दो श्रेणियों के लिए निर्यात दायित्व के प्रति वचनबद्ध होते हैं :—

(1) निर्यात सवंर्धन पूंजीगत माल स्कीम (ई.पी.सी.जी.) के तहत पूंजीगत माल के आयात के लिए लाइसेंस।

(2) शुल्क छूट स्कीम (डीईएस) के तहत कच्चे माल, मध्यस्थों, संघटकों, उपभोज्य वस्तुओं, पुर्जों, उपसाधित्रों, आवश्यक पुर्जों के आयात के लिए लाइसेंस।

ई.पी.सी.जी. स्कीम के अधीन निर्यात दायित्व 5 से 8 वर्षों, जैसा मामला हो, के भीतर पूरा करना अपेक्षित होता है जैसाकि निर्यात एवं आयात नीति 1992-97 के पैरा 38 में निर्धारित है। शुल्क छूट स्कीम (डी.ई.एस.) के तहत जारी लाइसेंसों के मामले में निर्यात दायित्व पूर्ति की अवधि 12 महीने है। क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा यह अवधि एक और वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। विशेष मामलों में, अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा यह अवधि और आगे बढ़ाई जा सकती है। दोनों प्रकार के लाइसेंसों के मामले में, निर्यात दायित्व की अवधि, लाइसेंस जारी होने की तारीख से प्रारंभ होती है। ई.पी.सी.जी. स्कीम और डी.ई.एस. स्कीम के अधीन जारी लाइसेंसों के संबंध में, निर्यात दायित्व की निगरानी की प्रक्रिया क्रमशः प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1, 1992-97 के पैरा 103 से 105 और पैरा 118, 124 से 129 में दी गई है।

(ख) ई.पी.सी.जी. स्कीम के अधीन निर्यात दायित्व की पूर्ति की अवधि 5/8 वर्ष है। चूंकि उक्त स्कीम 1991 में शुरू की गई है इसलिए अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कौन चूककर्ता है।

शुल्क मुक्त स्कीम के अधीन गत तीन वर्षों अर्थात् 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान जारी अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में 43286 मामलों में निर्यात दायित्व परे नहीं किए गए हैं। तथापि, उपरोक्त लाइसेंस अभी भी प्रचालन के विभिन्न चरणों में है और इसलिए उन कम्पनियों का ब्यौरा उपलब्ध कराना कठिन है जो गत तीन वर्षों के दौरान अपनी प्रतिबद्धताओं में वास्तविक रूप से असफल रही हैं।

(ग) निर्यात दायित्व की पूर्ति में वास्तविक चूक के मामले लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1, 1992-97 में निर्धारित नियमन प्रक्रिया के अनुसार नियमित किए जाते हैं, जिसमें उपयोग न किए गए आयातित माल पर ब्याज सहित सीमाशुल्क का भुगतान और विशिष्ट मूल्य के लिए मुक्त रूप से हस्तांतरणीय विशेष आयात लाइसेंसों की सुपुर्दगी की व्यवस्था है।

यदि लाइसेंसधारी निर्यात दायित्व को निर्धारित या बढ़ाई गई अवधि के भीतर पूरा करने में असफल रहता है और नियमन प्रक्रिया के अनुसार निर्यात दायित्व की पूर्ति की चूक को नियमित करने में भी असफल रहता है तो उसके विरूद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है :-

(1) बैंक गारन्टी/विधिक वचनबद्धता का प्रवर्तन।

(2) फर्म को आगे लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित करना।

(3) विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों और उसके अधीन बने नियमों के तहत अर्थदण्ड लगाना।

बैंक अधिकारियों द्वारा चैक पास करने में अनियमितताएं

2258. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उच्चतम न्यायालय द्वारा सेंट्रल बैंक आफ इंडिया बनाम निकुंज बिहारी पटनायक के मामले में दिए गए निर्णय के बारे में आकृष्ट किया गया है, जैसाकि 26 अप्रैल, 1996 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की शाखावार संख्या कितनी है जब अधिकारियों ने निजी और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अपनी अधिकार सीमा से अधिक की धनराशि के चैक अथवा ओवरड्राफ्ट की अनुमति दी और गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) बैंकिंग उद्योग सहित निजी क्षेत्र के बैंकों में निर्धारित मानदण्डों को लागू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विवेकाधीन ऋण प्रदान करने के कार्य की छमाही अंतरालों पर जांच करने के लिए एक प्रणाली शुरू की है। इन पुनरीक्षाओं का प्रमुख उद्देश्य बैंकों में ऋण पोर्टफोलियों के प्रबंधन में अति आवश्यक अनुशासन लाना है। जहां पर उल्लंघनों का बार-बार होना पाया जाता है और/या उपयुक्त उच्च प्राधिकारी द्वारा उल्लंघनों/अतिक्रमणों को बाद में दूर नहीं किया जाता है, वहां भारतीय रिजर्व बैंक निरीक्षण के दौरान इस कमी को बैंक की जानकारी में लाता है ताकि स्थिति में सुधार हो सके।

आर्थिक घोटाले

2259. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आर्थिक घोटालों की जांच के लिए कोई उच्चाधिकार समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के मुख्य कार्य क्या हैं और इसके सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) इस समिति द्वारा रिपोर्ट पेश करने के लिए सरकार द्वारा क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). सरकार ने आर्थिक घोटाले के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया है, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

(1) आर्थिक घोटाले से निपटने के लिए विधान बनाने से संबंधित कार्य ढांचे का सुझाव देना;

(2) रक्षोपाय की गोपनीयता रखते हुए, आर्थिक घोटाले से संबंधित उपबंधों को मजबूत बनाने के लिए मौजूदा कानून में फेर-बदल करने का सुझाव देना;

(3) आर्थिक घोटाले से निपटने के लिए भारतीय कानूनों में विद्यमान उपबंधों की पर्याप्तता का पता लगाना;

(4) कानून के उन उपबंधों की जांच करना, जो उदारीकरण के परिणामस्वरूप अनावश्यक हो गए हैं और जिनसे जनता को अनावश्यक परेशानी होती है।

(5) यदि आर्थिक घोटाले की समस्या से निपटने के लिए मौजूदा उपबंध अपर्याप्त पाए जाते हैं, तो नए विधान का सुझाव देना।

इस समिति में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्रवर्तन निदेशालय, नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, भारतीय रिजर्व बैंक और आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिनिधि शामिल है।

(ग) इस समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए दिनांक 31.12.1996 तक का समय दिया गया है।

[हिन्दी]

कोयला हैण्डलिंग संयंत्र

2260. प्रो. रीता वर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.) में कितने कोयला हैण्डलिंग संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) किन-किन कोयला खानों में इस प्रकार के संयंत्र स्थापित किए गए तथा ऐसे प्रत्येक संयंत्र की स्थापना पर हुए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से कितने संयंत्र अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं;

(घ) इन हैण्डलिंग संयंत्रों की स्थापना पर अनुमानित तथा वास्तविक कितना खर्च हुआ; और

(ङ) इस संबंध में लागत में वृद्धि होने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क), (ख), (घ) और (ङ). कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद से, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (भा.को.को.लि.) में 34 कोयला रख-रखाव संयंत्रों (सी.एच.पी.) को स्थापित किया गया है। उन कोलियरियों का ब्यौरा, जहां ये संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, संलग्न विवरण में दिया गया है। इन संयंत्रों की स्थापना हेतु 40.05 करोड़ रु. की लागत का अनुमान लगाया गया था तथा वास्तविक व्यय 44.64 करोड़ रुपये की राशि का हुआ है। लागत में वृद्धि अनिवार्य आगतों की लागत में हुई वृद्धि के कारण है, जो कि सामान्य सीमा के अंदर है।

(ग) 34 स्थापित सी.एच.पी. में से , 28 संयंत्र पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं।

विवरण

भा.को.को.लि. की कोलियरियों में सी.एच.पी. की अवस्थिति	संख्या
1	2
नुडखुरकी	2
ब्लॉक-II	2
जामुनिया	2
मुराई डीह	2
दामोदा	1
गोविन्दपुर	2
ब्लॉक-4	1
कटरास	1
केशलपुर	1
सेन्ड्र बांसजौरा	1
निथितपुर	1
एच.टी.ओ.का.प.	1
धनसर	1
तेतुलमारी	1
कटरी	1
कस्तोरी	2
गोस्कडीह	3
बेड़ा	1
एन. तिसरा	2

1	2
एस. तिसरा	1
भौंरा	1
एन. अमलाबाद	1
दामगोरिया	1
जनकुन्दार	1
बेनीडीह	1
जोड़	34

[अनुवाद]

बड़ी इलायची की किस्म का संवर्धन

2261. **श्री भीम प्रसाद दाहाल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य मसाला बोर्ड तकनीकी विशेषज्ञों की स्थायी नियुक्ति कर बड़ी इलायची की किस्म के संवर्धन के लिए समुचित मूलभूत ढांचा तैयार करने का इच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या मसाला बोर्ड का बड़ी इलायची की किस्म के संवर्धन के लिए एक पृथक निदेशालय गठित करने और सिक्किम क्षेत्र में इसका एक कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त निदेशालय का गठन कब तक किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). बड़ी इलायची की विकासात्मक आवश्यकताओं संबंधी कार्य की देखरेख के लिए सिक्किम राज्य और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में वाणिज्य मंत्रालय के अधीन मसाला बोर्ड का सुगठित संगठन है। बोर्ड, बड़ी इलायची की फसल उगाने के काम में लगे उत्पादकों के लाभ के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि, दोनों तरह की योजनाऐं लागू कर रहा है। लागू की जा रही योजनाओं में प्रमाणित नर्सरियों के द्वारा गुणवत्ता वाली रोपण सामग्रियों का उत्पादन और आपूर्ति; जराजीर्ण और अलाभकारी बागानों का पुनर्रोपण; सिंचाई और कटाई-पश्चात् सुधार शामिल हैं। गंगटोक में एक उप-निदेशक की अध्यक्षता में एक क्षेत्रीय कार्यालय विशिष्ट रूप से सिक्किम में चार संभागीय कार्यालयों और दो फील्ड कार्यालयों के क्रियाकलापों का समन्वयन कर रहा है और वे संबंधित राज्य सरकारों के समन्वय से विस्तार, परामर्शी सेवाओं और विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिम्मेवार हैं। मसाला बोर्ड का भारतीय इलायची संस्थान का एक क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन गंगटोक में भी है, जो बड़ी इलायची की अनुसंधान आवश्यकताओं का ध्यान रखता है।

(ग) से (ङ). बड़ी इलायची के विकास के लिए पहले से ही विद्यमान तंत्र को देखते हुए सरकार बड़ी इलायची के विकास के लिए अलग से निदेशालय की स्थापना को आवश्यक नहीं मानती है।

बिना चैम्बरों के वकील

2262. **श्री के.वी. नायडू :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय में अभिलेख तालिका में दर्ज अनेक वकील बिना चैम्बरों के कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय में ऐसे सभी वकीलों को कम से कम बैठने का स्थान उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे सभी वकीलों को बैठने का स्थान कब तक दे दिए जाने की संभावना है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) जी हां।

(ख) विद्यमान चैम्बर्स, जिनका 1958 में निर्माण किया गया था, समय के अंतराल पर अधिवक्ताओं की संख्या में भारी वृद्धि होने के कारण पर्याप्त नहीं रह गए हैं।

(ग) और (घ). उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं के लिए डा. भगवान दास रोड, नई दिल्ली में 136 अतिरिक्त चैम्बरों का निर्माण कार्य चल रहा है। नए भवन की प्रत्येक मंजिल पर 20 कक्षों वाले बड़े कमरों का भी उपबंध किया गया है, जहां 20 अधिवक्ताओं को कार्य करने के लिए मेजें और कुर्सियां उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

विश्व बैंक मिशन

2263. **श्री नारायण अठावले :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक मिशन को हाल ही में मूलभूत ढांचे के अंतर्गत वित्तीय सहायता देने के संबंध में विभिन्न प्रस्तावों की जानकारी दी है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक सहायता से प्रस्तावित परियोजनाओं का राज्यवार/परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनओं पर विश्व बैंक मिशन की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कोई अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा क्या है, प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा महाराष्ट्र में

परियोजनाओं के संबंध में स्वीकृति देने/इन्हें लागू करने के बारे में संभावित समय सारणी क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक से सहायता के लिए प्रस्तुत की गयी आधारभूत क्षेत्रों में परियोजनाओं पर एक विवरण संलग्न है।

(ग) बैंक, सिद्धांत रूप से इन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है और ये परियोजनाएं तैयार की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। राज्य सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को तैयार करने के लिए परियोजना तैयारी सुविधा (पीपीएल)/टीए ऋण/पीएचआरडी अनुदान आदि के माध्यम से अनुरोध किए जाने की स्थिति में विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता मुहैया कराया जाना प्रस्तावित होगा।

(घ) केन्द्र/राज्य सरकारों को परियोजनाएं तैयार करनी होती हैं। परियोजनाएं तैयार करना एक अनवरत प्रक्रिया है और इसमें जहां कहीं आवश्यक होता है, व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत अभियांत्रिकी, पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन, पुनर्स्थापना और पुनर्वास अध्ययन तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों से तकनीकी, वित्तीय और पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करना शामिल है। महाराष्ट्र की प्रस्तावित राज्य राजमार्ग परियोजना तैयार की बहुत ही आरंभिक अवस्था में है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम
1	2	3
राज्य क्षेत्र की परियोजनाएं		
सड़क क्षेत्र		
1.	आन्ध्र प्रदेश	राज्य राजमार्ग परियोजना
2.	गुजरात	राज्य राजमार्ग परियोजना
3.	हरियाणा	राज्य राजमार्ग परियोजना
4.	हिमाचल प्रदेश	राज्य राजमार्ग परियोजना
5.	कर्नाटक	राज्य राजमार्ग परियोजना
6.	मध्य प्रदेश	राज्य राजमार्ग परियोजना
7.	महाराष्ट्र	राज्य राजमार्ग परियोजना
8.	एनसीआर दिल्ली	ग्रिडों का विकास
9.	नागालैण्ड	राज्य राजमार्ग परियोजना
10.	उड़ीसा	राज्य राजमार्ग परियोजना
11.	पांडिचेरी	सड़क विकास परियोजना
12.	पंजाब	राज्य राजमार्ग परियोजना
13.	राजस्थान	राज्य राजमार्ग परियोजना
14.	तमिलनाडु	राज्य राजमार्ग परियोजना
15.	त्रिपुरा	राज्य राजमार्ग परियोजना
16.	उत्तर प्रदेश	राज्य राजमार्ग परियोजना
17.	पश्चिम बंगाल	राज्य राजमार्ग परियोजना
विद्युत क्षेत्र		
18.	हरियाणा	हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड का सुधार और पुनर्निर्माण।
जलापूर्ति		
19.	पंजाब	शहरी जलापूर्ति और सफाई परियोजना
20.	पंजाब	जल संसाधन प्रबंधन परियोजना
21.	तमिलनाडु	III मद्रास जलापूर्ति परियोजना
केन्द्र क्षेत्र की परियोजनाएं		
1.	तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	
2.	पावरग्रिड II परियोजना	

दुपहिया निर्माण

2264. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 नवम्बर, 1996 के "फाइनेंशियल एक्सप्रैस" को नई दिल्ली संस्करण में "2 व्हीलर मेकरस् टू राइट टफ आन न्यू नार्मस्" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ग). जी, हां। दोपहिया वाहन विनिर्माताओं ने सरकार को ज्ञापन दिया है कि दोपहिया वाहनों के लिए सुझाई गई 2000 उत्सर्जन शर्त बहुत कठिन है तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उन्हें पूरा कर पाना संभव नहीं है। दोपहिया वाहनों को अंतिम रूप से निर्धारण के लिए उत्सर्जन शर्तों से पूर्व उद्योग के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखा जायेगा।

[हिन्दी]

स्टाक निवेश योजना

2265. **श्री जय प्रकाश** (हरदोई) : क्या वित्त मंत्री स्टाक निवेश योजना के बारे में 8 मार्च, 1996 एवं 26 जुलाई, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1023 एवं 1893 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). प्राप्त सूचना की जांच की जा रही है।

लोक अदालत

2266. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों के लोगों को शीघ्र और न्याय दिलाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों को निपटाने के लिए लोक अदालतों हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाया है;

(ख) यदि हां, तो लोक अदालतों का दर्जा क्या है और सरकार द्वारा विवाद निपटाने की वैकल्पिक विधियों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से इसको उच्च प्राथमिकता देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान लोक अदालतों के माध्यम से कितने मामले निपटाए गए और अधिनियम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) जी हां।

(ख) लोक अदालतों को विधिक सेवा का प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के 9 नवंबर, 1995 से प्रवर्तित किए जाने से कानूनी आधार प्रदान किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 21 के अधीन, लोक अदालतों के प्रत्येक अधिनिर्णय, यथास्थिति, किसी सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश है और लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक अधिनिर्णय विवाद के सभी पक्षकारों पर अंतिम और आबद्धकर होगा तथा अधिनिर्णय के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी।

लोक अदालतें, वैकल्पिक विवाद समाधान की पद्धति के रूप में प्रेस और प्रकाशन के अन्य तरीकों के माध्यम से तथा अधिवक्ताओं द्वारा अपने मुवक्किलों को इसकी उपयोगिता, लाभजन्यता तथा लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के बारे में प्रभावित करने में लोकप्रिय हुई हैं।

(ग) 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जहां लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं, से उपलब्ध जानकारी के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निपटाए गए मामलों की संख्या एक विवरण में अंतर्विष्ट है, जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम को, समाज के दुर्बल वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा यह सुनिश्चित करने हेतु उपलब्ध कराने के लिए कि आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय पाने के अवसर से वंचित न रह जाए, विधिक सेवा प्राधिकरणों को गठित करने और यह सुनिश्चित करने हेतु कि समान अवसर के आधार पर विधिक पद्धति का प्रचालन न्याय को प्रोन्नत करे, लोक अदालतें आयोजित करने के लिए, अधिनियमित किया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1993, 1994 और 1995 में, प्रत्येक वर्ष के दौरान लोक अदालतों के माध्यम से निपटाए गए मामलों की राज्यवार संख्या दर्शित करने वाला विवरण (राज्य विधिक सेवा और सलाह बोर्डों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित)

क्र.सं.	राज्य बोर्ड का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या		
		1993	1994	1995
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	19,525	7,767	4,753
2.	असम	1,614	1,285	2,131
3.	बिहार	22	3,589	600
4.	गोवा*	----------	614 (समेकित आंकड़े)	----------
5.	गुजरात	13,461	15,926	19,325

1	2	3	4	5
6.	हरियाणा*	25,575	23,149	20,353
7.	हिमाचल प्रदेश	5,426	5,628	3,193
8.	जम्मू-कश्मीर	---------- 269 ----------		
		(पिछले 3 वर्षों के संबंध में समेकित आंकड़े)		
9.	कर्नाटक	54,289	15,019	20,447
10.	केरल	---------- 14,9222 ----------		
		(पिछले 3 वर्षों के संबंध में समेकित आंकड़े)		
11.	मध्य प्रदेश	59,041	79,899	1,36,389
12.	महाराष्ट्र*	8,799	12,079	10,719
13.	मणिपुर	---------- 712 ----------		
		(समेकित आंकड़े)		
14.	मेघालय*	शून्य	शून्य	141
15.	मिजोरम	---------- 70 ----------		
				(पिछले 3 वर्षों के संबंध में समेकित आंकड़े)
16.	उड़ीसा	64,849	81,603	43,022
17.	पंजाब*	14,279	12,447	2,188
18.	राजस्थान	79,865	70,873	56,772
19.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
20.	तमिलनाडु	8,330	11,346	8,251
21.	त्रिपुरा	बोर्ड द्वारा जानकारी भेजी नहीं गई		
22.	उत्तर प्रदेश*	3,18,285	3,10,687	3,08,495
23.	पश्चिम बंगाल	96	53	316
24.	चंडीगढ़ प्रशासन	शून्य	शून्य	शून्य
25.	दिल्ली	598	949	2,898
26.	पांडिचेरी**	---------- 863 ----------		
		(समेकित आंकड़े)		

* वित्तीय वर्ष अर्थात् 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के लिए

** वित्तीय वर्ष अर्थात् 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लिए

[अनुवाद]

स्टाक मार्किट

2267. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने स्टाक मार्किट को अर्थक्षम बनाने हेतु स्टाक ब्रोकरों तथा मर्चेन्ट बैंक के साथ बैठक की थी ताकि इसमें आर्थिक तेजी लाई जा सके;

(ख) यदि हां, तो बैठक में हुए विचार-विमर्श के बारे में ब्यौरा क्या है तथा इसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई और क्या सुझाव दिए गए; और

(ग) इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). प्रतिभूति बाजारों में भाग लेने वालों के साथ ऐसी बैठकों का आयोजन बाजार से संबंधित सामान्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय-समय पर किया जाता है। स्टाक बाजार के कार्यकरण में सुधार करने हेतु उपाय करना एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है और ऊपर उल्लिखित बैठकों में की जाने वाली चर्चाएं इस प्रक्रिया में मदद करती हैं।

घोटालों से जुड़े बैंक अधिकारियों को बचाना

2268. श्री आई.डी. स्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 सितम्बर, 1996 के "दि पायोनियर" में "फाइनेन्स मिन्स्ट्री शील्ड्स सैम-टेन्टेड बैंक आफिसियल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). सरकार ने प्रश्न में संदर्भित समाचार देखा है। यह कहना सही नहीं है जैसा कि इस समाचार में कहा गया है कि सरकार किसी अधिकारी का बचाव कर रही है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जुलाई, 1992 में एक अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसमें सिंगापुर की एक कम्पनी और इसकी सहयोगी कम्पनियों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के मामले में इंडियन बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) श्री एम. गोपालकृष्णन के विरूद्ध एक नियमित मामला दर्ज करने के लिए सरकार की सहमति मांगी गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक जिससे इस मामले में सलाह ली गई थी, ने कहा था कि उनकी संवीक्षा से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की ओर से हुई किसी आपराधिकता का पता नहीं चलता है। अतः भारतीय रिजर्व बैंक ने सुझाव दिया था कि यह मामला सीबीआई द्वारा कार्यवाही किए जाने हेतु उपयुक्त नहीं है। सरकार ने इस मामले पर विचार किया था और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों को स्वीकार कर लिया गया था। तदनुसार ही, सीबीआई को नवम्बर, 1993 में सूचित कर दिया गया था।

सीबीआई ने सूचित किया है कि उन्होंने इस संबंध में अब एक मामला दर्ज कर लिया है।

[हिन्दी]

राजस्थान में बैंक शाखाएं

2269. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राजस्थान में निजी क्षेत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित बैंक खोलने के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ अन्य राज्यों ने भी बैंक खोलने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत, निजी क्षेत्र अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का इस समय चल रही शाखाओं की पृथक-पृथक संख्या कितनी है;

(च) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में इस बैंकों की और शाखाएं खोलने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने राजस्थान में निजी बैंक या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित बैंक स्थापित करने के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार की ओर से निजी क्षेत्र के बैंक स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 30.6.1996 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण/शहरी शाखाओं का विवरण :-

		ग्रामीण	शहरी/ महानगरीय
1.	राष्ट्रीयकृत बैंकों के	547	328/93
2.	अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के (एसबीआई और अनुषंगी एवं विदेशी बैंकों को छोड़कर)	107	65/28
3.	आरआरबी के	917	19

(च) और (छ). राजस्थान राज्य में वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाएं खोलने के लिए जारी प्राधिकार पत्र जो कि आज तक बैंकों में लंबित/अप्रयुक्त हैं :-

क्र. सं.	केन्द्र	जिला	बैंक का नाम
1.	भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र	अलवर	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स
2.	तिब्बि	श्रीगंगानगर	-तदैव-
3.	मिराजवाली गांव	-तदैव-	-तदैव-
4.	इटावा	कोटा	स्टेट बैंक आफ बीका. एंड जयपुर
5.	गोटा	नागौर	-तदैव-
6.	निमराना	अलवर	-तदैव-
7.	तापूकड़ा	अलवर	-तदैव-

[अनुवाद]

बैंकों में धोखाधड़ी के मामले

2270. **श्री प्रमोद महाजन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 अक्तूबर, 1996 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में नई दिल्ली के संस्करण "रूपीज 129 करोड़ सपइफण्ड् आफ तिगल्ली थ्रू बैंकस" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो बैंकों के विभिन्न धोखाधड़ी के मामले तथा उक्त रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य मामलों के तथ्य तथा ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस घोटाले में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). प्रवर्तन निदेशालय के अहमदाबाद कार्यालय ने जाली दस्तावेजों के जरिए बैंक ऑफ बड़ौदा, सूरत के द्वारा लगभग 129 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के हांगकांग उपेक्षण के संदेहास्पद मामले में जांच अपने हाथ में ले ली है।

भारत ओवरसीज बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष के विरूद्ध शिकायत

2271. **श्री उत्तम सिंह पवार :**
श्री अमर राय प्रधान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें भारत ओवरसीज बैंक लिमिटेड, मद्रास के अध्यक्ष के विरूद्ध गंभीर आरोप लगाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक को मिली शिकायतों में यह आरोप लगाया गया है कि भारतीय ओवरसीज बैंक लि. के अध्यक्ष द्वारा कुछ अनियमितताएं की गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मामले की जांच की है और यह पाया है कि शिकायतों में अधिक सार नहीं है।

बैंक धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि

2272. **श्री आई.डी. स्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अक्तूबर, 1996 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में "संव्हेन दि सेंटर इज नाट होल्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें रिपोर्ट किये गये तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षण विभाग किन कारणों से धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को रोक नहीं सका?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इस लेख में यह बताने की कोशिश की गई है कि हालांकि, बैंकों में अनियमितताएं हो रही हैं और निरीक्षण रिपोर्टों में इन अनियमितताओं का उल्लेख किया जा रहा है, तो भी भारतीय रिजर्व बैंक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और एक पृथक सर्वेक्षण विभाग तथा वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की स्थापना किए जाने के बावजूद भी भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों में अनियमितताओं को कम नहीं कर पाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जब कभी निरीक्षण या अन्य तरीके से अनियमितताओं या धोखाधड़ियों का पता लगता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथोचित कार्रवाई की जाती है, जैसे कि बैंकों से ब्यौरे मांगना, विशेष छानबीन का आदेश देना, बैंकों से जोर देकर कहना कि अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें, कर्मचारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना, आदि। इस संबंध में प्रगति की निगरानी भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। निरीक्षणों के निष्कर्षों पर संबंधित बैंक के अध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श किया जाता है, ताकि सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके और मामले की रिपोर्ट वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के पास भी की जाती है। समयबद्ध अनुपालन कार्यक्रम भी निर्धारित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को आंतरिक निरीक्षण, बाह्य/आंतरिक लेखा-परीक्षा, समवर्ती लेखा परीक्षा, राजस्व लेखा परीक्षा आदि सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रेरित करता रहा है। बैंकों में सतर्कता तंत्र भी होता है, जो मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के अधीन कार्य करता है। अलग-अलग बैंकों के मुख्य सतर्कता अधिकारी धोखाधड़ियों/अनियमितताओं का पता लगाते हैं और संबंधित कर्मचारियों को ऐसा दंड दिया जाता है जिससे दूसरे कर्मचारियों को सीख मिले।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के अनुरोध पर भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ियों को रोकने के लिए समय-समय पर कई उपाय किए हैं। इन उपायों में बैंकों में नियंत्रण-तंत्र सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापक मार्गनिर्देश जारी करना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धोखाधड़ी के मामलों की सतत आधार पर

पुनरीक्षा करना, बैंकों को विशिष्ट मामलों में कार्य प्रणाली तथा इन मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपाय करने के लिए कहना, संचालन कार्मिकों को समुचित प्रशिक्षण देना तथा सूचित किए गये धोखाधड़ी के बड़े मामलों में जांच एवं छानबीन करना और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धोखाधड़ी वाले क्षेत्रों में प्रणाली एवं प्रक्रियाएं तथा नियंत्रण व्यवस्थाओं सहित अचानक परीक्षण करना, आदि शामिल हैं।

आयकर निर्धारण

2273. श्री जी. वेंकट स्वामी :
श्री उत्तम सिंह पवार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग द्वारा किए गए कर निर्धारण के मामलों की 1 अप्रैल, 1994 से 31 मार्च, 1995 की अवधि के बीच की गई लेखा परीक्षा जांच से कम आकलन के 16,256 मामले सामने आए हैं जिनमें 855.39 करोड़ रुपये का कुल राजस्व अन्तर्ग्रस्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर-निर्धारितियों से उक्त राशि वसूल कर ली गई;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) कर-वसूली की प्रक्रिया में कमियों को दूर करने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस चूक के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां। इन निष्कर्षों की 31.3.1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियों-प्रत्यक्ष करों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 1996 की वार्षिक रिपोर्ट संख्या 5 में सूचना दी गयी है।

(ख) और (ग). 855.39 करोड़ रुपए की इस राशि में से जिस राशि की वसूली की गयी है, उसे निम्नलिखित कारणों से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है :—

(1) आयकर विभाग द्वारा अनेक लेखा परीक्षा आपत्तियों का वास्तविक सत्यापन एवंआयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के आधारों पर विरोध किया जाता है और राजस्व लेखा परीक्षा द्वारा इन्हें अन्ततः समाप्त कर दिया जाता है।

(2) अनेक कर निर्धारिती गलतियों का संशोधन करने वाले आदेशों तथा अतिरिक्त कर की मांग उठाने के विरूद्ध अपीलें दायर कर सकते हैं। पहली अपील के बकाया पड़े रहने के दौरान, सामान्यतया वसूली के अवपीड़क उपायों को नहीं अपनाया जाता है।

(3) इन लेखा परीक्षा आपत्तियों के कारण उठायी गयी अतिरिक्त मांग पर कभी-कभी कर निर्धारण अधिकारियों, पर्यवेक्षी अधिकारियों तथा अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा रोक लगा दी जाती है।

(4) अपीलीय आदेशों के परिणामस्वरूप अनेक मामलों में उठायी गयी अतिरिक्त मांग को कम कर दिया जाता है अथवा इसे समाप्त कर दिया जाता है।

(घ) कर वसूली की प्रक्रिया में कोई स्पष्ट त्रुष्टि नहीं है। ऐसी अतिरिक्त कर मांग, जो विवादास्पद नहीं होती है, की सामान्यतया बिना देरी के वसूली कर ली जाती है।

(ङ) इन मामलों में से अधिकांश मामलों में विभाग द्वारा गलती करने वाले अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाता है ताकि उसकी नेकनीयती की जांच की जा सके और जहां कहीं भी अपेक्षित होता है वहां उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

राष्ट्रीय बचत योजना

2274. श्री एन. डेनिस : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बचत योजना के अधिक आकर्षक बनाने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय बचत योजना को और आकर्षक बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में आकर्षक प्रतिलाभ, कर रियायातों का विस्तार, प्रचार और एजेंटों को प्रोत्साहन शामिल है। केन्द्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों और विस्तार एजेंसियों जैसे मानकीकृत एजेंसी प्रणालियों (एस.ए.एस.), लोक भविष्य निधि के एजेंटों (पी.पी. एफ.) और महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना (एम.पी.के.बी.वाई.) के एजेंटों द्वारा भी इन योजनाओं का व्यापक प्रचार किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संस्थाओं में नामनिर्देशित व्यक्ति

2275. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निगमित प्रशासन संहिता तैयार करने तथा वित्तीय संस्थाओं के निगमित बोर्डों में व्यक्तियों के नामनिर्देशन हेतु नए दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वित्तीय संस्थाओं के निगमित बोर्डों में व्यक्तियों के नामनिर्देशन के संबंध में कोई आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). सरकार ने कुछेक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) नामतः आईडीबीआई, आईसीआईसीआई और यूटीआई को कंपनी अभिशासन संबंधी केडबरी समिति की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख भारतीय कंपनियों द्वारा कंपनी अभिशासन की प्रथाओं का अध्ययन करने का सुझाव दिया था। इस अध्ययन में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय कम्पनियों द्वारा अनुसरण किए जा रहे कम्पनी अभिशासन की प्रथाओं, बोर्ड की बैठकों की बारंबारता, गैर-कार्यपालक निदेशकों की स्वतंत्रता, अल्पावधि निवेशों संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों के मूल्यांकन और लेखा परीक्षा उप-समिति के गठन के निर्धारण पर टिप्पणियां की गई थी। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श किया है और सीआईआई ने कम्पनी अभिशासन के संबंध में एक कृतिक बल का गठन किया हैं।

नामिति निदेशकों से संबंधित विद्यमान दिशानिर्देश अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के पास पुनरीक्षाधीन है।

(ग) और (घ). समर्थित कम्पनियों में नामिति निदेशकों की नियुक्ति अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जाती है, न कि सरकार द्वारा। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं स्वयं अपने नामिति निदेशकों के कार्यनिष्पादन की पुनरीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं और जहां कहीं आवश्यक होता है उचित कार्रवाई करती है।

अफीम की खेती

2276. श्री भक्त चरण दास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई अफीम नीति जिसमें उत्पाद के मूल्य तथा उत्पादन में वृद्धि की घोषणा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के प्रमुख अफीम उत्पादक राज्यों के नाम क्या हैं;

(घ) प्रत्येक राज्य से अफीम उत्पादन का कितना वार्षिक कोटा निर्धारित किया गया है; और

(ङ) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी, हां। भारत सरकार ने फसल वर्ष 1996-97 के लिए अफीम लाइसेंस नीति घोषित की है जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए न्यूनतम अर्हकारी उपज 70 डिग्री संशक्ति वाली 48 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश के लिए 70 डिग्री संशक्ति वाली 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर निश्चित की गई है। सरकार ने अफीम के मौजूदा खरीद मूल्य में 100/- रु. प्रति कि.ग्रा. के हिसाब से वृद्धि की घोषणा भी की है।

(ग) अफीम की पैदावार करने वाले तीन राज्यों के नाम मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं।

(घ) सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए अफीम का कोई वार्षिक उत्पादन कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, फसल वर्ष 1996-97 के लिए किसानों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम उपज ऊपर दिए गए अनुसार निश्चित की गई है।

(ङ) इस प्रयोजन के लिए इन तीनों राज्यों में से किसी भी राज्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है।

आंतरिक निगमित जमा राशि की परिसीमाएं

2277. श्रीमती मीरा कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आंतरिक निगमित जमा राशि पर तथा कुल दिए गए धन पर लगाई गई परिसीमाओं का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की उस व्यवस्था का ब्यौरा क्या है जिसके अंतर्गत वह ऐसे मामलों पर नियंत्रण रखता है;

(ग) क्या ऐसी परिसीमाओं के उल्लंघन किए जाने संबंधी जानकारी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसी) द्वारा जमाराशियों की स्वीकृति का नियंत्रण, गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1977 के अंतर्गत किया जा रहा है। इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ अंतर कम्पनी जमाराशियों (आईसीडी)/ऋणों के रूप में उधार लेने के संबंध में अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। पंजीकृत उपस्कर पट्टा और किराया खरीद (ईएल एण्ड एचपी) वित्त कम्पनियों के संबंध में, 12 महीनों से अनधिक की अवधि के लिए आईसीडी की उप सीमा उनकी निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) के दो गुने तक है। अपंजीकृत ईएल एण्ड एचपी वित्त कम्पनियों के लिए इस उप-सीमा को दो गुने से कम करके एनओएफ के बराबर कर दिया गया है। पंजीकृत ऋण और निवेश कम्पनियों के संबंध में, आईसीडी की अलग सीमा एनओएफ के दो गुने के बराबर है। तथापि, अपंजीकृत ऋण और निवेश कम्पनियों के संबंध में, आईसीडी की सीमा को एनओएफ के दो गुने से कम करके एनओएफ के बराबर कर दिया गया है।

(ख) बैंक एनबीएफसी द्वारा स्वीकार की गई आईसीडी के स्तर की निगरानी वार्षिक विवरणी के माध्यम से करता है। इसके

अलावा, एनबीएफसी के निरीक्षण के दौरान, इस पक्ष की जांच की जाती है।

(ग) और (घ). जब कभी इन सीमाओं के उल्लंघन की जानकारी बैंक को होती है, तब संबंधित पार्टियों को आईसीडी के स्तर को निर्धारित स्तर तक लाने की सलाह दी जाती है। सीमाओं के ऐसे उल्लंघनों का ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है।

जी-24 की बैठक

2278. **श्री पिनाकी मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी-24 के विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों की सितम्बर, 1996 में वाशिंगटन में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रियों की बैठक ने सदस्य देशों के बीच शर्तों को लागू करने के प्रति सचेत किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उसमें किन विषयों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय लिए गए?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जी हां। अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक विषयों पर चौबीस देशों के अन्तर सरकारी दल के मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रेट्टोन वुड्स इंस्टीट्यशंस को शासन क्षेत्र में प्रतिबंधों को प्रयोग करने में अत्यधिक सावधानी के साथ कार्रवाई करनी चाहिए।

(घ) बैठक में विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा की गयी। मंत्रियों ने औद्योगिक देशों पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की निगरानी को और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीय सुधारों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मंत्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बढ़ी हुई संरचनात्मक समायोजन सुविधा के वित्तपोषण से संबंधित विषयों पर हुई प्रगति को नोट किया और अत्यधिक कर्ज में डूबे हुए गरीब देशों के लिए संयुक्त पहल कदमी में ब्रेट्टोन वुड्स इंस्टीट्यूशंस द्वारा प्राप्त की गयी प्रगति की सराहना की। मंत्रियों ने आईडीए-II के प्रति दावा देशों के अपर्याप्त अंशदान पर गहरी चिंता जतायी और विकासशील देशों को अधिकाधिक विकास सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

[हिन्दी]

भारतीय सीमेंट निगम

2279. **श्रीमती छबीला अरविन्द नेताम** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम के मध्य प्रदेश स्थित कुछ एककों को निजी क्षेत्र में दिए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन एककों के नाम क्या हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ग). चूंकि सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सी.बी.आई.) को लगातार भारी घाटा हो रहा है, अतः सरकार द्वारा विभिन्न उपचारी उपायों पर विचार किया गया । अलग-अलग इकाइयों को बेचने की व्यवहार्यता ऐसा ही एक उपाय है जिस पर सरकार द्वारा विचार किया गया। तदनुसार सी.सी.आई. ने मध्य प्रदेश में अकलतरा और मांढर सहित कुछ इकाइयों के संयुक्त उद्यम/विक्रय हेतु विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की हैं।

[अनुवाद]

निवेश संबंधी बहुराष्ट्रीय समझौते के प्रभाव

2280. **डा. मुरली मनोहर जोशी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीका के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री जूलियस नरेरे ने निवेश संबंध प्रस्तावित बहुराष्ट्रीय समझौते के प्रभावों के बारे में ध्यान आकृष्ट करते हुए हमारी सरकार को कोई पत्र लिखा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार एम.ए.आई. प्रारूप पर विकासशील देशों के बीच सहमति तैयार करने के लिए कोई प्रयास कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). दक्षिण केन्द्र, जिनेवा के अध्यक्ष श्री जुलियस के. नरेरे ने 2 सितम्बर, 1996 को प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को उदारीकृत करने और उसे एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के तहत किए जाने संबंधी विकसित देशों के प्रस्ताव के बारे में था। उन्होंने इस विषय पर दक्षिण केन्द्र द्वारा तैयार किए गए एक नीतिगत नोट भेजते हुए कहा है कि केवल विस्तृत राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और विश्वव्यापी अध्ययन के आधार पर ही विकासशील देश इस प्रकार की व्यवस्था के प्रभावों का विश्लेषण कर सकते हैं। उन्होंने इस मसले पर विकासशील देशों द्वारा एक साथ मिलकर कार्य करने की जरूरत पर बल दिया है।

(ग) और (घ). सरकार ने इस समय डब्ल्यू.टी.ओ. में निवेश के मसले पर किसी भी विचार-विमर्श का विरोध किया है और उसकी यह राय है कि इस मसले पर पहले इसका विश्लेषण और विचार-विमर्श अंकटाड में होना चाहिए ताकि विकसित देशों के नजरिये से इसके लाभ तथा हानियों को समझा जा सके। सरकार इस मामले पर विकासशील देशों के बीच आम सहमति बनाने के लिए विभिन्न कार्रवाई कर रही है। इन प्रयासों में शामिल हैं - सिंगापुर डब्ल्यू.टी.

ओ. मंत्रीस्तरीय सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में सितम्बर, 1996 को अधिकारी स्तरीय एक तैयारी बैठक का आयोजन जिसमें 13 अन्य विकासशील देशों ने भाग लिया और अक्तूबर, 1996 में जिनेवा में डब्ल्यू.टी.ओ. में निवेश मसले पर भारत समेत विकासशील देशों द्वारा एक संयुक्त वक्तव्य जारी करना। इस मसले पर जी-15 शिखर बैठक के दौरान भी चर्चा की गई और अंकटाड जैसे एक मंच पर पूर्ण आम सहमति बनाने की जरूरत का समर्थन किया गया।

उपभोक्ता वस्तुएं

2281. **श्री शत्रुध्न प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि के क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस वृद्धि को रोकने हेतु क्या उपाय किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : कीमतों में बढ़ती हुई वर्तमान प्रवृत्ति मुख्यतया खाद्यान्नों में, विशेष रूप से गेहूं के मामले में देखी गई है जिसकी कीमत में पिछले वर्ष में इसके उत्पादन में कमी के कारण बहुत तेजी से वृद्धि हुई हैं। चावल की बढ़ती हुई कीमत की प्रवृत्ति में अब नई फसल के आने से नर्मी दिखाई देनी शुरू हो गयी है। जहां तक अन्य आवश्यक वस्तुओं, जैसे चीनी, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, दूध आदि का प्रश्न है, वर्ष 1996-97 के दौरान कीमत में वृद्धि बिल्कुल मामूली है। कीमतों में मुद्रास्फीतिकारी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं :-

(1) भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल और गेहूं की खुली बाजार की बिक्री को जारी रखना।

(2) शून्य अथवा रियायती शुल्क पर चीनी, खाद्य तेलों, दालों और कम वसा वाले दुग्ध पाऊडर जैसी चयनित आवश्यक वस्तुओं के लिए ओ.जी.एल. आयात नीति को जारी रखना।

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति के लिए सरकारी खाते पर खाद्य तेलों का आयात।

(4) वर्ष 1996-97 के लिए बजट में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत तक नियंत्रित करने का प्रयास करना।

(5) विवकेपूर्ण मौद्रिक नीतियों के माध्यम से वर्ष 1996-97 में मौद्रिक अभिवृद्धि को 15.5-16.0 प्रतिशत तक नियंत्रित करना।

(6) अधिकतर वस्तुओं के लिए, आयात शुल्कों में कमी के साथ-साथ, उदार आयात नीति को बनाए रखना।

यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया

2282. **श्री नामदेव दिवाथे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से छोटे निवेशकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने में यू.टी.आई. का कार्य-निष्पादन खराब रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में संसद सदस्यों तथा व्यावसायिक लोगों ने भी टिप्पणी की है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि यू.टी.आई. के कार्य-निष्पादन की एक स्वतंत्र उच्च स्तर की विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा करवाई जाये;

(च) यू.टी.आई. के सर्टिफिकेट का तुरन्त भुगतान करने, कम्प्यूटर में गलत पते भरे जाने के कारण सर्टिफिकेट डिविडेंट वांरट को तुरन्त रोकने तथा निवेशकों विशेषरूप से दिल्ली क्षेत्र के निवेशकों की शिकायत पर तुरन्त ध्यान देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) यू.टी.आई. का पुनर्गठन करने हेतु अन्य क्या उपाय किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). छोटे निवेशकों के हितों की सुरक्षा में यू.टी.आई. की असफलता के बारे में सरकार को कोई विशेष जानकारी नहीं है। तथापि, सामान्य तौर पर यू.टी.आई. के कार्य-निष्पादन को समय-समय पर सरकार के ध्यान में लाया गया है।

(घ) और (ङ). । जुलाई, 1994 से यू.टी.आई. सेबी के विनियामक क्षेत्र में आ गया है। । जुलाई, 1994 के पश्चात् शुरू की गई यू.टी.आई. की सभी योजनाओं के लिए सेबी का अनुमोदन आवश्यक है।

(च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(छ) यू.टी.आई. की पुनर्गठन करके उसे सेबी के विनियमों के अनुरूप बनाने के लिए सेबी, यू.टी.आई. और भारत सरकार के बीच विचार विमर्श हो रहा है।

भारत की क्यूबा पर बकाया धनराशि

2283. **श्री विजय पटेल** :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की क्यूबा पर कुल कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) क्या सरकारी और निजी व्यापारियों द्वारा बकाया धनराशि की वसूली के लिए किए गए प्रयास सफल नहीं हुए हैं;

(ग) क्या भारतीय निर्यात-आयात बैंक, परियोजनाएं और उपकरण निगम के अलावा अनेक छोटे निर्यातकों को इससे हानि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ). भारत का क्यूबा पर कुल बकाया ऋण लगभग 150 करोड़ रुपए है। क्यूबा की इस ऋण को अदा करने की असमर्थता से दोनों के बीच व्यापार प्रभावित हुआ है। वर्तमान व्यापार बाधाओं जिनमें क्यूबा की ऋण देयताएं भी शामिल हैं, को हटाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार करने हेतु, भारत-क्यूबा संयुक्त आयोग के तत्वाधान में भारत क्यूबा व्यापार पुनरूत्थान समिति स्थापित की गई है। अन्य मुद्दों के साथ-साथ, भारत के क्यूबा पर बकाया ऋण की वापसी के मुद्दे पर हाल में दिल्ली में आयोजित भारत-क्यूबा व्यापार पुनरूत्थान समिति और भारत-क्यूबा संयुक्त आयोग की बैठकों में विचार किया गया क्यूबाई पक्ष की ओर से नकदीकरण की कमी के कारण ऋण की अदायगी करने में उनको आ रही कठिनाईयों और वचनबद्धताओं को पूरा करने में आई कठिनाईयों की बात दोहरायी गई। इन बैठकों में दोनों पक्ष भारत के क्यूबा पर बकाया ऋण की समस्या को इस संबंध में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों को ध्यान में रखते हुए हल करके और दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने पर सहमत हुए जिससे भारत-क्यूबा संबंध सुदृढ़ होंगे।

अफीम फैक्ट्री की बिक्री

2284. श्री मनोज कुमार सिन्हा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गाजीपुर स्थित अफीम तथा अफीम पाप्पी (चरोट) फैक्ट्री को बेचे जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार नीमच अफीम तथा अफीम पाप्पी (चरोट) फैक्ट्रियों की ही भांति गाजीपुर अफीम फैक्ट्री का आधुनिकीकरण किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उत्तर प्रदेश में बैंक ऋण

2285. डा. बलिराम : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनेक बैंकों ने उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान आज तक श्रेणीवार कुल कितनी राशि के ऋण दिए; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों में कुल जमाओं की तुलना में कुल कितना प्रतिशत ऋण दिया गया?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उनके आधारभूत आंकड़े से मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होती है।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात वर्ष 1994, 1995 और 1996 के मार्च के अंत में क्रमशः 37.2, 35.0 तथा 34.2 था।

अखबारी कागज मिलों की बंदी

2286. श्री नंद कुमार सिंह चौहान : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बन्द पड़ी अखबारी कागज की मिलें विशेषकर नेपा नगर स्थिति एन.पी.ई.ए. लिमिटेड का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें बंद होने का मिलवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन मिलों के पुनरूद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त मिलों में कब तक पुनः कार्य शुरू होने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (छ). एन.ई.पी.ए.लि., नेपानगर में 22.8.96 से उत्पादन नहीं हो रहा है। एन.ई.पी.ए. लि. मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के बिजली के बिलों का भुगतान नहीं कर सकी है तथा म.प्र.रा.वि. बोर्ड द्वारा मिल की बिजली काट दी गई थी। एन.ई.पी.ए. लि. द्वारा उत्पादित अखबारी कागज अखबार वालों द्वारा नहीं लिया जाता है क्योंकि अच्छी किस्म का आयातित अखबारी कागज तुलनात्मक रूप से कम कीमत पर उपलब्ध होता है।

मिल के प्रचालन को पुनः आरंभ करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एन.ई.पी.ए. लि. की समस्याओं की हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ चर्चा की गई है।

सरकारी उपक्रमों के लिए निवेश कोष

2287. श्री तारीक अनवर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सशक्त बनाने हेतु एक निवेश कोष स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). सरकार ने "सिद्धांत रूप में" विनिवेश आय के एक अंश में से एक कोष स्थापित करने का निर्णय लिया है, ताकि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सुदृढ़ बनाया जा सके।

"सेबी"

2288. श्री राम नाईक : क्या **वित्त मंत्री** ओ.टी.सी.ई.आई. में पंजीकृत कंपनी के बारे में 2 अगस्त, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2590 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सेबी" ने इस मामले के संबंध में निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो "सेबी" द्वारा इस मामले में जल्द से जल्द निर्णय लेने हेतु क्या समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). सेबी बोर्ड ने, तीन वर्ष के लाभांश अदायगी रिकार्ड की अपेक्षा से ओ.टी.सी.ई. आई. संबंधी सूचीकरण मांगने वाली कंपनियों को छूट प्रदान करने के लिए दवे समिति द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार करने के लिए 18.11.96 को एक निर्णय लिया है बशर्ते कि ऐसी कंपनियां ओ.टी. सी.ई.आई. का सूचीकरण मानदण्ड पूरा करती हों अर्थात् ओ.टी.सी. ई.आई. के एक सदस्य द्वारा स्पोंसरशिप और बाजार-निर्माताओं की नियुक्ति।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मध्याह्न 12.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.05 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.05 बजे पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभापटल पर पत्र रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अधिसूचनाएं तथा माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के कार्यकरण की पुनरीक्षा तथा वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : श्री मुरासोली मारान की ओर से, मैं, निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ. 683(अ) जो 3 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा रूबी मेकन्स लिमिटेड, वापी को अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित करना हैं।

(दो) का.आ 684(अ) जो 3 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा श्री सूर्यनारायण पेपर एण्ड बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड, नेल्लूर को अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित करना है।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 780/96]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्ष ककी टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 781/96]

(ख) (एक) भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 782/96]

(ग) (एक) साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 783/96]

(घ) (एक) टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 784/96]

(ङ) (एक) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 785/96]

(च) (एक) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 786/96]

(3) (एक) सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ हैंड टूल्स, जालंधर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ हैंड टूल्स, जालंधर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 787/96]

(4) (एक) प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेन्टर, आगरा के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेन्टर, आगरा के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 788/96]

(5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 789/96]

(6) (एक) सेन्टर फार दि डेवलपमेंट आफ ग्लास इंडस्ट्री, फिरोजाबाद के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार दि डेवलपमेंट आफ ग्लास इंडस्ट्री, फिरोजबाद के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 790/96]

(7) (एक) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, भुवनेश्वर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, भुवनेश्वर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 791/96]

(8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 792/96]

(एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 793/96]

(9) (एक) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 794/96]

(10) (एक) प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेन्टर, मेरठ के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेन्टर, मेरठ के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 795/96]

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 641की उपधारा(3) के अंतर्गत अधिसूचनाएं, आदि

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम [दौरे पर जाने वाले कर्मचारियों को दैनिक भत्ते और होटल प्रभार] (संशोधन) नियम, 1996 जो 13 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 422(अ) में प्रकाशित हुये थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 796/96]

(2) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 641 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 418(अ) जो 12 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे जिनके द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-XIII में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 797/96]

(दो) सा.का.नि. 423(अ) जो 13 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI में कतिपय परिवर्तन किये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 797/96]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 374(अ) जो 22 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 380(अ) जो 30 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 36/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 381(अ) जो 30 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 63/95-सी.शु. और 64/95-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 382(अ) जो 30 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 36/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 390(अ) जो 31 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अगस्त, 1988 की अधिसूचना संख्या

229/88-सी.शु. का विखंडन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 391(अ) जो 31 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 152/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 394(अ) जो 31 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 47/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 420(अ) जो 12 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 36/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 441(अ) जो 28 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 36/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 442(अ) जो 28 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 1996 के अंतर्गत उदग्रहणीय विशेष सीमा शुल्क से विद्यमान छूट को समेकित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 443(अ) जो 28 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 46/96-सी.शु. का विखंडन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 463(अ) जो 9 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28कख के अंतर्गत ब्याज दर 20 प्रतिशत प्रति वर्ष नियत की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 491(अ) जो 24 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ईंधन इंजेक्शन उपस्कर के पुर्जों, ईंधन इंजेक्शन उपस्कर और उनके सहायक पुर्जों के विनिर्माण के लिए मशीनरी पर 20 प्रतिशत सीमा शुल्क की प्रभावी दर निर्धारित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 497(अ) जो 29 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 36/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 498(अ) जो 29 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 सितम्बर, 1996 की अधिसूचना संख्या 77/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 516(अ) जो 6 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 36/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 798/96]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 342(अ) जो 31 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 14/96-के.उ.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 1996 जो 31 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 386(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1996 जो 31 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 387(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 388(अ) जो 31 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 मई, 1995 की अधिसूचना संख्या 23/95-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 389(अ) जो 31 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निविष्टियों के संचालन के लिए जारी किया जाने वाला चालान प्रोफार्मा विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, 1996 जो 31 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 392(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 393(अ) जो 31 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 11/96-के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 395(अ) जो 31 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1996 जो 3 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 404(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 419(अ) जो 12 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेन्सिल शार्पनर्स को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 438(अ) जो 28 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 17/96-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 439(अ) जो 28 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 16/96-के.उ.शु. को विखंडित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (आठवां संशोधन) नियम, 1996 जो 28 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 440(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 464(अ) जो 9 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रयोजनार्थ ब्याज दर 20 प्रतिशत वार्षिक नियत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 799/96]

(5) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के 31 मार्च, 1996 तक के छब्बीसवें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 800/96]

(6) (एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 30 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 801/96]

(दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) इलाहाबाद बैंक के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 802/96]

(दो) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 803/96]

(तीन) इण्डियन बैंक के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 804/96]

(चार) इण्डियन ओवरसीज बैंक के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन

तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवदेन।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 805/96]

(पांच) यूको बैंक के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवदेन।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 806/96]

(छः) आन्ध्रा बैंक के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवदेन।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 807/96]

(सात) कारपोरेशन बैंक के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवदेन।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 808/96]

(आठ) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवदेन।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 809/96]

(नौ) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों पर वार्षिक प्रतिवेदन,* लेखे और लेखापरीक्षक का प्रतिवदेन तथा एक व्याख्यात्मक विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 810/96]

भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवदेन तथा लेखा परीक्षित लेखे तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : मैं श्री बोला बुल्ली रमैया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 811/96]

(2) (एक) बैसिक कैमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कास्मेटिक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बैसिक कैमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कास्मेटिक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 812/96]

(3) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (3) के अंतर्गत चाय बोर्ड (हानि अपलिखित करना) नियम, 1996 जो 14 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 364(अ) में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 813/96]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) इंडिया टी एण्ड रेस्टोरेन्टस लिमिटेड के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया टी रेस्टोरेन्टस लिमिटेड के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 814/96]

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 815/96]

(दो) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड और वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 816/96]

(तीन) इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाईजेशन और वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 817/96]

(व्यवधान)

अपराह्न 2.06 बजे

इस समय श्री ई.अहमद और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर बैठिए। मैं सबको अलाऊ करूंगा। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा, कृपया अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाइए।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न किस मुद्दे पर है। सभा के समक्ष कोई कार्य नहीं बचा है। केवल पत्रों को सभा पटल पर रखा जा रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं कि मैं सबको अलाऊ करूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : एक महत्वपूर्ण घोषणा की जानी है। कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक महत्वपूर्ण घोषणा होनी है। कृपया बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा के समक्ष अब कोई कार्य नहीं बचा है। जब सभा के समक्ष कोई कार्य निपटाने के लिए नहीं बचा है तो व्यवस्था का कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता।

(व्यवधान)

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अब आप मेरी बात भी सुनेंगे?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.09 $^{1}/_{2}$ बजे

[अनुवाद]

लोक सभा की बैठक के बारे में उपाध्यक्ष महोदय की घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय : जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित है, संविधान सभा की पहली बैठक की पचासवीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक समारोह सोमवार, 9 दिसम्बर, 1996 को प्रातः 10.00 बजे केन्द्रीय कक्ष में होगा। जैसाकि कार्य मंत्रणा संबंधी समिति की 26 नवम्बर, 1996 को हुई बैठक में निर्णय किया गया था, माननीय राष्ट्रपति महोदय उपस्थित जनों को सम्बोधित करेंगे।

सभा की बैठक सोमवार, 9 दिसम्बर, 1996 को पूर्वाह्न 11.00 बजे के स्थान पर अपराह्न 2.00 बजे होगी।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.10 $^{1}/_{2}$ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ए.जी.एस. राम बाबू (मुदैरा) : महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 2.11 बजे

[अनुवाद]

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार,

9 दिसम्बर, 1996 से आरंभ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किये जाएंगे :—

1. आज की कार्य सूची से लिए गए सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार करना।
2. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान :-
   (क) वर्ष 1996-97 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)।
   (ख) वर्ष 1996-97 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)।

(3) संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1996, संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित (विचार तथा पारित करना)।

(4) राज्य सभा द्वारा यथापारित निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना तथा उन्हें पारित करना :-
   (क) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय विधेयक, 1996
   (ख) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय विधेयक, 1996
   (ग) नाविक भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, 1996

[हिन्दी]

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अलाऊ करूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, आज 6 दिसम्बर, है - राष्ट्रीय अपमान का दिन...(व्यवधान) हमें इस मुद्दे को उठाने की अनुमति मिलनी चाहिए।

अपराह्न 2.13 बजे

इस समय डा. शफीकुर्रहमान बर्क और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सबमिशन्स के बाद सबको अलाऊ करूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. ओम पाल सिंह 'निडर' (जलसेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निम्नलिखित प्रस्तावों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में जोड़ा जाए :-

1. सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश में जलेसर रोड, बरहन जंक्शन और फिरोजाबाद रेलवे स्टेशनों पर कालिन्दी एक्सप्रेस के ठहराव की आवश्यकता।
2. सरकार से मांग है कि एटा एवं जलेसर नगरों के लिए एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।

अपराह्न 2.14 बजे

इस समय डा. शफीकुर्रहमान बर्क और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़ने की कृपा करें :-

1. मध्य प्रदेश में विद्युत का अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हो गया है, किसानों को 4 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है, विद्युत व्यवस्था में तत्काल सुधार के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता।
2. देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के ऊपर बढ़ते जा रहे अत्याचारों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक, दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नांकित दो विषयों को सम्मिलित किया जाए :-

1. राजधानी दिल्ली सहित देश के अनेक बड़े शहरों में घनी आबादी के बीच पोस्टमार्टम (चीरफाड़) गृह स्थापित हैं, जिनमें बड़ी संख्या में शवों को पोस्टमार्टम के लिए लाया जाता है। किन्तु इन पोस्टमार्टम (चीरफाड़) गृहों के घनी आबादी के बीच स्थित होने से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इन पोस्टमार्टम (चीरफाड़) गृहों को घनी आबादी से हटाकर श्मशान घाटों के निकट स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता।
2. राजधानी में बड़ी संख्या में अनधिकृत कालोनियां बन चुकी हैं, जिनमें लाखों परिवार रह रहे हैं, किन्तु इन अनधिकृत कालोनियों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है, जिस कारण इनमें रहने वाले लाखों नागरिकों में भारी रोष एवं तनाव व्याप्त है। इन अनधिकृत कालोनियों को नियमित किये जाने से संबंधित विषय।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें। मैं आप सबको अनुमति दूंगा। लेकिन आप मेरे साथ सहयोग करने को तैयार नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पुनः आपको आश्वासन दे रहा हूं कि मैं आप सबको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.16 बजे

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य),1996-97

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं वर्ष 1996-97 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

विवरण

संख्या और मांग का नाम	अनुपूरक अनुदानों की मांगों की राशि	
	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
5. रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	–	3,12,00,000
संचार मंत्रालय		
14. दूरसंचार विभाग	18,98,00,000	–
रक्षा मंत्रालय		
17. रक्षा सेवाएं – सेना	8,30,50,00,000	–
18. रक्षा सेवाएं – नौसेना	80,06,00,000	–
19. रक्षा सेवाएं – वायु सेना	162,24,00,000	–
20. रक्षा आयुध कारखाने	127,00,00,000	–
पर्यावरण और वन मंत्रालय		
22. पर्यावरण और वन मंत्रालय	2,00,000	–
वित्त मंत्रालय		
28. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	885,00,00,000	–
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
41. परिवार कल्याण विभाग	1,00,000	–
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
48. युवा कार्य और खेलकूद विभाग	1,00,000	–
उद्योग मंत्रालय		
54. लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	2,00,000	–
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय		
63. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	34,12,00,000	–
शहरी मामले और रोजगार मंत्रालय		
82. शहरी विकास, शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन	–	1,00,000
कल्याण मंत्रालय		
86. कल्याण मंत्रालय	1,00,000	–
अंतरिक्ष विभाग		
91. अंतरिक्ष विभाग	150,00,00,000	–
जोड़ राजस्व/पूंजी	2287,97,00,000	3,13,00,000

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आप सबको अनुमति दूंगा। कृपया मेरे साथ सहयोग करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की बैठक सोमवार, 9 दिसम्बर, 1996 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.18 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 9 दिसम्बर, 1996/18 अग्रहायण, 1918 (शक) के अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।